



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03112025-267350
CG-DL-E-03112025-267350

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 723]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 3, 2025/ कार्तिक 12, 1947

No. 723]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 3, 2025/ KARTIKA 12, 1947

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2025

सा.का.नि 809(अ)—विशेष वित्तीय नियमावली का निम्नलिखित मसौदा जिसे केंद्र सरकार, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 की धारा 13(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उसके द्वारा संभवतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित की जाती है, और एतद्वारा सूचित किया जाता है कि विशेष वित्तीय नियमावली के उक्त प्रारूप पर, शासकीय राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात विचार किया जाएगा;

इन वित्तीय नियमावली के मसौदे विषयक आपत्तियाँ और सुझाव, यदि कोई हों, डॉ. भूपेन्द्र कुमार शर्मा, वैज्ञानिक-डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, टेक्नोलॉजी भवन, न्यू महारौली रोड, नई दिल्ली-110016 को ईमेल: b.k.sharma83@gov.in पर प्रेषित किए जा सकते हैं।

विशेष वित्तीय नियमावली के उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से तीस दिनों की पूर्वोक्त अवधि समाप्त होने से पहले प्राप्त आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हों, पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अनुसंधान विकास और नवाचार निधि
के लिए
मसौदा विशेष वित्तीय नियमावली

अध्याय 1: प्रस्तावना

1. भारत सरकार ने अनुसंधान, विकास और नवाचार में निजी क्षेत्र के प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष (आरडीआईएफ) की स्थापना का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छह वर्षों की अवधि के लिए एक लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना को स्वीकृति दी है। यह योजना निजी क्षेत्र के उन प्रस्तावों को वित्तपोषित या पुनर्वित्तपोषित करेगी, जिनका अर्थव्यवस्था पर परिवर्तनकारी और गहरा प्रभाव पड़ने की संभावना है और जिनमें उच्च विकास और वाणिज्यिक सफलता की संभावना है।
2. **आरडीआई योजना के मुख्य बिंदु:**
 - (i) **ब्याज मुक्त ऋण के रूप में सरकारी निधियों का प्रवाह:** अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) के अंतर्गत एक विशेष प्रयोजन निधि (एसपीएफ) को एक कायिक निधि (आरडीआईएफ) के रूप में स्थापित किया जाएगा। एएनआरएफ एक स्वतंत्र वाणिज्यिक इकाई स्थापित करेगा जिसमें एक अलग टीम होगी जो एएनआरएफ के मुख्य कार्यों से अलग, वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एसपीएफ का विशिष्ट रूप से प्रबंधन करेगी।
 - (ii) एएनआरएफ के अंतर्गत स्वतंत्र वाणिज्यिक इकाई, आरडीआईएफ के प्रथम स्तरीय संरक्षक के रूप में कार्य करेगी।
 - (iii) **द्वितीय स्तरीय निधि प्रबंधकों (एसएलएफएमएस) का चयन, जो चयनित परियोजनाओं को धनराशि वितरित करेंगे:** एसएलएफएम का चयन एएनआरएफ की कार्यकारी परिषद की सिफारिश पर सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) के अनुमोदन से किया जाएगा।
 - (iv) **एसएलएफएम को निधीयन के प्रकार:** एसएलएफएम को निधीयन मुख्यतः रियायती ऋण/वैकल्पिक निवेश कोषों के मामले में इकाइयों की खरीद के रूप में होगा। रियायत की सीमा एसएलएफएम द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों/परियोजनाओं के आधार पर भिन्न हो सकती है।
 - (v) **विशेष वित्तीय नियम:** इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के स्थान पर विशेष वित्तीय नियम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एएनआरएफ की कार्यकारी परिषद के परामर्श से तैयार किए गए हैं और व्यय विभाग की सहमति से इन्हें अंतिम रूप दिया गया है। एएनआरएफ अधिनियम, 2023 की धारा 13(4) ऐसे नियम बनाने की अनुमति देती है जो जीएफआर से भिन्न हो सकते हैं।
 - (vi) **वित्तपोषण की मात्रा:** यह योजना परियोजना लागत के 50 प्रतिशत से अधिक का वित्तपोषण नहीं करेगी, और शेष राशि प्रस्तावक निजी संस्थान द्वारा वाणिज्यिक वित्तपोषण और अपने संसाधनों के माध्यम से जुटाई जाएगी।
 - (vii) प्रथम संरक्षक स्तर पर स्थापित एक 'कॉर्पस फंड' के रूप में, निजी संस्थाओं से पुनर्भुगतान या निकासी से प्राप्त राशि, भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में वापस जमा होने के बजाय, पुनः

उपयोग के लिए उसी कॉर्पस फंड में वापस आ जाएगी। यह धनराशि 50 वर्षों के बाद ही वापस की जाएगी। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य निजी क्षेत्र द्वारा अनुसंधान और विकास प्रयासों को निरंतर सहयोग प्रदान करने हेतु पूंजी के प्रभावी पुनर्चक्रण को सक्षम और सुगम बनाना है।

- (viii) कॉर्पस फंड स्तर पर निजी क्षेत्र से योगदान की परिकल्पना नहीं की गई है। हालाँकि, डीप टेक फंड ऑफ फंड्स द्वारा प्रवर्तित फंड में योगदान दिया जा सकता है। परियोजना स्तर पर, निजी क्षेत्र का योगदान निश्चित रूप से कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।
- (ix) सीएफआई से आरडीआईएफ में निधि प्रवाह, एसएलएफएम को संवितरण हेतु निधियों की अर्ध-वार्षिक निवल आवश्यकता पर आधारित होगा।
- (x) निजी संस्थाओं से पुनर्भुगतान या निकासी आय एसएलएफएम के माध्यम से आरडीआईएफ में क्रेडिट होगी।
- (xi) विशेष वित्तीय नियम आरडीआई योजना के सुचारू और सामान्य निर्देशात्मक तरीके से उचित कार्यान्वयन के लिए आरडीआईएफ के प्रभावी उपयोग, बजट और लेखा व्यवस्था और रिटर्न के पुनर्चक्रण को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किए गए हैं।
- (xii) नियम निम्नलिखित निर्णायक दस्तावेजों के आधार पर तैयार किए गए हैं:
 - क. आरडीआईएफ का निवेश सिद्धांत (परिशिष्ट 1 पर संलग्न)
 - ख. एसएलएफएम को निधीयन हेतु आरडीआईएफ के लिए वित्तपोषण ढांचा (परिशिष्ट 2 पर संलग्न)
 - ग. एसएलएफएम का चयन (परिशिष्ट 3 पर संलग्न)

अध्याय 2: परिचय

नियम 1 संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ। इन नियमों को "आरडीआईएफ के लिए विशेष वित्तीय नियम 2025" से जाना जाएगा और ये एएनआरएफ अधिनियम 2023 की धारा 13(4) के अंतर्गत डीएसटी द्वारा अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होंगे।

नियम 2 प्रयोज्यता। इन नियमों का अनुप्रयोग केवल एएनआरएफ अधिनियम 2023 की धारा 13(2)(घ) के अंतर्गत स्थापित विशेष प्रयोजन निधि (आरडीआईएफ) से संबंधित वित्तीय लेनदेन/प्रशासन तक ही सीमित है।

नियम 3 परिभाषा। इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (i) **अनुसंधान राष्ट्रीय शोध अनुसंधान प्रतिष्ठान (एएनआरएफ):** इसका तात्पर्य अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 के अंतर्गत स्थापित प्रतिष्ठान से है।
- (ii) **वैकल्पिक निवेश निधि:** इसका तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 की धारा 2 (1) (ख) में परिभाषित वैकल्पिक निवेश निधि से है।
- (iii) **लाभांश ब्याज (कैरीड इंटरैस्ट):** इसका तात्पर्य निवेश से प्राप्त लाभ का वह प्रतिशत जो वैकल्पिक निवेश निधि के निवेशकों के लिए अधिकतम लाभ अर्जित करने वाले निधि प्रबंधक को पुरस्कारस्वरूप दिया जाता है।
- (iv) **भारत की समेकित निधि (कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया) (सीएफआई):** इसका तात्पर्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन भारत की समेकित निधि से है।
- (v) **वित्तीय वर्ष:** इसका तात्पर्य 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।
- (vi) **पात्र प्रौद्योगिकी इकाइयाँ:** इसका तात्पर्य ऐसी कोई भी वैधानिक इकाई जो आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी (टीआरएल 4 और उससे अधिक) के विकास में संलग्न हैं। इनमें कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियाँ, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत पंजीकृत साझेदारियाँ, और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत पंजीकृत सीमित देयता साझेदारियाँ, जो प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर 4 से ऊपर के आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकियों के विस्तार में संलग्न हैं, शामिल हो सकती हैं। इनमें उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की दिनांक 19 फरवरी 2019 की अधिसूचना सा.का.नि. 127(ई), जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है, में परिभाषित स्टार्टअप शामिल होंगे।
- (vii) **सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस):** इसका तात्पर्य आरडीआईएफ की शीर्ष स्तरीय समिति से है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मंत्रिमंडल सचिव, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव तथा विषयों/क्षेत्रों/परियोजनाओं के अनुसार अन्य सह-चयनित सदस्य शामिल होते हैं।
- (viii) **कार्यकारी परिषद (ईसी):** इसका तात्पर्य अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 की धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन गठित परिषद से है।

- (ix) **कार्यकारी निदेशक आरडीआईएफ (ईडी आरडीआईएफ):** एएनआरएफ की कार्यकारी परिषद द्वारा नियुक्त आरडीआईएफ के कार्यकारी निदेशक, जो आरडीआईएफ के समग्र प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होते हैं।
- (x) **विशेषज्ञ सलाहकार समिति:** इसका तात्पर्य अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 की धारा 12 की उपधारा 1 के अधीन कार्यकारी परिषद द्वारा गठित समिति से है, जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रौद्योगिकी, उद्योग, निवेश, और/अथवा आर एंड डी क्षेत्रों से चयनित प्रतिष्ठित इंडस्ट्री लीडर; उद्योग, निवेश और/अथवा प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास क्षेत्रों से चयनित तीन से चार विशेषज्ञ और समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्यकारी निदेशक शामिल होते हैं।
- (xi) **निधियों का कोष (फंड ऑफ फंड्स):** का तात्पर्य वैकल्पिक निवेश कोष जो स्वयं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के अनुसार अन्य वैकल्पिक निवेश कोषों की इकाइयों में निवेश करते हैं, ऐसे वैकल्पिक निवेश कोष को निधियों का कोष कहा जाएगा। ऐसे मामलों में, ये निधियों के कोष यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी सहायक एआईएफ, जिसमें वे आरडीआईएफ निधियों का अंशदान देते हैं, (क) स्वयं आरडीआईएफ निधियों को अन्य एआईएफ की इकाइयों में निवेश नहीं करेगा (ख) विनिर्दिष्ट सभी प्रावधानों का पालन करेगा और उन्हें एसएलएफएम माना जाएगा।
- (xii) **बौद्धिक संपदा अधिकार:** इसका तात्पर्य पेटेंट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिजाइन, कॉपीराइट और एकीकृत सर्किट के लेआउट डिजाइन से संबंधित अधिकार, तथा पेटेंट अधिनियम, 1970 द्वारा संरक्षित अन्य सभी संपत्ति अधिकार, 1999, 2002 और 2005 के पेटेंट (संशोधन) अधिनियमों द्वारा यथासंशोधित; तथा इन अधिकारों से संबंधित अन्य कानून और अधिनियम से है।
- (xiii) **निवेश समिति (आईसी):** इसका तात्पर्य एसएलएफएमएस द्वारा गठित वह समिति से है, जो निधि प्रबंधन टीम द्वारा प्रस्तुत निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं पुनरीक्षा करती है और निवेश सम्बन्धी निर्णय लेती है।
- (xiv) **प्रबंधन शुल्क:** इसका तात्पर्य निधि और निधि प्रबंधक के बीच निवेश प्रबंधन करार के अनुसार वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) पर प्रभार्य शुल्क से है। यह शुल्क कोष प्रबंधक को दिया जाता है, जो आमतौर पर प्रतिबद्धता अवधि के दौरान प्रतिबद्ध पूंजी के प्रतिशत के रूप में विनिर्दिष्ट होता है। तदोपरांत, यदि यह प्रतिबद्ध पूंजी से कम है तो यह वास्तविक निवेशित पूंजी के एक निश्चित प्रतिशत तक या निधि के प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) के अंतर्निहित मूल्य के प्रतिशत के रूप में कम हो जाती है।
- (xv) **निवल ब्याज अंतर:** इसका तात्पर्य ब्याज दर के बीच के अन्तर से है, जिसके अंतर्गत कोई द्वितीय स्तरीय निधि प्रबंधक पात्र प्रौद्योगिकी इकाइयों को निधीयन ऋणस्वरूप प्रदान करता है और जिस दर पर उक्त निधि प्रबंधक अनुसंधान, विकास एवं नवाचार निधि (आरडीआईएफ) से वित्त प्राप्त करता है।
- (xvi) **गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस):** इसका तात्पर्य आरडीआईएफ के विशेष वित्तीय नियमावली के नियम 52 में परिभाषित चयन प्रक्रिया से है।
- (xvii) **अनुसंधान, विकास और नवाचार निधि (आरडीआईएफ):** इसका तात्पर्य अनुसंधान, विकास और नवाचार में निजी क्षेत्र के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुसंधान राष्ट्रीय शोध

प्रतिष्ठान अधिनियम, 2023 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के अधीन एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई के रूप में स्थापित एनआरएफ के एक विशेष प्रयोजन कोष से है।

- (xviii) **आरडीआईएफ पेशेवर और कर्मचारी:** इसका तात्पर्य इसी द्वारा अनुमोदित आरडीआईएफ शासन संरचना और प्रबंधन दल दस्तावेज़ में परिभाषित कार्मिकों से है।
- (xix) **द्वितीय स्तरीय निधि प्रबंधक:** इसका तात्पर्य वैकल्पिक निवेश कोष, विकास वित्त संस्थान, गैर-बैंकिंग वित्त निगम और केंद्रित अनुसंधान संगठनों से हैं, जिन्हें पात्र प्रौद्योगिकी इकाईयाँ में इक्विटी, ऋण या दोनों के संयोजन के रूप में निवेश करने के लिए अनुसंधान विकास और नवाचार योजना के अंतर्गत निधि प्राप्ति हेतु चुना जाता है।
- (xx) **राजकोषीय एकल खाता:** इसका तात्पर्य दिनांक 21 मई 2024 के ओएम संख्या 3/(06)/पीएफएमएस/2023, में उल्लिखित राजकोषीय एकल खाता प्रणाली से है।

नियम 4 दुविधाओं का निवारण। जहां इन नियमों के किसी प्रावधान की व्याख्या के संबंध में दुविधा उत्पन्न होता है, तो मामले को निर्णय के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) को भेजा जाएगा।

नियम 5 संशोधन।

- (i) इन नियमों द्वारा स्थापित प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ सामान्य या विशेष निर्देशों/आदेशों के अधीन हैं, जिन्हें डीएसटी समय-समय पर जारी कर सकता है;
- (ii) इन नियमों द्वारा स्थापित प्रणालियों और प्रक्रियाओं को डीएसटी द्वारा केवल व्यय विभाग/वित्त मंत्रालय की सहमति से ही संशोधित किया जा सकता है।

अध्याय 3: सामान्य नियम

नियम 6 सामान्य वित्तीय नियम, 2017 (इसके बाद इसे जीएफआर कहा जाएगा) के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, इस विशेष प्रयोजन निधि (आरडीआईएफ) से संबंधित वित्तीय लेनदेन/प्रशासन इन विशेष वित्तीय नियमों (इसके बाद इसे एसएफआर कहा जाएगा) द्वारा शासित होगा।

नियम 7 इस एसएफआर में अन्यथा विशिष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किसी भी मामले में, जीएफआर के प्रावधान तब तक लागू रहेंगे जब तक कि नियम 5 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसे प्रावधान बनाए, संशोधित और एसएफआर में शामिल नहीं कर लिए जाते।

नियम 8 संबंधित आरडीआईएफ पेशेवरों और कर्मचारियों का यह कर्तव्य है कि वे सुनिश्चित करें कि आरडीआईएफ की प्राप्तियों और देय राशियों का सही और शीघ्र मूल्यांकन, संग्रहण और आरडीआईएफ खाते में विधिवत जमा किया जाए।

नियम 9 आरडीआईएफ को देय राशियों को पर्याप्त कारणों के बिना बकाया नहीं छोड़ा जाएगा। जहाँ ऐसी राशियाँ वसूली योग्य प्रतीत न हों, वहाँ उनके समायोजन के लिए कार्यकारी समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

नियम 10 वित्तीय औचित्य के मानक। आरडीआईएफ के प्रत्येक पेशेवर और कर्मचारी को, जो आरडीआईएफ से व्यय करते हैं या उसे अधिकृत करते हैं, वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों का पालन करना चाहिए। प्रत्येक पेशेवर और कर्मचारी को वित्तीय व्यवस्था और कठोर मितव्ययिता भी लागू करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके कार्यालय और अधीनस्थ संवितरण पेशेवरों और कर्मचारियों द्वारा सभी प्रासंगिक वित्तीय नियमों और विनियमों का पालन किया जाए। जिन सिद्धांतों पर सामान्यतः जोर दिया जाता है, वे निम्नलिखित हैं:

- (i) प्रत्येक पेशेवर और कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आरडीआईएफ के धन से किए गए व्यय के संबंध में वैसी ही सतर्कता बरतें जैसी एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने धन के व्यय के संबंध में बरतेगा।
- (ii) व्यय प्रथम दृष्टया प्रयोजन की माँग से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (iii) किसी भी प्राधिकारी को व्यय स्वीकृत करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग ऐसा आदेश पारित करने के लिए नहीं करना चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके अपने लाभ के लिए हो।

(iv) आरडीआईएफ की धनराशि से व्यय किसी व्यक्ति विशेष या जनता के किसी वर्ग के लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि -

क. राशि के लिए दावा न्यायालय में लागू न किया जा सके, या

ख. व्यय किसी मान्यता प्राप्त नीति या प्रथा के अनुसरण में न हो। [जीएफआर नियम 21]

नियम 11 बौद्धिक संपदा अधिकार। सभी मामलों में, आरडीआईएफ द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि से निर्मित या अर्जित भौतिक और बौद्धिक संपत्तियों का स्वामित्व पात्र प्रौद्योगिकी संस्थाओं के पास होगा।

नियम 12 पूर्णकालिक आरडीआईएफ पेशेवरों और कर्मचारियों की नियुक्ति। आरडीआईएफ, आरडीआईएफ के अंतर्गत सृजित पदों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अधिकतम पारिश्रमिक के अधीन, उचित पारिश्रमिक स्तरों पर बाजार से सक्षम और मेधावी पेशेवरों और कर्मचारियों का चयन और नियुक्ति कर सकता है।

नियम 13 अंशकालिक नियुक्ति। आरडीआईएफ, उचित पारिश्रमिक दरों पर बाजार से अंशकालिक सलाहकारों/विशेषज्ञों/एजेंसियों की नियुक्ति कर सकता है।

अध्याय 4: निधि प्रवाह से संबंधित नियम

भाग 4क: सीएफआई से आरडीआईएफ तक

नियम 14 आरडीआईएफ से एसएलएफएम तक निधि का प्रवाह राजकोषीय एकल खाता (टीएसए) प्रणाली¹ में "जस्ट-इन-टाइम" मोड से किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए, एएनआरएफ, आरडीआईएफ के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में एक खाता खोलेगा।

नियम 15 आरडीआईएफ, एसएलएफएम द्वारा लौटाई गई निधि प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में एक खाता खोलेगा, जिसमें चुकाया गया मूलधन/ब्याज, निकासी आय और अन्य प्राप्तियां आदि शामिल हैं।

नियम 16 सीएफआई से आरडीआईएफ तक निधि प्रवाह, एसएलएफएम को संवितरण हेतु निधियों की अर्ध-वार्षिक निवल आवश्यकताओं के आधार पर प्रदान किया जाएगा।

नियम 17 डीएसटी, अर्ध-वार्षिक निवल निधि आवश्यकता के आधार पर आरडीआईएफ के लिए एएनआरएफ को प्राधिकरण जारी करेगा। डीएसटी द्वारा जारी प्राधिकरण के आधार पर, आरडीआईएफ द्वारा निधि "जस्ट-इन-टाइम" मोड से निकाली जाएगी।

नियम 18 आरडीआईएफ का परिचालन व्यय। आरडीआईएफ के परिचालन व्यय (वेतन और प्रशासनिक व्यय, आदि) को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष बजटीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके लिए डीएसटी अपने बजट में एक अलग बजट मांग तैयार करेगा। जब आरडीआईएफ को एसएलएफएम से प्रतिफल मिलना शुरू हो जाएगा और वह न लाभ न हानि की स्थिति में पहुँच जाएगा, तो प्रत्यक्ष बजटीय अनुदान बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि यह उम्मीद की जाती है कि आरडीआईएफ परिचालन व्यय के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा।

नियम 19 आरडीआईएफ को अधिशेष निधि, यदि कोई हो, को नियम 18 में उल्लिखित जमा प्रपत्र के अलावा किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में, पारदर्शी बोली पद्धति का उपयोग करके बाजार संचालित उच्चतम ब्याज दर पर निवेश करने की स्वतंत्रता होगी।

नियम 20 आरडीआईएफ को 50 वर्षों के बाद ही, बिना किसी ब्याज के, संपूर्ण निधि सीएफआई को वापस करनी होगी। वर्ष का तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है।

नियम 21 आरडीआईएफ, निजी क्षेत्र के अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों को सहयोग देने हेतु एसएलएफएम से प्राप्त पूंजी का पुनर्चक्रण करेगा।

नियम 22 रिटर्न के उद्देश्य से 50 वर्षों की गणना हेतु वित्तीय वर्ष को ध्यान में रखा जाएगा। आरडीआईएफ द्वारा संबंधित वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि, संबंधित 50वें वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सीएफआई को वापस की जानी है।

[टिप्पणी: उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 10,000 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2026-27 में 20,000 करोड़ रुपये, इत्यादि प्राप्त होते हैं। तब आरडीआईएफ को वित्तीय वर्ष 2075-76 में 10,000 करोड़ रुपये (31 मार्च 2076 तक), वित्तीय वर्ष 2076-77 में 20,000 करोड़ रुपये (31 मार्च 2077 तक), इत्यादि वापस करने होंगे।]

¹ संदर्भ: कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/(06)/पीएफएमएस/2023 दिनांक 21 मई, 2024।

नियम 23 नियम 22 के अनुसार 50 वर्ष की समयावधि के बाद आरडीआईएफ को सीएफआई को ऋण इस प्रकार वापस करना होगा कि एक लाख करोड़ रुपये की पूरी राशि कुशलतापूर्वक और समय पर सीएफआई को वापस मिल जाए।

- (i) यदि एक लाख करोड़ रुपये की वापसी के बाद भी आरडीआईएफ के पास कोई अधिशेष राशि बचती है, तो उसे भी सीएफआई को वापस कर दिया जाएगा।
- (ii) यदि कोई कमी होती है, तो उसे नियम 24 के अनुसार बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

नियम 24 बट्टे खाते में डालना। यदि 50 वर्षों के बाद आरडीआईएफ द्वारा सीएफआई को ऋण लौटाने में कोई कमी होती है, तो सरकार द्वारा मौजूदा नियमों के अनुसार उसे बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

भाग 4ख: आरडीआईएफ से एसएलएफएम

नियम 25 आरडीआईएफ से एसएलएफएम में निधि प्रवाह निम्नलिखित माध्यमों से होगा:

- (i) वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) तंत्र, अर्थात्, अंशदान करारों (निधि कोष सहित) के माध्यम से एआईएफ ट्रस्टों की योजनाओं में इकाइयों की खरीद; अथवा
- (ii) ऋण करारों के माध्यम से विस्तारित अवधि के साथ निम्न दरों पर ऋण

नियम 26 आरडीआईएफ, ऋण/अंशदान करारों में उल्लिखित निकासी सूचना के अनुसार एसएलएफएम को निधि जारी करेगा।

नियम 27 आरडीआईएफ, नियम 22 और नियम 23 में निर्दिष्टानुसार सीएफआई को मूल राशि वापस भेजने की आवश्यकता का आकलन करने के बाद, एसएलएफएम को नई प्रतिबद्धता/निधि देना बंद कर देगा।

नियम 28 एसएलएफएम, आरडीआईएफ द्वारा निर्धारित/नियत प्रारूप में निधि आवश्यकता तैयार करेंगे, जिसमें पुनर्भुगतान पर प्राप्तियों, अथवा निजी संस्थाओं और अन्य स्रोतों से प्राप्त निकासी आय से अनुमानित प्राप्तियां दर्शाई जाएंगी और उसे आरडीआईएफ को भेजेंगे।

नियम 29 एसएलएफएम से ऐसी मांग प्राप्त होने पर, आरडीआईएफ एक विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर एसएलएफएम के विनिर्दिष्ट बैंक खाते में निधि जारी करेगा (संदर्भ नियम 26)।

भाग 4ख.1: एआईएफ मोड में आरडीआईएफ से एसएलएफएम और इसके प्रतिकूल निधि प्रवाह

नियम 30 निधीयन शर्तें। आरडीआईएफ, एसएलएफएम को निधि देने के लिए आरडीआईएफ के वित्तपोषण ढांचे (परिशिष्ट 2 पर संलग्न) में निर्धारित तरीकों से एआईएफ को निधि आवंटित करेगा।

नियम 31 टर्म लाइफ। आरडीआईएफ, एसएलएफएम को निधि देने के लिए आरडीआईएफ के वित्तपोषण ढांचे (परिशिष्ट 2 पर संलग्न) में निर्धारित अनुसार टर्म लाइफ वाले एआईएफ को निधि आवंटित करेगा।

नियम 32 आरडीआईएफ वित्तीय योगदान की सीमाएँ। आरडीआईएफ, एसएलएफएम की कुल पूँजी में एसएलएफएम को वित्तपोषित करने हेतु आरडीआईएफ के वित्तपोषण ढाँचे में निर्धारित सीमा तक योगदान करेगा (परिशिष्ट 2 पर संलग्न)।

नियम 33 प्रबंधन शुल्क। आरडीआईएफ, एसएलएफएम द्वारा प्रबंधन शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि को स्वीकार करेगा, जो एसएलएफएम को वित्तपोषित करने हेतु आरडीआईएफ के वित्तपोषण ढाँचे में निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन है (परिशिष्ट 2 पर संलग्न)।

नियम 34 लाभान्श ब्याज (कैरीड इंटरैस्ट)। आरडीआईएफ, एसएलएफएम द्वारा लाभान्श ब्याज के रूप में ली गई राशि को स्वीकार करेगा, जो एसएलएफएम को वित्तपोषित करने हेतु आरडीआईएफ के वित्तपोषण ढांचे (परिशिष्ट 2 पर संलग्न) में निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन है।

नियम 35 वापसी (रिटर्नस)। एसएलएफएम, एसएलएफएम को वित्तपोषित करने हेतु आरडीआईएफ के वित्तपोषण ढांचे (परिशिष्ट 2 पर संलग्न) में निर्धारित विधियों के अनुसार आरडीआईएफ को धनराशि लौटाएगा। एसएलएफएम को वित्तपोषित करने हेतु आरडीआईएफ के वित्तपोषण ढांचे (परिशिष्ट 2 पर संलग्न) के अनुसार लागू की जाने वाली विधियाँ एक एसएलएफएम से दूसरे एसएलएफएम में भिन्न हो सकती हैं।

भाग 4ख. II: ऋण वित्तपोषण मोड में आरडीआईएफ से एसएलएफएम और इसके प्रतिकूल निधि प्रवाह

नियम 36 ब्याज दरें। आरडीआईएफ, एसएलएफएम को ऐसी निम्न दरों पर धनराशि आवंटित करेगा जैसा कि एसएलएफएम को वित्तपोषित करने के लिए आरडीआईएफ के वित्तपोषण ढांचे (परिशिष्ट 2 पर संलग्न) में निर्धारित है। ये दरें एक एसएलएफएम से दूसरे एसएलएफएम में भिन्न हो सकती हैं।

नियम 37 अवधि। आरडीआईएफ, एसएलएफएम को ऐसी विस्तारित अवधियों पर धनराशि आवंटित करेगा जैसा कि एसएलएफएम को वित्तपोषित करने के लिए आरडीआईएफ के वित्तपोषण ढांचे (परिशिष्ट 2 पर संलग्न) में निर्धारित है। ये अवधियाँ एक एसएलएफएम से दूसरे एसएलएफएम में भिन्न हो सकती हैं।

नियम 38 प्रबंधन शुल्क। आरडीआईएफ, एसएलएफएम द्वारा प्रबंधन शुल्क के रूप में ली जाने वाली राशि को स्वीकार करेगा, जो अधिकतम सीमा के अधीन है, जैसा कि आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को निधि देने के लिए वित्तपोषण ढांचे (परिशिष्ट 2 पर संलग्न) में निर्धारित है।

नियम 39 लॉक-इन अवधि। आरडीआईएफ, एसएलएफएम को मूलधन और ब्याज भुगतान पर न्यूनतम लॉक-इन अवधि प्रदान करेगा, जैसा कि आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को वित्तपोषित करने हेतु आरडीआईएफ के वित्तपोषण ढांचे (परिशिष्ट 2 पर संलग्न) के अनुसार तय किया जा सकता है। एसएलएफएम, ऋण करारों की शर्तों के अनुसार लॉक-इन अवधि के बाद मूलधन और ब्याज दोनों का भुगतान करेगा।

नियम 40 आरडीआईएफ की निवेश सीमा। किसी भी एसएलएफएम को ऋण के रूप में आरडीआईएफ का योगदान, एसएलएफएम को वित्तपोषित करने हेतु आरडीआईएफ के वित्तपोषण ढांचे (परिशिष्ट 2 पर संलग्न) में निर्धारित अधिकतम सीमा के अधीन होगा।

अध्याय 5: बजट एवं लेखांकन से संबंधित नियम

भाग 5क: बजट से संबंधित नियम

नियम 41 वित्तीय वर्ष। आरडीआईएफ का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होगा और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा।

नियम 42 आरडीआईएफ को अपना वार्षिक बजट तैयार करना होगा और उसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) एसएलएफएम से सभी प्राप्तियों का अनुमान, अल्पकालिक जमाओं से ब्याज आय, यदि कोई हो, आदि, जो उस वित्तीय वर्ष के दौरान सृजित होने की उम्मीद है जिससे बजट संबंधित है;
- (ii) किए जाने वाले सभी व्यय (एसएलएफएम को संवितरण), वित्तीय वर्ष में आरडीआईएफ के प्रबंधन के लिए परिचालन व्यय, आदि का अनुमान;
- (iii) कोई अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है।

नियम 43 आरडीआईएफ अपना वार्षिक बजट कार्यकारी समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, आरडीआईएफ के परामर्श से डीएसटी द्वारा निर्धारित समय और प्रारूप पर डीएसटी को प्रस्तुत करेगा।

नियम 44 आरडीआईएफ के कार्यकारी निदेशक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व। आरडीआईएफ के कार्यकारी निदेशक निम्नलिखित कार्य करेंगे:

- (i) आरडीआईएफ के वित्तीय प्रबंधन के लिए उत्तरदायी और जवाबदेह होंगे;
- (ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि आरडीआईएफ निधियों का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए उन्हें बनाया गया था;
- (iii) प्रदर्शन मानकों का अनुपालन करते हुए, अपने घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति में आरडीआईएफ के संसाधनों के प्रभावी, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग के लिए उत्तरदायी होंगे;
- (iv) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या लक्षित उद्देश्य प्राप्त हुए हैं, आरडीआईएफ के प्रदर्शन की नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी करेंगे;
- (v) ईसी/ईजीओएस/डीएसटी द्वारा जारी विनियमों, दिशानिर्देशों अथवा निर्देशों के अनुसार आरडीआईएफ से संबंधित व्यय और अन्य विवरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा;
- (vi) यह सुनिश्चित करेगा कि आरडीआईएफ वित्तीय लेनदेन का पूर्ण और उचित रिकॉर्ड बनाए रखे और ऐसी प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ अपनाए जो हर समय आंतरिक नियंत्रण प्रदान करें;
- (vii) यह सुनिश्चित करेगा कि आरडीआईएफ कार्यों के निष्पादन के साथ-साथ सेवाओं और आपूर्तियों की खरीद के लिए खरीद प्रक्रिया का पालन करे और इसे निष्पक्ष, न्यायसंगत, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत-प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करें। ईडी आरडीआईएफ यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी प्रक्रियाओं को चुस्ती, गति और दक्षता के साथ डिज़ाइन और निष्पादित किया जाए;
- (viii) यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा कि आरडीआईएफ:

- क. आरडीआईएफ को देय सभी धनराशि एकत्र करे और
 ख. अनधिकृत, अनियमित और फिजूलखर्ची से बचे।

भाग 5ख: लेखांकन से संबंधित नियम

नियम 45 लेखा। आरडीआईएफ उचित लेखा और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रखरखाव करेगा और सीएजी के परामर्श से एएनआरएफ की कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रारूप में वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा। आरडीआईएफ के खाते प्रत्येक वर्ष तैयार किए जाएंगे, जिसमें सभी स्रोतों (डीएसटी, एसएलएफएम, ब्याज आदि) से प्राप्तियाँ और वर्ष के लिए सभी संवितरण (एसएलएफएम को, आरडीआईएफ के परिचालन व्यय), वर्ष के दौरान सृजित अधिशेष या घाटा और देनदारियों एवं परिसंपत्तियों में परिवर्तन दर्शाए जाएंगे।

नियम 46 लेखा अवधि। आरडीआईएफ के वार्षिक खातों में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले लेन-देन दर्ज किए जाएंगे।

नियम 47 मुद्रा। आरडीआईएफ के खाते भारतीय रुपये में रखे जाएंगे। विदेशी मुद्रा लेनदेन और विदेशी सहायता, यदि कोई हो, तो ऐसे लेनदेन की तिथि को भारतीय रुपये में रूपांतरण के बाद खाते में दर्ज की जाएगी।

नियम 48 लेखांकन सिद्धांत। आरडीआईएफ, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के परामर्श से एक लेखा नीति (नकद आधार, उपार्जन आधार या द्वैध आधार) तैयार करेगा और अनुमोदित लेखा सिद्धांत के अनुसार अपना लेखा तैयार करेगा।

नियम 49 पूँजीगत या राजस्व व्यय। स्थायी प्रकृति की मूल परिसंपत्तियों (आरडीआईएफ में उपयोग के लिए और सामान्य व्यावसायिक क्रम में बिक्री के लिए नहीं) के अधिग्रहण या विद्यमान परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए महत्वपूर्ण व्यय को मोटे तौर पर पूँजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा।

परिसंपत्तियों को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक रखरखाव, मरम्मत, रखरखाव और संचालन व्यय पर बाद के प्रभार, साथ ही संगठन के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी व्यय, जिनमें स्थापना और प्रशासनिक व्यय शामिल हैं, राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। पूँजीगत और राजस्व व्यय को आरडीआईएफ खातों में अलग-अलग दर्शाया जाएगा।

नियम 50 पूँजी और राजस्व के बीच व्यय के आवंटन के सिद्धांत। राजस्व और पूँजी के बीच व्यय के आवंटन को नियंत्रित करने वाले मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं:

- (i) पूँजी, किसी परियोजना के प्रारंभिक निर्माण और उपकरणों के साथ-साथ, जब तक कार्य सेवा के लिए शुरू नहीं हो जाता, तब तक उसके मध्यवर्ती रखरखाव के सभी खर्चों को वहन करेगी। वह ऐसे अतिरिक्त परिवर्धन और सुधारों के लिए भी शुल्क वहन करेगी, जो परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को बढ़ाते हैं, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के तहत स्वीकृत किया जा सकता है।
- (ii) नीचे दिए गए खंड (iii) के अधीन, राजस्व, रखरखाव और सभी संचालन व्ययों के लिए बाद के शुल्कों को वहन करेगा। इनमें परियोजना के संचालन और रखरखाव पर होने वाले सभी

व्यय और साथ ही नवीनीकरण, प्रतिस्थापन और परिवर्धन, सुधार या विस्तार पर होने वाले सभी व्यय शामिल हैं, जो आरडीआईएफ द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार राजस्व प्रकृति के हैं।

- (iii) नवीकरण और प्रतिस्थापन के कार्यों के मामले में, जिनमें पूंजी और राजस्व दोनों प्रकार के व्यय शामिल हैं, व्यय का आवंटन इस व्यापक सिद्धांत द्वारा विनियमित किया जाएगा कि राजस्व विभाग को मूल रूप से पूंजी अनुदान से प्रदान की गई संपत्ति की सभी बर्बादी या मूल्यहास के पर्याप्त प्रतिस्थापन के लिए भुगतान करना चाहिए या निधि प्रदान करनी चाहिए। केवल वास्तविक सुधारों की लागत, जो परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को बढ़ाती है, चाहे वह निर्धारित नियमों या सूत्रों द्वारा या आरडीआईएफ के विशेष आदेशों के तहत निर्धारित की गई हो, पूंजी में डेबिट की जा सकती है।
- (iv) बाढ़, आग, भूकंप, शत्रु कार्रवाई आदि जैसी असाधारण आपदाओं से हुई क्षति की मरम्मत के लिए किया गया व्यय, पूंजीगत या राजस्व मद में लिया जाएगा या उनके बीच विभाजित किया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि ऐसे व्यय से नई परिसंपत्तियों का सृजन/अधिग्रहण होता है या यह केवल मौजूदा परिसंपत्तियों की स्थिति को बहाल करने के लिए है, जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थिति के अनुसार आरडीआईएफ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- (v) अस्थायी परिसंपत्ति पर व्यय को सामान्यतः पूंजीगत व्यय नहीं माना जा सकता है और इसे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की सलाह पर विशेष रूप से तय किए गए मामलों को छोड़कर, पूंजीगत शीर्ष में डेबिट नहीं किया जाएगा।

अध्याय 6: एसएलएफएम के लिए चयन और अनुबंध प्रबंधन

नियम 51 एसएलएफएम के चयन की प्रक्रिया। एसएलएफएम के चयन की विधि गुणवत्ता और लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) और नामांकन के आधार पर होगी, जैसा कि द्वितीय स्तरीय निधि प्रबंधकों के चयन में कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है (परिशिष्ट 3 पर संलग्न)।

नियम 52 वाणिज्यिक एसएलएफएम के लिए गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस)। इसी द्वारा अनुमोदित एसएलएफएम के चयन के लिए क्यूसीबीएस का उपयोग किया जा सकता है।

- (i) क्यूसीबीएस में, आरएफपी में घोषित गुणवत्ता मानदंडों के अनुसार, एसएलएफएम की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। केवल उन्हीं प्रतिक्रियात्मक प्रस्तावों पर आगे विचार किया जाता है जिन्होंने गुणवत्ता मानदंडों में कम से कम न्यूनतम विनिर्दिष्ट योग्यता अंक प्राप्त किए हों।
- (ii) गुणात्मक रूप से योग्य बोलीदाताओं (बिडर्स) के लागत मानदंडों को खोलने और मूल्यांकन करने के बाद, एसएलएफएम के गुणवत्ता मानदंडों के स्कोर और एसएलएफएम के लागत मानदंडों के स्कोर के लिए पूर्वनिर्धारित सापेक्ष भारांक देकर एक अंतिम संयुक्त स्कोर प्राप्त किया जाता है।
- (iii) आरएफपी में गुणवत्ता मानदंड के लिए न्यूनतम अर्हक अंक और गुणवत्ता एवं लागत को दिए जाने वाले सापेक्षिक भारांक विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। उच्चतम भारांकित संयुक्त अंक (गुणवत्ता एवं लागत) वाले एसएलएफएम का चयन किया जाएगा।
- (iv) गुणवत्ता मानदंड का भारांक किसी भी स्थिति में 90 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

नियम 53 आरडीआईएफ और एसएलएफएम के बीच अंशदान/ऋण करारों का निष्पादन। आरडीआईएफ, एसएलएफएम के साथ एक उपयुक्त कानूनी करार (अंशदान/ऋण) करेगा। ऐसे समझौते करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए।

(i) सामान्य सिद्धांत:

- क. ऐसे करारों की शर्तें सटीक, निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए।
- ख. आरडीआईएफ के निवेश सिद्धांत (परिशिष्ट 1 पर संलग्न) में अनुमोदित आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकियों/अनुसंधान और विकास तथा आरडीआईएफ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का विवरण।
- ग. निधि अंतरण की आवधिकता (नियम 28 देखें)
- घ. एसएलएफएम निधि आवश्यकताओं का विवरण (नियम 28 देखें)
- ङ. आरडीआईएफ से एसएलएफएम को निधि जारी करने का ब्यौरा (नियम 29 देखें)
- च. परियोजनाओं में आरडीआईएफ निधि के उपयोग की सीमाएँ

- छ. एसएलएफएम को स्टार्टअप सहित कंपनियों में अपने अनुवर्ती निवेशों को नियंत्रित करने के लिए अपने स्वयं के निवेश दिशानिर्देश तैयार करने होंगे।
- ज. प्रौद्योगिकी अधिग्रहण सीमाएँ
- झ. अपवाद और बहिष्करण
- ञ. हितों के टकराव से संबंधित खंड
- ट. मध्यस्थता से संबंधित खंड

(ii) **अंशदान करारों के लिए विशिष्ट।** अंशदान करारों की शर्तों में निम्नलिखित का स्पष्ट विवरण शामिल होना चाहिए:

- क. एआईएफ में आरडीआईएफ अंशदान के लिए वित्तपोषण शर्तें (नियम 30 देखें)
- ख. टर्म लाइफ (नियम 31 देखें)
- ग. आरडीआईएफ वित्तीय अंशदान की सीमाएँ (नियम 32 देखें)
- घ. प्रबंधन शुल्क (नियम 33 देखें)
- ङ. लाभांश ब्याज (कैरीड इंटररेस्ट) (नियम 34 देखें)

(iii) **ऋण करारों के लिए विशिष्ट।** ऋण करारों की शर्तों में निम्नलिखित का स्पष्ट विवरण शामिल होना चाहिए:

- क. ब्याज दरें (नियम 36 देखें)
- ख. अवधि (नियम 37 देखें)
- ग. प्रबंधन शुल्क (नियम 38 देखें)
- घ. लॉक-इन अवधि (नियम 39 देखें)
- ङ. आरडीआईएफ की निवेश सीमा (नियम 40 देखें)
- च. सिंपल पास-थ्रू के मामले में: निवल ब्याज अंतर, अवधि और स्थगन आवश्यकताएँ

नियम 54 अनुबंधों की निगरानी। आरडीआईएफ को एसएलएफएम की निगरानी में पूरी तरह शामिल होना चाहिए और उनके प्रदर्शन की निरंतर निगरानी करनी चाहिए ताकि यह आरडीआईएफ के उद्देश्यों के अनुरूप हो।

परिशिष्ट 1: आरडीआईएफ के निवेश सिद्धांत

1. **परिचय:** ²यह निवेश नीति अनुसंधान, विकास एवं नवाचार निधि (आरडीआईएफ) की निवेश गतिविधियों के लिए एक कार्यनीतिक संरचना प्रस्तुत करती है, जिसे अनुसंधान, विकास एवं नवाचार योजना के अंतर्गत विशेष प्रयोजन निधि (एसपीएफ) के रूप में स्थापित किया गया है। इसे भारत सरकार द्वारा उल्लिखित आरडीआईएफ अधिदेश को पूरा करने के लिए अभिकल्पित किया गया है।
2. **पृष्ठभूमि:** अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) भारत के आर्थिक सुरक्षा, सामरिक उद्देश्य तथा स्वावलंबन के लिए अनिवार्य हैं। कार्यनीतिक स्वायत्तता तथा प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए भारत को हमारे चुने हुए पांच से दस प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में, वैश्विक स्तर पर शीर्ष तीन से पांच तक की श्रेणी में रहना होगा।

इसे प्राप्त करने हेतु भारत ने अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में सुदृढ़ता अर्जित की है। 2024 के ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टिट्यूट (एएसपीआई) के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रैकर³ के अनुसार भारत 64 महत्वपूर्ण तकनीकों में से 45 में उच्च प्रभावशाली अनुसंधान के लिए विश्व के शीर्ष पांच स्थानों में है; वैज्ञानिक प्रकाशनों की वार्षिक संख्या में शीर्ष तीन; विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के पीएचडी धारकों की संख्या में शीर्ष तीन; तथा निवासित पेटेंट दायरकर्ताओं में शीर्ष सात स्थान पर है। भारत ने कार्यनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकीकृत साइबर-भौतिक प्रणाली मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, भारत एआई मिशन सहित कई समर्पित कार्यक्रम शुरू किए हैं।

इसके बावजूद, 2021 में भारत के अनुसंधान और विकास निवेश में निजी क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 36.4% था। संयुक्त सार्वजनिक एवं निजी निवेश कुल सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.64% था। इसके कारण निम्नलिखित हैं:

- 2.1 **अनुसंधान एवं विकास स्केलिंग और आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकियों की विशेष प्रकृति⁴।** आरडीआई में निजी निवेश की कमी, वैज्ञानिक प्रगति को व्यावसायिक अवसरों पर लागू करने में निहित नवीनता और अनिश्चितता के कारण है। आरडीआई-गहन उभरती तकनीकों का विकास करने वाली

² यह दिशानिर्देश तीन पहलुओं में संतुलन स्थापित करते हैं: (क) सार्वजनिक निधियों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही, (ख) निजी निवेशकों को अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (आरडीआई)-गहन तकनीकी नवप्रवर्तकों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना, तथा (ग) भारतीय कंपनियों के जोखिम प्रबंधन सहित आरडीआई-गहन तकनीकों के नवाचार को बढ़ावा देना, जो आरडीआईएफ के अंतिम लाभार्थी होते हैं।

³ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रैकर रिपोर्ट (2024), ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टिट्यूट। परिशिष्ट 1 देखें: शीर्ष 5 देशों का दृश्य सारांश (2019-2023)।

⁴ सरकार की स्थिति: (क) निजी निवेश बाजार में हस्तक्षेप, (ख) आरडीआईएफ के करदाता निधियों का केवल अनुसंधान एवं विकास/आरडीआई-गहन तकनीकों तक सीमित उपयोग, (ग) ऐसी प्रौद्योगिकियों की सुनम्य परंतु सुदृढ़ परिभाषा—नीचे देखें।

इकाइयां निम्नलिखित से मूल्य प्राप्त करती हैं: (क) विज्ञान के आधार को मजबूत करने में नई प्रगति, और (ख) इन प्रगतियों के नए उपयोगों के तहत बाजारों का सृजन। यह नवीनता आरडीआई से होने वाले उच्च आर्थिक लाभ और क्षमता के लिए अनिवार्य है। हालाँकि, इससे तकनीकी विकास में विफलता के बिंदु और ऐसी विफलताओं से जुड़ी अनिश्चितताएँ भी बढ़ जाती हैं। इसका असर नवप्रवर्तकों और निवेशकों, दोनों पर पड़ता है।

2.2. नवप्रवर्तकों को प्रभावित करने वाले जोखिम: विकास एवं अनुसंधान के विभिन्न चरणों में उपर्युक्त असफलता के कारण और अनिश्चितताएँ प्रभावी होती हैं, जिनमें शामिल हैं: (क) उत्पाद विकास, जिसमें नए तकनीकों की अप्रयुक्त कार्यक्षमता और संरचनाएं चुनौतीपूर्ण होती हैं; (ख) उत्पादन, जिसमें अपरिभाषित मूल्य श्रृंखलाएं, अपरिपक्व आपूर्ति नेटवर्क और स्थापित तकनीकी या नियामक मानकों का अभाव जटिलता उत्पन्न करता है; तथा (ग) विपणन एवं स्वीकृति, जो अप्रत्याशित उपयोगकर्ता व्यवहार और नई तकनीकों के लिए बाजार सुलभता के कारण बाधित होती है। ये जोखिम सम्मिलित रूप से नकद प्रवाह की अस्थिरता बढ़ाते हैं, जिससे विशेषकर प्रारंभिक चरण की कंपनियों के लिए उद्यम विफलता का खतरा बढ़ जाता है।

2.3. निवेशकों को प्रभावित करने वाले जोखिम: अनुसंधान, विकास एवं नवाचार की नवीनता और अनिश्चितता पारंपरिक जोखिम आकलन प्रणालियों, जिनका प्रयोग निजी निवेशक आमतौर पर पूंजी संपत्ति मूल्य निर्धारण मॉडल जैसे परिपक्व क्षेत्रों में करते हैं, की उपलब्धता को सीमित करती है। इसके अतिरिक्त, निवेशकों के लिए वैज्ञानिक रूप से जटिल आरडीआई-आधारित परियोजनाओं की समझ नवप्रवर्तकों, जो उनके निवेश की मांग करते हैं, की तुलना में सीमित हो सकती है।

इस सूचना विषमता के कारण निजी निवेशकों में निवेश की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करते समय अनिश्चितता उत्पन्न होती है और प्रमुख-कारक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे प्रतिकूल चयन (जहां नवप्रवर्तक अपनी तकनीकों के जोखिम का कम मूल्यांकन करते हैं ताकि कम कीमत पर पूंजी प्राप्त कर सकें) एवं नैतिक जोखिम (जहां निवेशकर्ता निधियों का दुरुपयोग नवाचार वित्तपोषण से भिन्न उद्देश्यों के लिए करते हैं)। इससे निवेशकों की नकदी प्रवाह और लाभ प्रभावित होते हैं, जिससे अवधि में आरडीआई के पैमाने को विस्तार देने के लिए आवश्यक निजी निवेश बाधित होता है।

2.4. आरडीआईएफ समाधान: आरडीआईएफ इन चुनौतियों का समाधान निम्नलिखित रूप से करता है:

(i) आरडीआई-गहन तकनीकों के विकास में संलग्न पात्र इकाइयों को पूंजी के माध्यम से निम्नलिखित रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है:

(क) विकासात्मक चरणों (प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर 4 और उससे ऊपर) में, जो अनुसंधान एवं विकास के पैमाने के लिए अनुकूल हैं;

(ख) विफलता के जोखिम से बचने के लिए पर्याप्त रूप से कम दरें; और

(ग) विफलता से उबरने और अनुसंधान एवं विकास की विस्तारित उत्पादनपूर्व अवधि संबंधी पर्याप्त रूप से लंबा कार्यकाल;

(ii) इन निधियों को द्वितीय स्तरीय निधि प्रबंधकों के माध्यम से, जिनमें निजी निवेशक भी शामिल होंगे, इतनी कम दरों पर प्रवाहित किया जाएगा कि आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकियों में निवेश करते समय उनका जोखिम सीमित रहे। यह मिश्रित वित्तपोषण दृष्टिकोण भारत के निजी निवेशकों को उभरती प्रौद्योगिकियों से परिचित कराता है, ताकि:

(क) निवेश की अनिश्चितता को कम किया जा सके;

(ख) दीर्घकालिक आधार पर बड़े पैमाने पर अनुसंधान एवं विकास के लिए निजी पूंजी जुटाई जा सके।

3. **उद्देश्य:** आरडीआईएफ निम्नलिखित उद्देश्यों सहित स्थापित की गई है:

- 3.1. निजी क्षेत्र को उदीयमान क्षेत्रों तथा आर्थिक सुरक्षा, कार्यनीतिक प्रयोजन और आत्मनिर्भरता के लिए प्रासंगिक अन्य क्षेत्रों में आरडीआई बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करना।
- 3.2. प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर (टीआरएल) 4 और उससे अधिक के उच्च स्तर पर परिवर्तनकारी परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।
- 3.3. उन प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण को समर्थन देना जो अति-महत्वपूर्ण अथवा उच्च कार्यनीतिक महत्व की हैं।
- 3.4. डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स की स्थापना को सुगम बनाना।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के अभिप्राय से आरडीआईएफ की निवेश नीतिगत संरचना अभिकल्पित की गई है।

4. **निजी क्षेत्र को आरडीआई स्तरोन्नयन हेतु प्रोत्साहन: निधियों तक पहुँचा** निजी क्षेत्र द्वारा आरडीआई के स्तरोन्नयन हेतु प्रोत्साहित करने हेतु, आरडीआईएफ निम्नलिखित कार्य करेगा:

- 4.1 पात्र प्रौद्योगिकी इकाइयाँ (निम्न पैरा 6 में यथा परिभाषित), जिसमें प्रौद्योगिकीय तैयारी स्तर (टीआरएल) 4 से आगे अनुसंधान और विकास का स्तरोन्नयन करने वाली स्टार्टअप कंपनियाँ शामिल हैं, को निम्नवत निधि उपलब्ध कराना:

(i) वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण के माध्यम से:⁵ (क) दीर्घकालिक ऋण (वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण सहित), जिनके असुरक्षित रहने की अपेक्षा है। (ख) इक्विटी, विशेषकर स्टार्टअप कंपनियों के मामले में। (ग) इन दोनों का सम्मिश्रण।

(ii) कम दरों पर धैर्यशील पूंजी के साथ, ताकि जोखिमों को नियंत्रित किया जा सके और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने की विस्तारित उत्पादनपूर्व अवधियों को बनाए रखा जा सके।

(iii) परंतु अनुदान वित्तपोषण अथवा अल्पावधि ऋणों के माध्यम से नहीं होगा।

4.2. इन निधियों को द्वितीय स्तर निधि प्रबंधकों (एसएलएफएम) के माध्यम से प्रवाहित करना, जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ)।

क. इनमें वे एआईएफ भी शामिल हो सकते हैं जो स्वयं भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 में अनुमत अन्य एआईएफ की इकाइयों में निवेश करते हैं। ऐसी एआईएफ को निधि कोष के रूप में संदर्भित किया जाएगा। ऐसे मामलों में, ये निधि कोष यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस किसी भी सहायक एआईएफ में वे आरडीआईएफ की निधियों का योगदान करते हैं: (क) वे स्वयं आरडीआईएफ की निधियों को अन्य एआईएफ की इकाइयों में निवेश नहीं करेंगे। (ख) वे स्वयं कार्यान्वयन दिशानिर्देशों में एसएलएफएम के लिए विनिर्दिष्ट सभी प्रावधानों का पालन करेंगे और उन्हें एसएलएफएम के रूप में माना जाएगा।

(ii) विकास वित्त संस्थान (डीएफआई)।

(iii) गैर-बैंकिंग वित्त निगम (एनबीएफसी), और

(iv) केंद्रित अनुसंधान संगठन (एफआरओ)।

4.3 यह निधि एसएलएफएम को निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करना :

(i) एआईएफ में अंशदान, विशिष्ट रूप से एआईएफ न्यासों की योजनाओं में इकाइयों की खरीद के माध्यम से।

(ii) कम दरों पर विस्तारित अवधि के ऋण।

⁵ “आरडीआई योजना का उद्देश्य आरडीआई में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु शून्य या कम ब्याज दरों पर दीर्घ अवधियों के साथ दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण उपलब्ध कराना है।”
<https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2141130>

5. **उदीयमान क्षेत्र: आरडीआईएफ प्राथमिकता वाले क्षेत्र।** उदीयमान क्षेत्रों को लक्षित करने के भारत सरकार के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, आरडीआईएफ नीचे पैरा 6 में परिभाषित पात्र प्रौद्योगिकी इकाइयों को निम्नलिखित क्षेत्रों में वित्तपोषित करेगा:

5.1. उदीयमान क्षेत्रों में:

- (i) ऊर्जा सुरक्षा और अवस्थांतर, तथा जलवायु परिवर्तन;
- (ii) क्वांटम संगणन, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष सहित 'गहन प्रौद्योगिकी';
- (iii) कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित भारतीय समस्याओं पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उसका अनुप्रयोग;
- (iv) जैव प्रौद्योगिकी, जैव-विनिर्माण, संश्लेषित जीव विज्ञान, औषधियाँ और चिकित्सा उपकरण;
- (v) डिजिटल कृषि सहित डिजिटल अर्थव्यवस्था;

5.2. अन्य क्षेत्रों में:

- (i) ऐसी प्रौद्योगिकियाँ जिनका स्वदेशीकरण कार्यनीतिक कारणों से अथवा आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है;
- (ii) जनहित में आवश्यक माने गए कोई अन्य क्षेत्र अथवा प्रौद्योगिकी;

5.3. एनआरएफ कार्यकारी परिषद की सिफारिश पर आरडीआईएफ सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) के अनुमोदन से इन सूचियों में अद्यतन किए गए क्षेत्रों में;

5.4. ऐसा तरीका जो प्रयोगशाला-परीक्षित घटकों से लेकर निर्मित उत्पादों और सिद्ध प्रणालियों तक, अनुसंधान एवं विकास के विस्तार में समूचे उद्योग क्षेत्र को सहयोग प्रदान करता हो, आरडीआईएफ, अनुसंधान एवं विकास को प्रयोगशाला से व्यावसायीकरण की ओर ले जाने वाले संपूर्ण मूल्य नेटवर्क में कार्यरत कंपनियों को व्यवस्थित रूप से निधीयन प्रदान करके इसे प्राप्त करेगा। इससे भारतीय अनुसंधान एवं विकास (आरडीआई) के इर्द-गिर्द नए उद्योग स्थापित करने अथवा मौजूदा उद्योगों के रूपांतरण में सहायता मिलेगी।

6. **एसएलएफएम के माध्यम से आरडीआईएफ निधि प्राप्ति हेतु पात्रता मानदंड**

6.1. एसएलएफएम⁶ से⁷ द्वारा निवेश के समय आरडीआईएफ की निधियाँ केवल पात्र प्रौद्योगिकी इकाइयों को ही उपलब्ध कराई जाएँगी, जो निम्नलिखित हैं:

- (i) भारत में पंजीकृत कोई भी विधिक इकाई, और भारत के प्रयोज्य कानूनों (जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932, सीमित देयता भागीदारी

⁶ इस खंड का उद्देश्य भारत के लिए रणनीतिक स्वायत्तता और उत्पाद आधारित अर्थव्यवस्था हासिल करना है। इसलिए यह सुनिश्चित करता है कि नियंत्रणकारी हिस्सेदारी भारतीय नागरिकों के पास रहे, ताकि RDIF द्वारा वित्तपोषित कंपनियों और तकनीकों को भारत के बाहर के लोग इस उद्देश्य को प्रभावित करने वाले तरीके से अधिग्रहित न कर सकें। इसके समान रूप से, यह खंड भारतीय कंपनियों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जुटाने की अनुमति देता है, ताकि वे RDIF वित्तपोषण के परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर के प्रतिस्पर्धी मानकों तक पहुँच सकें।

⁷ जैसा कि उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की अधिसूचना सा.का.नि. 127(अ) दिनांक 19 फरवरी 2019 में परिभाषित किया गया है।

अधिनियम, 2008, आदि शामिल हैं; इसमें उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की दिनांक 19 फरवरी 2019 की अधिसूचना सा.का.नि. 127 (अ) यथासमय-यथासंशोधित); में परिभाषित स्टार्टअप कंपनियाँ शामिल होंगी, जिनका मूल कार्य/परिचालन स्थल भारत में हो; और जो प्रौद्योगिकीय तत्परता स्तर 4 और उससे ऊपर की आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी के विकास में संलग्न हों।

(ii) जो, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की समेकित एफडीआई नीति (2020) में परिभाषितानुसार, निवासी भारतीय नागरिकों⁸ के नियंत्रण⁹ में हों।

(iii) जिनका पंजीकृत वैश्विक मुख्यालय भारत में हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वैश्विक राजस्व और लाभ भारतीय-पंजीकृत इकाई के अधीन समेकित हों।

6.2. आरडीआईएफ निधीयन प्राप्त करने वाली पात्र प्रौद्योगिकी इकाईयाँ, आरडीआईएफ वित्तपोषण के परिणामस्वरूप विकसित होने वाले सभी बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर)¹⁰ के लिए, प्रयोज्य भारतीय कानून और नियमों में परिभाषितानुसार, निम्नलिखित कार्य करेंगी:

(i) ऐसे आईपीआर को प्रयोज्य भारतीय कानून और नियमों के तहत भारत में पंजीकृत कराना।

(ii) प्रयोज्य भारतीय कानून के तहत आईपीआर की अवधि (अर्थात् जिस अवधि के लिए आईपीआर वैध है) के लिए ऐसे आईपीआर का स्वामित्व बनाए रखना।

6.3. आरडीआईएफ निधि प्राप्त करने वाली पात्र प्रौद्योगिकी इकाईयाँ, सुरक्षा, निर्यात नियंत्रण, विदेशी अधिग्रहण¹¹ या नियंत्रण, और अन्य कार्यनीतिक मामलों संबंधी भारत सरकार के प्रयोज्य नियमों और निर्देशों का पालन करेंगी।

6.4. आरडीआईएफ द्वारा विकसित कई प्रौद्योगिकीयाँ सरकारी एजेंसियों जैसे कि आत्मनिर्भर भारत के अधीन, के लिए प्रासंगिक नई क्षमताएँ प्रदान करेंगी। आरडीआईएफ इस संबंध में निर्णयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने और उनके साथ समन्वय स्थापित करने हेतु सक्रिय रूप से; भारत सरकार की संबंधित एजेंसियों के साथ संपर्क करेगा।

7. परिवर्तनकारी परियोजनाओं का वित्तपोषण

⁸ डीपीआईआईटी समेकित एफडीआई नीति 2020 धारा 2.1.9: 'नियंत्रण' में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार या प्रबंधन अथवा नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या मिलकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी शेरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों के आधार पर किया जा सकता है। सीमित देयता भागीदारी के प्रयोजनों के लिए, 'नियंत्रण' का अर्थ अधिकांश नामित साझेदारों को नियुक्त करने का अधिकार होगा, जहाँ ऐसे नामित साझेदारों का, दूसरों को विशेष रूप से छोड़कर, एलएलपी की सभी नीतियों पर नियंत्रण होता है। "

⁹ डीपीआईआईटी समेकित एफडीआई नीति 2020 की धारा 2.1.45: "'निवासी भारतीय नागरिक' की व्याख्या फेमा, 1999 के अनुसार 'भारत में निवासी व्यक्ति' की परिभाषा के अनुरूप की जाएगी, जिसे भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के साथ पढ़ा जाएगा। "

¹⁰ सभी लागू भारतीय कानून, नियम और दिशानिर्देश लागू होंगे। आईपीआर में पेटेंट, ट्रेडमार्क, पंजीकृत डिजाइन, कॉपीराइट और एकीकृत परिपथों के लेआउट डिजाइन शामिल हैं। उदाहरण के लिए, इनमें पेटेंट अधिनियम, 1970, जैसा कि पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 1999, 2002 और 2005 द्वारा संशोधित किया गया है; सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट-डिजाइन अधिनियम, 2000; पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001; डिजाइन अधिनियम, 2000; ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999; कॉपीराइट अधिनियम, 1957; और अन्य शामिल होंगे। आरडीआई वित्तपोषण के परिणामों को व्यापक रूप से समावेश करने के लिए डिजाइन की गई विवरणात्मक सूची, दूरसंचार विभाग के दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि से भारत सरकार की पूर्ववर्ती उदाहरण से ली गई है।

¹¹ इसमें महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) द्वारा पर्यवेक्षित विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियाँ (स्कोपेट) सूची शामिल है।

- 7.1. वित्तपोषित परियोजनाएँ। एसएलएफएम, प्रौद्योगिकीय तत्परता स्तर (टीआरएल) 4 या उससे उच्च से उन्नत पात्र प्रौद्योगिकी इकाइयों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के लिए आरडीआईएफ पूंजी का उपयोग करेंगे। एसएलएफएम द्वारा परियोजना का चयन, आरडीआईएफ अधिदेश और निधि आवंटन में परिभाषित क्षेत्रों और परियोजना प्रकारों के भीतर ही किया जाएगा।
- 7.2. निधीयन सीमा। योजना के अधीन वित्तपोषण, परियोजना की कुल आकलित लागत के अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। शेष वित्तपोषण परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वयं या वाणिज्यिक स्रोतों से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। असाधारण प्रकृति की परियोजनाओं/क्षेत्रों में, वित्तपोषण में सरकारी हिस्से की वित्तीय सीमा को ईजीओएस के अनुमोदन से शिथिल किया जा सकता है।
- (i) ऋण। एसएलएफएम से ऋण वित्तपोषण (ऋण या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण के माध्यम से) प्राप्त करने वाली पात्र प्रौद्योगिकी इकाइयों के लिए, इसकी गणना परियोजना की लागत के 50%, जैसा कि किसी परियोजना के स्पष्ट रूप से परिभाषित परिदृश्यों और परिणाम प्राप्ति के प्रस्ताव में निर्दिष्ट है, के रूप में की जाएगी।
- (ii) इक्विटी। एसएलएफएम से इक्विटी या इक्विटी-संबद्ध साधनों के माध्यम से वित्तपोषण प्राप्त करने वाली पात्र प्रौद्योगिकी संस्थाओं के लिए, इसकी गणना प्रत्येक निधीयन चक्र के मूल्य के 50% के रूप में की जाएगी। इस मूल्य पर तब विचार किया जाएगा जब इसमें धन जुटाने के समय प्रस्तावित उद्देश्यों को प्राप्त करने की सम्पूर्ण लागत शामिल हो। निधीयन के प्रत्येक चरण में, आरडीआईएफ निधीयन 50% ही रहेगा।
- टिप्पणी: परियोजना (ऋण के मामले में) अथवा उद्देश्य (इक्विटी वित्तपोषण के मामले में) पूर्ण हो जाने पर, पात्र प्रौद्योगिकी इकाइयाँ अनुवर्ती परियोजनाओं/उद्देश्यों के लिए आरडीआईएफ निधि की पात्र हो सकती हैं।

8. अनुसंधान, विकास, नवाचार

- 8.1. आरडीआईएफ निधियाँ केवल आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकियों को सहायता देने के लिए उपयोग की जाएँगी, जो:¹²
- (i) सामान्यतः विज्ञान और अभियांत्रिकी नवाचार में हुई प्रगतियों पर आधारित होती हैं;
- (ii) कार्यक्षमता, अंगीकरण, उत्पादन, मानक/वास्तुकला में आमतौर पर उच्च अनिश्चितता (और परिणामस्वरूप विफलता जोखिम) रखती हैं;

¹² ये विशेषताएँ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) में **मरे** और अन्य के कार्य से, द वार्टन स्कूल में **डे** और **शूमेकर** के कार्य से, यूएसपीटीओ में **कोलेव** और अन्य के कार्य से, न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय में **रोजर्स** के कार्य से, जॉर्ज मेसन विश्वविद्यालय और आईबीएम में **ऑवर्सवालड** और **ब्रैसकॉम्ब** के कार्य से, प्रॉपेल {एक्स} में **स्वाति चतुर्वेदी** के कार्य से, और अन्य से **व्युत्पन्न** हैं। ये **उभरती प्रौद्योगिकियाँ**, **गहन प्रौद्योगिकी**, और **प्रारंभिक चरण के प्रौद्योगिकी विकास और उद्यमिता** के क्षेत्रों में निर्णायक प्राधिकरण हैं। (स्वाति चतुर्वेदी वर्ष 2015 में 'गहन प्रौद्योगिकी' शब्द गढ़ने वाली पहली व्यक्ति हैं।) ये विशेषताएँ **वैश्विक सरकारी पहलों** के साथ **संगत** बनी हुई हैं।

(iii) उत्पाद विकास से पहले वैज्ञानिक या अभियांत्रिकी अनुसंधान एवं विकास में निवेश की माँग कर सकती हैं।

8.2. योजना के अधीन किसी विशिष्ट प्रौद्योगिकी के समावेश की माँग करने वाले भारत सरकार के मंत्रालय अपने प्रस्ताव एएनआरएफ कार्यकारी परिषद (ईसी) के विचारार्थ डीएसटी को प्रस्तुत करेंगे, जिसकी तदुपरांत ईजीओएस को अंतिम अनुमोदन हेतु सिफारिश की जाएगी।

टिप्पणी: आरडीआईएफ निम्न-स्तरीय प्रौद्योगिकी परियोजनाओं या जिसे सामान्यतः "नेमी" अनुसंधान और विकास माना जाता है, को वित्तपोषित नहीं करेगा। कार्यकारी परिषद इन विशेषताओं और शर्तों को आवश्यकतानुसार संशोधित कर सकती है।

9. **बाजार:** आरडीआईएफ उन बाजारों को भी लक्षित करने का प्रयास कर सकता है जो:

- 9.1. सुदृढ़ माँग रखते हैं, जिससे शीघ्र अभिग्रहण को बढ़ावा मिलता है;
- 9.2. वैश्विक स्तर पर अत्यधिक विस्तृत हैं, जिससे अभिग्रहण का विस्तार होता है;
- 9.3. उच्च चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि का वादा करते हैं।

10. **एसएलएफएम का चयन।** एसएलएफएम का चयन एसएलएफएम चयन दिशानिर्देशों (परिशिष्ट 3) के अनुसार किया जाएगा।

11. **एसएलएफएम को आरडीआईएफ के वित्तीय अंशदान की सीमाएँ: एआईएफ में अंशदान**

11.1. आरडीआईएफ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकियों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु: आरडीआईएफ एआईएफ में कुल पूंजी के एक ऐसे प्रतिशत के रूप में अंशदान देगा जो कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है; यह प्रतिशत आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकियों और आरडीआईएफ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर एआईएफ के फोकस को प्रतिबिंबित करेगा, ताकि इन प्रौद्योगिकियों और क्षेत्रों के लिए आरडीआईएफ वित्तपोषण में वृद्धि सक्षम हो सके। आरडीआईएफ-वित्तपोषित निधि कोष उपरोक्त समान दृष्टिकोण के माध्यम से एआईएफ में आरडीआईएफ पूंजी का अंशदान देंगे।

11.2. आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकियों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए विशिष्ट आरडीआईएफ निधियाँ। उपरोक्त सभी श्रेणियों में, एसएलएफएम द्वारा आरडीआईएफ से अंशदान किए गए सभी निधीयन को केवल उन्हीं पात्र प्रौद्योगिकी इकाइयों में निवेश किया जाएगा जो (क) आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकियों, जैसा कि उपरोक्त पैरा 8 में परिभाषित है, और (ख) आरडीआईएफ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसा कि उपरोक्त पैरा 5 में परिभाषित है, पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

- 11.3. कार्यकारी परिषद, यदि वह उपयुक्त समझे, तो एसएलएफएम द्वारा आरडीआईएफ पूंजी के उपयोग के साथ-साथ, आरडीआईएफ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकियों में निजी निधियों से न्यूनतम अंशदान को अनिवार्य कर सकती है।
12. **एसएलएफएम को आरडीआईएफ वित्तीय योगदान की सीमाएँ:** ऋण। आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को ऋण माध्यम से प्रदान की जाने वाली पूंजी की अधिकतम सीमा कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
13. **अति-महत्वपूर्ण अथवा उच्च कार्यनीतिक महत्व वाली प्रौद्योगिकियों का अधिग्रहण।** अति-महत्वपूर्ण अथवा उच्च कार्यनीतिक महत्व वाली प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण का वित्तपोषण भी अनुमेय होगा। यह अधिग्रहण एक व्यापक परियोजना के संदर्भ में होना चाहिए जो किसी उत्पाद के विकास में परिणत हो।
- 13.1. अति-महत्वपूर्ण और कार्यनीतिक महत्व की परिभाषा ईजीओएस के अनुमोदन हेतु कार्यकारी परिषद द्वारा अनुशंसित की जाएगी।
- 13.2. ऐसे अधिग्रहण के लिए आरडीआईएफ निधियों से एसएलएफएम द्वारा किया जाने वाला कुल वित्तपोषण उस एसएलएफएम को आबंटित कुल निधियों की प्रतिशत सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
- 13.3. ऐसी सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी जहाँ एसएलएफएम का गठन विशेष रूप से अधिग्रहण के लिए किया गया है।
14. **निजी क्षेत्र को आरडीआई स्तरोन्नयन हेतु प्रोत्साहन:** *व्यापक जोखिम-शमन भागीदारी।* भारतीय निजी क्षेत्र के आरडीआई के स्तरोन्नयन में अधिकतम सफलता सुनिश्चित करने हेतु:
- 14.1. आरडीआईएफ प्रौद्योगिकी की खरीद और अधिग्रहण करने वाली सरकारी एजेंसियों, विशेषकर कार्यनीतिक क्षेत्रों में, के साथ पहुँच, जागरूकता और सूचना भागीदारी स्थापित करेगा।
- 14.2. आरडीआईएफ यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी एजेंसियों को आरडीआईएफ निधीयन द्वारा विकसित की जा रही भारतीय प्रौद्योगिकीय क्षमताओं के बारे में सूचित किया जाए, जो उनकी आवश्यकताओं और खरीद योजनाओं के लिए प्रासंगिक हो सकती हैं।
- 14.3. इसी प्रकार, आरडीआईएफ ऐसी एजेंसियों की आवश्यकताओं के बारे में एसएलएफएम और उनकी अंतिम निवेशकर्ता कंपनियों तथा स्टार्टअप को सूचित करेगा, जिससे उनका अनुसंधान एवं विकास बढ़ाने में मार्गदर्शन होगा।
- 14.4. ऐसा समन्वय एक मुक्त, पारदर्शी, न्यायसंगत दृष्टिकोण का अनुसरण करेगा।
- 14.5. आरडीआईएफ उन सार्वजनिक संस्थाओं और संगठनों के साथ भी ऐसी भागीदारी स्थापित करेगा जिनमें अनुसंधान उपकरण और अन्य प्रौद्योगिकी जोखिम-शमन सुविधाएँ हैं, जिन्हें आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी के भारतीय नवाचारकों के लिए आवश्यक माना जा सकता है।

15. अपवाद और अपवर्जन

- 15.1. आरडीआईएफ वाणिज्यिक पूर्व अनुसंधान एवं विकास के लिए अगली पीढ़ी की प्रयोगशालाओं को वित्तपोषित नहीं करेगा। हालाँकि, ऐसी प्रयोगशालाओं की स्थापना की लागत आरडीआईएफ द्वारा एक परियोजना के रूप में वित्तपोषित किए जाने वाले बड़े प्रस्तावों का हिस्सा बन सकती है।
- 15.2. आरडीआईएफ सरकारी इकाइयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा आरडीआई को वित्तपोषित नहीं करेगा, जब तक कि वे निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में कार्यनीतिक परियोजनाओं में शामिल न हों।
- 15.3. आरडीआईएफ अनुदान वित्तपोषण प्रदान नहीं करेगा। आरडीआईएफ अल्पावधि ऋण भी प्रदान नहीं करेगा, जिनकी पूर्ति वाणिज्यिक वित्त से की जा सकती है।

परिशिष्ट 1क से परिशिष्ट 1: कार्यनीतिक क्षेत्रों हेतु विशेष प्रावधान

1. आर्थिक सुरक्षा, कार्यनीतिक प्रयोजन, और आत्मनिर्भरता के लिए आरडीआई के स्तरोन्नयन के भारत सरकार के उद्देश्यों का पालन करने हेतु: आरडीआईएफ, एसएलएफएम के साथ किए गए अपने संविदात्मक समझौतों में शर्तें शामिल करेगा।
2. इसके लिए एसएलएफएम को कार्यनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ अपने निवेश/ऋण समझौतों में विशेष प्रावधान शामिल करने होंगे।

2.1. निम्नलिखित संबंधी विशिष्ट एवं अपवादात्मक परिस्थितियों में:

- (i) आपातकाल की स्थिति;
- (ii) राष्ट्रीय हित की सुरक्षा या जब जनहित में आवश्यक हो;
- (iii) जनहित में सरकार द्वारा कार्रवाई करने हेतु स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताएँ;
- (iv) राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से;

आरडीआईएफ, कार्यकारी परिषद के मार्गदर्शन के अनुसार, राष्ट्रीय हित में आरडीआईएफ-वित्तपोषित आईपी या उसके व्यावसायीकृत रूपों का उपयोग करने का विकल्प सुरक्षित रखेगा।¹³

¹³ आरडीआईएफ का दृष्टिकोण आत्मनिर्भरता और कार्यनीतिक स्वायत्तता प्राप्त करना है। यह प्रावधान इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है।

परिशिष्ट 2: आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को निधि देने के लिए वित्तीय ढांचा

1. **पृष्ठभूमि।** ये दिशानिर्देश अनुसंधान विकास और नवाचार निधि (आरडीआईएफ) निवेश नीति (परिशिष्ट 1) के अनुसार तैयार किए गए हैं। ये दिशानिर्देश सामान्य शर्तें विनिर्दिष्ट करते हैं जिन पर आरडीआईएफ द्वितीय स्तरीय निधि प्रबंधकों (एसएलएफएम) को भारत सरकार द्वारा निर्धारित व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप धनराशि आवंटित करता है।
 2. **प्रथम स्तरीय संरक्षक या निधि प्रबंधक।** अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान की एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई, आरडीआईएफ के प्रथम स्तरीय संरक्षक या निधि प्रबंधक के रूप में कार्य करती है, जिसकी एक अलग टीम विनिर्दिष्ट रूप से निधि का प्रबंधन करेगी। यह निधि भारत सरकार से 50-वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में होगी और योजना कोष के रूप में कार्य करेगी। इस कोष के लिए धनराशि, एसएलएफएम को संवितरण के लिए निधियों की अर्ध-वार्षिक निवल आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाएगी।
 3. **द्वितीय स्तरीय निधि प्रबंधक।** एसएलएफएम से तात्पर्य आरडीआईएफ निवेश नीति में विनिर्दिष्ट संस्थाओं से है।
 4. **निधि प्रवाह।** भारत की समेकित निधि (सीएफआई) से निधियाँ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के माध्यम से आरडीआईएफ में और आरडीआईएफ से अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में संलग्न निजी पात्र प्रौद्योगिकी संस्थाओं में आगे के परिनियोजन के लिए, और इसके विपरीत, आरडीआईएफ के विशेष वित्तीय नियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से एसएलएफएम में प्रवाहित होती हैं।
 5. **निवेश स्रोत।** आरडीआईएफ से एसएलएफएम को निम्नलिखित निवेश स्रोतों के रूप में धनराशि प्राप्त होगी:
 - 5.1. वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) में अंशदान के माध्यम से निवेश, जिसमें वे भी शामिल हैं जो इस दस्तावेज़ में निधियों के कोष के रूप में उल्लिखित व्यवस्थाओं में अन्य एआईएफ की इकाइयों में निवेश करते हैं; और
 - 5.2. ऋण वित्तपोषण।
- टिप्पणी:** आरडीआईएफ द्वारा किसी भी अनुदान या अल्पकालिक ऋण की अनुमति नहीं है।
6. **एआईएफ निवेश स्रोत(stream) हेतु विशिष्ट प्रावधान।** एआईएफ निवेश स्रोत में आरडीआईएफ के अंशदान सामान्यतः नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार एआईएफ ट्रस्ट की किसी योजना में इकाइयों की खरीद के माध्यम से होंगे:
 - 6.1. **पात्र संस्थाएँ।**
 - (i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 में यथा परिभाषित एआईएफ। ये मौजूदा या नए एआईएफ हो सकते हैं।
 - (ii) निधियों का कोष (फंड ऑफ फंड्स), जो बदले में इन निधियों को एआईएफ की इकाइयों में निवेश करेंगे।
 - 6.2. **निवेश सिद्धांत।** आरडीआईएफ, एआईएफ को अंशदान के तीन सुझाए गए तरीकों के माध्यम से धनराशि आवंटित करेगा:

- (i) माध्यम 1: आरडीआईएफ, एआईएफ द्वारा निजी अंशदानकर्ताओं को दी जाने वाली हर्डल रेट से कम आंतरिक प्रतिफल दर पर पूंजी प्रदान करता है। एआईएफ को आरडीआईएफ को वितरणों को प्राथमिकता देनी होगी, उदाहरण के लिए, वितरण प्रणाली में आरडीआईएफ को उच्च स्थान प्रदान करके।
- (ii) माध्यम 2: आरडीआईएफ, एआईएफ को अन्य अंशदानकर्ताओं के समान ही हर्डल रेट और/या आंतरिक प्रतिफल दर पर पूंजी प्रदान करता है। इसे एआईएफ के अन्य अंशदानकर्ताओं के साथ समान रूप से वितरण प्राप्त होगा।
- (iii) माध्यम 3: आरडीआईएफ, एआईएफ द्वारा निजी अंशदानकर्ताओं को दी जाने वाली प्रतिफल दर से अधिक आंतरिक प्रतिफल दर पर पूंजी प्रदान करता है। वितरण प्रणाली में आरडीआईएफ का स्थान निम्नतर होगा।

टिप्पणियाँ

- (i) सभी माध्यम का ब्यौरा आरडीआईएफ प्रबंधन टीम द्वारा तैयार किया जा सकता है। विशिष्ट शर्तों और अन्य माध्यमों पर कार्यकारी परिषद द्वारा विचार किया जाएगा।
 - (ii) आरडीआईएफ द्वारा वित्तपोषित फंड्स ऑफ फंड्स, ऊपर विनिर्दिष्ट समान माध्यम से एआईएफ में आरडीआईएफ पूंजी का अंशदान करेंगे।
- 6.3. निधियों के आवंटन की शर्तें। आरडीआईएफ, एआईएफ को निम्नलिखित विस्तृत शर्तों पर निधि आवंटित करेगा। कार्यकारी परिषद आवश्यकतानुसार इन शर्तों में संशोधन करेगी। आरडीआईएफ द्वारा वित्तपोषित फंड्स ऑफ फंड्स, उन्हीं शर्तों पर एआईएफ को आरडीआईएफ पूंजी का अंशदान देंगे।
- (i) आरडीआईएफ की निवेश नीति। एआईएफ की निवेश नीति (जो निजी प्लेसमेंट ज्ञापन का हिस्सा हो सकती है) को यथासंभव आरडीआईएफ निवेश नीति (परिशिष्ट 1) के अनुरूप होना चाहिए।
 - (ii) एसएलएफएम के अंतर्निहित निवेश। एसएलएफएम द्वारा निवेश इस प्रकार होना चाहिए:
 - (क) इक्विटी, ऋण या दोनों के संयोजन के रूप में;
 - (ख) आरडीआईएफ निवेश नीति (परिशिष्ट 1) के अनुसार क्षेत्रों में टीआरएल 4 और उपर्युक्त पर आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के विकास में संलग्न पात्र प्रौद्योगिकी संस्थाओं में;
 - (ग) आरडीआईएफ और निजी पूंजी को एआईएफ और आरडीआईएफ के फोकस क्षेत्रों के संरेखण को दर्शाते हुए अनुपात में संयोजित करना, जैसा कि आरडीआईएफ निवेश नीति पैरा 11 में विनिर्दिष्ट है।
 - (iii) निधीयन मानदंड। तालिका 2.क में दिए गए निम्नलिखित मानदंड कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे। उदाहरणात्मक आँकड़े भी संक्षेप में तालिका 2.क में दिए गए हैं।

तालिका 2.क
निवेश स्रोत 1 एआईएफ हेतु निधीयन मानदंड उदाहरण

क्र. सं.	आरडीआईएफ से एसएलएफएम तक के निधीयन मानदंड कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित किए जाने हैं	उदाहरणार्थ कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित किए जाने वाले मूल्य
1	माध्यम 1 निधीयन हेतु प्रतिफल दर	5-6 प्रतिशत पर आईआरआर
2	माध्यम 1 निधीयन हेतु वितरण प्राथमिकता	आरडीआईएफ को वितरण में उच्च प्राथमिकता मिलेगी
3	माध्यम 2 निधीयन हेतु प्रतिफल दर	जैसा कि एआईएफ द्वारा सभी अंशदानकर्ताओं को प्रदान किया गया है
4	माध्यम 2 निधीयन हेतु वितरण प्राथमिकता	एआईएफ के सभी अंशदानकर्ताओं के समान
5	माध्यम 3 निधीयन हेतु प्रतिफल दर	आरडीआईएफ को निजी अंशदानकर्ताओं को प्रदान की गई आईआरआर से अधिक आईआरआर मिलेगा
6	मोड 3 निधीयन हेतु वितरण प्राथमिकता	आरडीआईएफ को वितरण में निम्नतर प्राथमिकता मिलेगी
7	अवधि	विस्तार सहित 15 वर्ष तक
8	एसएलएफएम (एआईएफ) के लिए पूंजी अंशदान और निवेश सीमाएँ	प्रतिशत के रूप में :आरडीआईएफ निवेश नीति पैरा 11 के अनुसार

टिप्पणियाँ:

1. आंतरिक प्रतिफल दर: आरडीआईएफ पूंजी पर एआईएफ द्वारा दी जाने वाली प्रतिफल की लक्षित दर (वह छूट दर जिस पर एआईएफ से सभी नकदी प्रवाहों का नेट वर्तमान मूल्य शून्य हो जाता है)।
2. वितरण: वितरण 'प्रणाली' में आरडीआईएफ की स्थिति, जहाँ एआईएफ अपने अंशदानकर्ताओं को पूंजी लौटाता है।
3. निधि अवधि: एआईएफ की अस्तित्व अवधि। आरडीआईएफ विस्तारित अवधि को प्राथमिकता देगा, जो अनुसंधान एवं विकास/आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी निवेशों के लिए आवश्यक अधिक धैर्य को दर्शाता है।
4. पूंजी योगदान और निवेश सीमा: आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को आवंटित पूंजी की वह राशि, जो प्रत्येक समापन पर एआईएफ द्वारा प्राप्त कुल पूंजी अंशदानों के अधिकतम प्रतिशत के रूप में होगी।

(iv) पात्र प्रबंधन शुल्क आरडीआईएफ, एआईएफ एसएलएफएम द्वारा प्रभारित निम्नलिखित राशियों को स्वीकार करेगा:

- (क) एसएलएफएम द्वारा प्रभारित प्रबंधन शुल्क, जो प्रति वर्ष 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा:
 - (i) वर्ष के आरंभ में कुल पूंजी प्रतिबद्धता का, प्रारंभिक समापन तिथि से प्रतिबद्धता अवधि के अंत तक (ii) वास्तविक निवेशित पूंजी का, यदि वह प्रतिबद्ध पूंजी से कम है, या प्रतिबद्धता अवधि की समाप्ति के बाद निधि के प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) के अंतर्निहित मूल्य के प्रतिशत के रूप में;
- (ख) पूंजी वापसी, हर्डल रेट और कैच-अप के बाद एआईएफ एसएलएफएम के वितरणों का अधिकतम 20 प्रतिशत कैरीड इंटरेस्ट;
- (ग) जैसा कि कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर, जैसा भी मामला हो, निर्धारित किया जा सकता है। ये शर्तें आरडीआईएफ द्वारा वित्तपोषित फंड्स ऑफ फंड्स द्वारा उन एआईएफ, अर्थात् सहायक एआईएफ पर भी लागू होंगी जिनमें वे अंशदान देते हैं।
- (v) निकासी (ड्रॉडाउन)। आरडीआईएफ को एआईएफ एसएलएफएम द्वारा जारी निकासी नोटिस की तारीख से एक निश्चित अवधि के भीतर एआईएफ एसएलएफएम के लिए पूंजी प्रतिबद्धताएं करनी होंगी, जैसा कि आरडीआईएफ के विशेष वित्तीय नियमों में उल्लिखित है।

7. ऋण वित्तपोषण निवेश स्रोत से संबंधित विशिष्ट प्रावधान। आरडीआईएफ नीचे सूचीबद्ध पात्र एसएलएफएम को ऋण वित्तपोषण प्रदान करेगा।

7.1. पात्र संस्थाएँ। आरडीआईएफ निम्नलिखित को ऋण वित्तपोषण प्रदान करेगा:

- (i) केंद्रित अनुसंधान संगठन;
- (ii) विकास वित्त संस्थान;
- (iii) गैर-बैंकिंग वित्त निगम (एनबीएफसी)।

7.2. निवेश सिद्धांत। आरडीआईएफ, ऊपर 7.1 में सूचीबद्ध पात्र एसएलएफएम को रियायती शर्तों पर कम ब्याज दर वाले ऋण के माध्यम से वित्तपोषित करेगा। इसमें निजी अंशदाताओं द्वारा दी जाने वाली दरों की तुलना में, लंबी अवधि के लिए कम दरें शामिल होंगी।

7.3. निधि आबंटन की शर्तें। आरडीआईएफ नीचे उल्लिखित विस्तृत शर्तों पर निवेश करेगा। निम्नलिखित शर्तें कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँगी। उदाहरणात्मक आँकड़े संक्षेप में तालिका 2.ख में दिए गए हैं।

- (i) आरडीआईएफ की निवेश नीति। आरडीआईएफ ऊपर 7.1 में सूचीबद्ध पात्र एसएलएफएम को अंशदान देता है, जिनके प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण उद्देश्य आरडीआईएफ की निवेश नीति (परिशिष्ट 1) के अनुरूप हैं।
- (ii) एसएलएफएम के अंतर्निहित निवेश। आरडीआईएफ ऊपर 7.1 में सूचीबद्ध पात्र एसएलएफएम को अंशदान देता है, जो लागू कानून और विनियम के अनुसार, निवेश करेंगे:
 - (क) इक्विटी, ऋण (वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋण सहित) या इक्विटी और ऋण के संयोजन के रूप में;

- (ख) आरडीआईएफ निवेश नीति (परिशिष्ट 1) के अनुसार क्षेत्रों में टीआरएल 4 और उपर्युक्त पर आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के विकास में संलग्न पात्र प्रौद्योगिकी संस्थाओं में।

हालाँकि, आरडीआईएफ अनुदान निधीयन प्रदान नहीं करता है।

- (iii) निधीयन मानदंड। तालिका 2.ख में दिए गए निम्नलिखित मानदंड कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएँगे। उदाहरणात्मक आँकड़े भी तालिका 2.ख में संक्षेपित हैं।

तालिका 2.ख

निवेश स्रोत 2 ऋण वित्तपोषण हेतु निधीयन मानदंड

क्र. सं.	निधीयन मानदंड	उदाहरणार्थ कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले मूल्य
1	ब्याज दर	कम; कार्यनीतिक परियोजनाओं के लिए, इन्हें 1-2 प्रतिशत पर भी बनाए रखा जा सकता है।
2	अवधि	20 वर्ष तक।
3	पूंजी अंशदान और निवेश सीमाएँ	ऋण माध्यम में आरडीआईएफ का अंशदान केवल कार्यकारी परिषद द्वारा सीमित होगा।
4	किश्तें	एसएलएफएम की अंतर्निहित निवेश आवश्यकता के आधार पर, धनराशि किस्तों में जारी की जाएगी। प्रत्येक एसएलएफएम को अपनी वार्षिक वित्तीय आवश्यकता का अनुमान प्रस्तुत करना होगा और आवश्यकतानुसार आरडीआईएफ द्वारा इसे जारी किया जाएगा। आरडीआईएफ से एसएलएफएम को तिमाही अनुमानित निकासी 30 दिनों में पूरी की जाएगी।
5.	लॉक-इन अवधि	10-15 वर्ष, बिना किसी दंड के पूर्व भुगतान की अनुमति के अध्यधीन।

- (iv) पात्र प्रबंधन शुल्क। आरडीआईएफ, एसएलएफएम द्वारा प्रभारित प्रबंधन शुल्क स्वीकार करेगा, जो आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को प्रदान किए गए ऋण की कुल राशि के 1 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगा।

8. **आरडीआईएफ अधिदेश सुनिश्चित करने के लिए सामान्य प्रावधान।** आरडीआईएफ निधियों का उपयोग केवल उसी मूल उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए सरकार ने आरडीआईएफ की स्थापना की है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कम ब्याज दर पर वित्तपोषण, उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और नवाचार को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के बजट अधिदेश को पूरा करता है, आरडीआईएफ सभी निवेश स्रोतों में निम्नलिखित सामान्य प्रावधानों को सुनिश्चित करेगा:

- 8.1. एसएलएफएम से आरडीआईएफ को रिपोर्ट और सूचना। आरडीआईएफ सभी एसएलएफएम से कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित और प्रत्येक निवेश स्रोत की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप प्रारूप में निम्नलिखित की अपेक्षा करता है:

- (i) आरडीआईएफ और एसएलएफएम के बीच अंशदान/निवेश/ऋण समझौते के निष्पादन की तारीख से प्रत्येक छह महीने की अवधि की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट: जिसमें एसएलएफएम के अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और एसएलएफएम के निवेशों (निवेशित कंपनियों, प्रौद्योगिकियों, क्षेत्रों और आरडीआईएफ निवेश नीति द्वारा परिभाषित अन्य मानदंडों सहित) पर स्थिति रिपोर्टें शामिल हैं;
- (ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और एसएलएफएम की परिसंपत्तियों का वार्षिक मूल्यांकन शामिल है; आरडीआईएफ द्वारा एक अंशदानकर्ता के रूप में धारित इकाइयों के संबंध में लेखा विवरण; और एसएलएफएम निवेशों (निवेशित कंपनियों, प्रौद्योगिकियों, क्षेत्रों और आरडीआईएफ निवेश नीति द्वारा परिभाषित अन्य मानदंडों सहित) पर स्थिति रिपोर्टें;
- (iii) एसएलएफएम द्वारा निवेशित पात्र प्रौद्योगिकी संस्थाओं का दौरा करके उनके प्रदर्शन का अवलोकन करने की क्षमता;
- (iv) संयुक्त समीक्षा के लिए एसएलएफएम टीमों के साथ बैठकें।

नोट: आरडीआईएफ किसी भी एसएलएफएम का किसी पेशेवर एजेंसी के माध्यम से लेखा-परीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।

8.2. आरडीआईएफ द्वारा कार्यकारी परिषद और ईजीओएस को रिपोर्ट। एसएलएफएम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, आरडीआईएफ कार्यकारी परिषद को वार्षिक आधार पर निम्नलिखित आँकड़े प्रदान करेगा; इसे आगे ईजीओएस के साथ साझा किया जाएगा:

- (i) प्रौद्योगिकी उन्नति: वित्त पोषित परियोजनाओं से विकसित प्रोटोटाइप, अवधारणा-प्रमाण या नवाचारों की संख्या, स्वीकृति के समय परियोजनाओं के प्रौद्योगिकीय तैयारी स्तर (टीआरएल) के सापेक्ष मापी जाएगी। वाणिज्यिक तैयारी, बाजार तैयारी आदि जैसे अन्य प्रासंगिक मापदंडों पर भी विचार किया जाएगा।
- (ii) वाणिज्यिकीकरण और उद्योग प्रभाव: वित्त पोषित परियोजनाओं के परिणामस्वरूप बाजार-तैयार उत्पादों या उद्योगों के साथ सहयोग करने वाली परियोजनाओं की संख्या।
- (iii) अनुसंधान और विकास के लिए निजी/वाणिज्यिक पूँजी को उत्प्रेरित करना: एसएलएफएम या परियोजना स्तर पर जुटाई गई निजी पूँजी की मात्रा।
- (iv) योजना सततता: व्यावसायिक स्तर तक पहुँचने वाली परियोजनाओं की संख्या और ऐसी इकाइयों का राजस्व।
- (v) परियोजना दृश्यता बढ़ाने और निकास को सुगम बनाने की क्षमता: 5/10/15 वर्षों के अंत में सफलतापूर्वक निकास करने वाली परियोजनाओं की संख्या।

नोट: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिशिष्ट 1 में दिए गए डिज़ाइन और निगरानी ढाँचे (डीएमएफ) को अनुमोदित कर दिया है। उपरोक्त आँकड़ों का उपयोग इस मंत्रिमंडल-अनुमोदित ढाँचे के भाग के रूप में योजना की निगरानी के लिए किया जाएगा।

8.3. आरडीआईएफ द्वारा एसएलएफएम को रिपोर्टिंग। आरडीआईएफ समय-समय पर सभी एसएलएफएम और उन पात्र प्रौद्योगिकी संस्थाओं की सूची, जिनमें उन्होंने निवेश किया है, सभी एसएलएफएम के साथ साझा करेगा। एसएलएफएम द्वारा इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उसका अपना वित्तपोषण आरडीआईएफ के वित्तपोषण को परिशिष्ट 1 पैरा 7.2 में निर्धारित सीमा से अधिक न ले जाए।

9. **हितों का टकराव**। आरडीआईएफ, आरडीआईएफ निधियों के प्रावधान और उपयोग से संबंधित किसी भी निर्णय में शामिल आरडीआईएफ कर्मचारियों या कार्मिकों के बीच हितों के टकराव की संभावना को दूर करने के लिए, हितों और सूचनाओं के प्रकटीकरण और अपनी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की संरचना सहित, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, उपाय करेगा।

अनुलग्नक 2ए से परिशिष्ट 2: डिजाइन और निगरानी ढांचा
अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा यथा अनुमोदित

इस योजना का प्रभाव इस प्रकार है:

अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाना और इस प्रकार अनुसंधान एवं विकास में कुल निवेश को वर्तमान (~ 0.65%) से बढ़ाकर 1% से अधिक करना (विश्व औसत ~ 2.7%)।

हाल के केंद्रीय बजटों और भारत की दीर्घकालिक अनुसंधान एवं विकास/एसटीआई नीतियों के दृष्टिकोण के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उन्नत भारतीय अनुसंधान और नवाचार पारितंत्र, आत्मनिर्भर भारत के लिए तकनीकी उन्नति पर ध्यान केंद्रित करना।

परिणाम शृंखला	लक्ष्य और आधार रेखाओं के साथ निष्पादन संकेतक	डेटा स्रोत और रिपोर्टिंग तंत्र	जोखिम
परिणाम नवाचार प्रदर्शन और वैश्विक रैंकिंग, उत्पादकता वृद्धि, उच्च तकनीक निर्यात सहित आर्थिक प्रभाव, रणनीतिक और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास समाधानों का बढ़ता विकास,	1. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक (जीआईआई) में भारत की रैंकिंग में परिवर्तन 2. कुल कारक उत्पादकता में परिवर्तन, नवप्रवर्तन से जुड़े हैं, जिनमें प्रतिवर्ष सहायता प्राप्त और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाए गए उभरते क्षेत्रों में परियोजनाओं की संख्या की	एसपीएफ निम्नलिखित बिंदुओं पर डेटा उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल प्रणाली बनाएगा: - 1. परियोजना प्रगति रिपोर्टें; 2. तकनीकी समितियों द्वारा टीआरएल मूल्यांकन 3. समझौता जापन, साझेदारी करार, 4. निधि संवितरण रिकॉर्ड	1. वित्तपोषण का उच्च जोखिम, जिसमें प्रौद्योगिकियों और कंपनियों की विफलता की उच्च संभावना शामिल है, जिससे पूंजी की संभावित हानि हो सकती है। 2. प्रौद्योगिकियों की परिपक्वता के लिए लंबी अवधि और कम टीआरएल परिपक्वता 3. निजी क्षेत्र, विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय आदि से शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने की क्षमता, साथ ही ऐसे

पायलटिंग और व्यावसायीकरण।	विविधता शामिल है। - नवाचार और उच्च तकनीक क्षेत्रों में सृजित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां - आरडीआईएफ की अंतर्निहित निवेश संस्थाओं में कुशल भारतीय प्रवासियों (रिवर्स ब्रेन ड्रेन) की भागीदारी को आकर्षित किया गया - महत्वपूर्ण क्षेत्रों और प्रौद्योगिकियों में राष्ट्रीय रणनीतिक स्वायत्तता में वृद्धि - घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना और आयात पर निर्भरता कम करना - नवाचार-आधारित समाधानों के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य और सामाजिक संकेतकों में योगदान - भारत में समग्र अनुसंधान एवं विकास पारितंत्र में सुधार: अनुसंधान विकास से संबंधित सूचकांकों में भारत की रैंकिंग में सुधार	- पेटेंट रिकॉर्ड डेटा ; - आरडीआई फंडिंग से उभरने वाली प्रौद्योगिकियों के साथ लॉन्च की जा रही कंपनियों और उनके उत्पादों पर नज़र रखना	मामलों में हितों के टकराव का प्रबंधन करना। - निजी क्षेत्र के फंडों/कंपनियों द्वारा 100% सरकारी स्वामित्व वाली निधियों से निवेश प्राप्त करने की संभावना - अनेक चरणों में वित्तपोषण की आवश्यकता, यहां तक कि उन स्थितियों में भी जहां वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते। - डीप टेक में, सीड स्टेज से लेकर सीरीज क फंडिंग के बीच कंपनियों की विफलता 95% है। - सह-वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की कम भागीदारी - परियोजनाओं के चयन में देरी के कारण निधियों के वितरण में देरी - कमज़ोर आईपी संरक्षण और व्यावसायीकरण मार्ग - सुलभ डेटासेट्स का अभाव - नैतिक चिंताएँ और डेटा गोपनीयता
निर्गत	वित्तीय मापदंड: - प्रथम स्तर के संरक्षक से द्वितीय स्तर के प्रबंधक को प्रतिवर्ष स्वीकृत राशि; - द्वितीय स्तर के निधि प्रबंधक द्वारा व्यक्तिगत परियोजना के लिए डाउनस्ट्रीम निवेश प्रतिबद्धता - अंतर्निहित निधियों/निवेशों		

- का आईआरआर
- 2. अनुसंधान एवं विकास पारितंत्र को प्रोत्साहन देना :**
प्रतिवर्ष सहायता प्राप्त परियोजनाओं की कुल संख्या और क्षेत्रवार संख्या
- 3. बौद्धिक संपदा (आईपी) सृजन :** वित्त पोषित परियोजनाओं से प्रतिवर्ष पंजीकृत पेटेंट, कॉपीराइट या अन्य आईपी परिसंपत्तियों की संख्या (विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी डोमेन में पेटेंट फाइलिंग के लिए उद्योग औसत के विरुद्ध बेंचमार्क की गई)
- 4. तकनीकी उन्नति :** पिछले कुछ वर्षों में वित्त पोषित परियोजनाओं से विकसित प्रोटोटाइप, प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट या स्वीकृति के समय परियोजनाओं के तकनीकी तत्परता स्तर (टीआरएल) के सापेक्ष मापे गए। नवाचारों की संख्या अन्य प्रासंगिक मानदंड जैसे व्यावसायिक तत्परता, बाज़ार तत्परता आदि पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- 5. व्यावसायीकरण और उद्योग प्रभाव:** वित्तपोषित परियोजनाओं के परिणामस्वरूप बाजार-तैयार उत्पादों या उद्योगों के साथ सहयोग की ओर ले जाने

	वाली परियोजनाओं की संख्या। 6. अनुसंधान एवं विकास के लिए निजी/वाणिज्यिक पूंजी को उत्प्रेरित करना: द्वितीय स्तर के निधि प्रबंधक(कों) या परियोजना स्तर पर जुटाई गई निजी पूंजी की राशि। 7. योजना स्थिरता: वाणिज्यिक स्तर तक पहुंचने वाली परियोजनाओं की संख्या और ऐसी इकाइयों का राजस्व 8. परियोजना व्यवहार्यता बनाने और निकसों की सुविधा प्रदान करने की क्षमता: 5/10/15 वर्षों के अंत में सफलतापूर्वक समाप्त हुई परियोजनाओं की संख्या		
प्रमुख कार्यकलाप			उपलब्धियां
1. सक्षम प्राधिकारी द्वारा योजना का अनुमोदन 2. इस योजना के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार करना, जिसमें परियोजनाओं के चयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, द्वितीय स्तर के निधि प्रबंधकों का चयन, प्रथम स्तर के संरक्षक द्वारा विभिन्न प्रकार के द्वितीय स्तर के निधि प्रबंधकों को प्रदान किए जाने वाले वित्तपोषण के प्रकार, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही तक द्वितीय स्तर के निधि प्रबंधकों से व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण के प्रकार के व्यापक मानदंड शामिल हैं। 3. योजना कार्यान्वयन के लिए उदारीकृत वित्तीय नियमों की तैयारी 4. योजना का शुभारंभ			T0 T1 = T0 + 10 सप्ताह T2 = T0 + 8 सप्ताह T3 = T1 + 4 सप्ताह

5. एएनआरएफ के भीतर विशेष प्रयोजन निधि (एसपीएफ) का गठन	$T4 = T0 + 10$ सप्ताह
6. एक स्वतंत्र व्यावसायिक इकाई की स्थापना	$T5 = T0 + 15$ सप्ताह
7. परियोजनाओं के निष्पादन के वित्तीय और तकनीकी मापदंडों पर नज़र रखने के लिए एक डिजिटल तंत्र स्थापित करना	$T6 = T1 + 15$ सप्ताह
8. द्वितीय स्तर के निधि प्रबंधकों का चयन और अनुमोदन	$T7 = T1 + 6$ सप्ताह
9. द्वितीय स्तरीय कोष का गठन	$T8 = T6 + 4$ सप्ताह
10. द्वितीय-स्तरीय निधि प्रबंधकों की नियुक्ति और निवेश समितियों का गठन	$T9 = T6 + 10$ सप्ताह
11. योजना आउटरीच	$T10 = T1 + 4$ सप्ताह और $T8 + 4$ सप्ताह
12. सीएफआई से एसपीएफ को धनराशि जारी करना	$T11 = T6 + 2$ सप्ताह
इनपुट्स 1) 6 वर्षों की अवधि में 1 लाख करोड़ रुपये का बजटीय आबंटन 2) वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 20,000 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन 3) एसपीएफ के लिए कर्मचारी	

परिशिष्ट 3 : एसएलएफएम का चयन

1. **गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन पद्धति।** केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि आरडीआईएफ एसएलएफएम के चयन हेतु गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस) पद्धति का पालन करेगा। आरडीआईएफ अपने अधिदेश के अनुसार क्यूसीबीएस को अपनाता है, ताकि एसएलएफएम का चयन निम्नलिखित आधार पर किया जा सके:

1.1. उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को बढ़ावा देने में भारतीय स्टार्टअप्स और कंपनियों को आरडीआईएफ फंड से सहायता देने की क्षमता;

1.2. आरडीआईएफ फंड का लाभ उठाते हुए, भारतीय अनुसंधान और विकास (आरएंडडी/आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकियों में सीमित पूर्व अनुभव वाले अधिक सामान्यीकृत निजी फंडों सहित) को बढ़ावा देने में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की क्षमता।

2. **आरडीआईएफ क्यूसीबीएस में सापेक्ष गुणवत्ता और लागत महत्व।** आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी कंपनियों और स्टार्टअप्स में निवेश के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को परिभाषित करने वाली प्रौद्योगिकी, अड़ोप्शन और एजेंसी संबंधी अनिश्चितताओं के कारण विशिष्ट कौशल-सेट की आवश्यकता होती है, तदनुसार, आरडीआईएफ क्यूसीबीएस एसएलएफएम के चयन में गुणवत्ता को प्राथमिकता देता है। आरडीआईएफ क्यूसीबीएस गुणवत्ता मानदंड को 80 प्रतिशत और लागत मानदंड को 20 प्रतिशत महत्व आवंटित करता है।

3. **क्यूसीबीएस लागत मानदंड।** क्यूसीबीएस पद्धति में लागत मानदंड का उद्देश्य सार्वजनिक निधियों के उपयोग में लागत दक्षता को अधिकतम करना है। आरडीआईएफ इस सिद्धांत को रियायती वित्तपोषण के माध्यम से निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के अपने अधिदेश के अनुरूप अपनाता है।

3.1. **लागत स्कोर।** आरडीआईएफ क्यूसीबीएस लागत मानदंड उस निवेश स्रोत से संरेखित है जिसके माध्यम से आरडीआईएफ एसएलएफएम को निम्नानुसार निधि उपलब्ध कराता है:

(i) **एआईएफ।** आरडीआईएफ कार्यान्वयन दिशानिर्देश, आरडीआईएफ से अंशदान प्राप्त करने वाले एसएलएफएम को प्रबंधन शुल्क और कैरीड इंटरेस्ट (भाग ख परिचालन दिशानिर्देशों का पैरा 6) लेने की अनुमति देते हैं। क्यूसीबीएस लागत स्कोर, एसएलएफएम द्वारा लिए गए प्रबंधन शुल्क और कैरीड इंटरेस्ट को ध्यान में रखेगा। कम प्रबंधन शुल्क और कैरीड इंटरेस्ट लेने वाले एसएलएफएम का लागत स्कोर अधिक होगा।

(ii) **ऋण वित्तपोषण।** जहाँ आरडीआईएफ ऋण के माध्यम से निधि उपलब्ध कराता है, वहाँ लागत स्कोर में निम्नलिखित बातों पर विचार किया जाएगा:

(क) एसएलएफएम द्वारा आरडीआईएफ को दी जाने वाली ब्याज दर; ब्याज दर जितनी कम होगी, स्कोर उतना ही अधिक होगा;

(ख) नेट ब्याज मार्जिन, अर्थात् वह ब्याज दर जिस पर कोई एसएलएफएम पात्र प्रौद्योगिकी संस्थाओं को पूंजी उधार देता है, और वह ब्याज दर जिस पर उक्त एसएलएफएम आरडीआईएफ से निधीयन प्राप्त होता है, के बीच का अंतर; मार्जिन जितना कम होगा, स्कोर उतना ही अधिक होगा;

(ग) एसएलएफएम द्वारा आरडीआईएफ से लिया जाने वाला प्रबंधन शुल्क (अनुरोध की गई ऋण राशि पर 1 प्रतिशत प्रति वर्ष की सीमा के अध्यक्षीन); शुल्क जितना कम होगा, स्कोर उतना ही अधिक होगा।

टिप्पणी: विशिष्ट शर्तों को एएनआरएफ कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(iii) नामांकन आधार। क्यूसीबीएस लागत मानदंड उन एसएलएफएम पर लागू नहीं होंगे जो (क) वैधानिक संगठन (ख) सार्वजनिक संस्थान (ग) शैक्षणिक/अनुसंधान/गैर-लाभकारी संगठन हैं जो भारत सरकार या राज्य सरकारों द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित हैं। ऐसे एसएलएफएम की नियुक्ति एएनआरएफ कार्यकारी परिषद की सिफारिश पर ईजीओएस द्वारा नामांकन के आधार पर की जाएगी। उपर्युक्त (ख) और (ग) के लिए, ऐसा नामांकन उस प्रौद्योगिकी, क्षेत्र या नवाचार कार्य के अनुरूप गुणवत्ता मानदंडों द्वारा निर्देशित किया जा सकता है जिसमें एसएलएफएम विशेषज्ञता रखता है।

4. **वाणिज्यिक एसएलएफएम (एआईएफ, डीएफआई, एनबीएफसी) के लिए क्यूसीबीएस गुणवत्ता मानदंड।** आरडीआईएफ निधियों के साथ उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बढ़ाने में भारतीय आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स और कंपनियों का सहयोग करने हेतु सबसे सक्षम एआईएफ का चयन करने के लिए, आरडीआईएफ निम्नलिखित क्यूसीबीएस गुणवत्ता मानदंडों को लागू करता है, जिनका मूल्यांकन कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है (उदाहरण उपायों के साथ तालिका घ.1 में संक्षेपित, कार्यकारी परिषद द्वारा उपयुक्त रूप से चुना जाएगा)।

4.1. **प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में वैश्विक प्रथाएँ।** एसएलएफएम के चयन के लिए क्यूसीबीएस गुणवत्ता मानदंड, निजी प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में व्यापक रूप से अपनाई जाने वाली वैश्विक प्रथाओं को दर्शाते हैं। ये मानदंड एसएलएफएम प्रबंधन टीम की पेशेवर क्षमता को प्राथमिकता देते हैं, जिसका मूल्यांकन विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सलाह पर कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है।

4.2. **भाग क। सामान्य क्षमता: उच्च प्रतिफल के लिए निवेश और परिचालन जोखिमों का प्रबंधन।** कार्यकारी परिषद, लगातार सफल निवेश पोर्टफोलियो बनाने में एसएलएफएम टीम की मुख्य क्षमता का मूल्यांकन करती है। यह एसएलएफएम के आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी फोकस की सीमा पर ध्यान दिए बिना किया जाएगा, जिससे अधिक सामान्य निधियों को भी भाग लेने और आरडीआईएफ में आवेदन लागू करने की अनुमति मिल सके। मूल्यांकन में निम्नलिखित पर विचार किया जा सकता है:

(i) **निधि प्रबंधन टीम की क्षमता:** निवेश और परिचालन जोखिमों, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेशित संस्था (आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता हो या न हो) का प्रबंधन करने में एसएलएफएम टीम की सामान्य क्षमता।

(क) एआईएफ के लिए, इसमें साझेदारों, निवेश समिति और एसएलएफएम के सलाहकार बोर्ड की पेशेवर क्षमताओं; और संस्थापक टीमों, उभरती प्रौद्योगिकियों और उत्पादों, वित्त और निवेश, तथा संसाधन एवं सहायता नेटवर्क के प्रबंधन में उनके कौशल पर विचार किया जाएगा।

(ख) डीएफआई और एनबीएफसी के लिए, इसमें संगठन की साख और प्रबंधन टीम के अनुभव पर विचार किया जाएगा।

(II) निवेश प्रबंधन क्षमता का प्रदर्शित ट्रैक रिकॉर्ड: दोहराई जाने वाली प्रक्रियाओं, सुदृढ़ निष्पादन और प्रभावी जोखिम प्रबंधन के माध्यम से एसएलएफएम टीम की पूर्व निधियों के वितरण में सफलता और निरंतरता।

4.3. भाग ख| अनुसंधान एवं विकास तथा आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी फोकस: आरडीआईएफ अधिदेश के क्रियान्वयन हेतु अभिविन्यास और क्षमता। मूल्यांकन में भारत की आरडीआई-गहन पात्र प्रौद्योगिकी संस्थाओं के लिए आरडीआईएफ के अधिदेश के क्रियान्वयन हेतु एसएलएफएम की क्षमता पर विचार किया जा सकता है। इन क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले एसएलएफएम के ट्रैक रिकॉर्ड का केवल आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकियों में ही होना आवश्यक नहीं है। अन्य प्रौद्योगिकी निवेशों में दर्शाई गई क्षमताओं पर भी विचार किया जाएगा।

- (I) निवेश थीसिस (जो निजी प्लेसमेंट ज़ापन का हिस्सा हो सकता है): आरडीआईएफ निवेश नीति (भाग क) के साथ संरेखण।
- (II) अनुसंधान और विकास विस्तार तथा आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी क्षमता में ट्रैक रिकॉर्ड: संबंधित टीआरएल में आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकियों की विशेषता वाले उच्च-अनिश्चितता निवेशों के साथ एसएलएफएम की प्रदर्शित क्षमता; जिसमें उभरती प्रौद्योगिकियों की विशेषता वाले प्रौद्योगिकी चरण/परिपक्वता, उन्नत विज्ञान आधार और 'हॉकी-स्टिक' मूल्यांकन वृद्धि (लंबी निम्न अवधि, जिसके बाद घातीय वृद्धि) की जटिलताओं को प्रबंधित करने की इसकी क्षमता शामिल है;
- (III) अनुसंधान और विकास विस्तार हेतु निवेश के आकार में ट्रैक रिकॉर्ड: अनुसंधान और विकास के विस्तार हेतु आवश्यक बड़े निवेश आकार के साथ एसएलएफएम की प्रदर्शित क्षमता। एसएलएफएम का यह पूर्व ट्रैक रिकॉर्ड आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकियों में होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसमें समान निवेश मूल्य ('टिकट साइज) शामिल होंगे।
- (IV) पूंजी के साथ धैर्य में ट्रैक रिकॉर्ड: एसएलएफएम ने अनुसंधान एवं विकास तथा आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए परियोजना पूरी होने की लंबी अवधि को सहन करने की प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। एसएलएफएम का यह पूर्व ट्रैक रिकॉर्ड आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकियों में ही होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें समान निवेश मूल्य ('टिकट साइज) शामिल होंगे।
- (V) समामेलन और उपयोग क्षमता: एसएलएफएम का मूल्यांकन, प्राप्त पूंजी अंशदान को निजी निवेशकों में प्रभावी रूप से निवेश करने की उसकी क्षमता के आधार पर किया जाएगा।

तालिका 3. क | व्यावसायिक एसएलएफएम के लिए गुणवत्ता चयन मानदंड

क्र. सं.	चयन मानदंड (विकल्प का चयन कार्यकारी परिषद द्वारा संबंधित समूह के लिए किया जाएगा)	उपाय (उदाहरण, कार्यकारी परिषद द्वारा चुने जाएंगे)	भार (कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित) उदाहरण मानः	स्कोर (कार्यकारी परिषद द्वारा टीबीडी) उदाहरण मान, जिन्हें सभी समूहों में स्थिर रखा जाना है:
भाग क सामान्य योग्यता: उच्च रिटर्न के लिए निवेश और परिचालन जोखिमों का प्रबंधन (आरडीआईएफ नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से किसी एक या अधिक का चयन कर सकता है, जैसा कि विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सलाह पर कार्यकारी परिषद द्वारा उचित समझा जाए।)				
1	निधि प्रबंधन टीम की क्षमता: निवेश और परिचालन जोखिमों के प्रबंधन में एसएलएफएम टीम की सामान्य क्षमता, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेशकर्ता (आरएंडडी/आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता के बावजूद) एआईएफ के लिए: सामान्य साझेदारों और प्रिंसिपलों	विशेषज्ञ मूल्यांकन के आधार पर गुणात्मक रूप से मूल्यांकन और अंकन (उदाहरण के लिए) - टीम प्रोफाइल - प्रौद्योगिकी फर्मों या पूर्व निधि निवेशकों के संचालन का सफल विस्तार 1. एआईएफ : टीमें, - प्रौद्योगिकी फर्मों के लिए सौदों और निकासियों का नेतृत्व करने के अनुभव के लिए; - प्रौद्योगिकी फर्मों में परिचालनों के सफल विस्तार के लिए; - कम क्षति के साथ मजबूत टीम बनाने की क्षमता के लिए; - लगातार निवेश निष्पादन और जोखिम प्रबंधन के लिए मजबूत प्रक्रियाएं बनाने की क्षमता		

	(या समकक्ष) की व्यावसायिक पृष्ठभूमि : सफल निवेशक, संस्थापक, प्रबंधक, प्रौद्योगिकीविद्। कौशल: विशेषज्ञता, अनुभव और सफलता से संबंधित (उदाहरण के लिए) - मजबूत टीम, बड़े पैमाने पर संचालन और मजबूत रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए संस्थापक टीमों का प्रबंधन करना - उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ - उत्पाद प्रबंधन - वित्त और निवेश - मार्गदर्शन नेटवर्क का निर्माण और रखरखाव डीएफआई के लिए: संगठन की साख और प्रबंधन टीम का अनुभव।	के लिए; - तीसरे पक्ष से पूंजी जुटाने के ट्रैक रिकॉर्ड के लिए । <u>टिप्पणी-इनका मूल्यांकन सामान्यतः निधि संगठन के लिए किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहाँ एक नई निधि गठित की जा रही है, इनका मूल्यांकन नई निधि का गठन करने वाले व्यक्तियों के लिए भी किया जा सकता है।</u> 2 डीएफआई/एनबीएफसी : संगठन का/की - साख - प्रबंधन टीम और बोर्ड: ट्रैक रिकॉर्ड और अनुभव - आरडीआईएफ प्राथमिकता क्षेत्रों में अनुभव - परियोजना वित्तपोषण अनुभव: विनिर्माण, कार्यशील पूंजी। 3. एआईएफ, डीएफआई, एनबीएफसी में समानताएं : - डील-सोर्सिंग, उचित परिश्रम / मूल्यांकन, पोर्टफोलियो प्रबंधन, निकास जैसे कार्यों से संबंधित प्रमुख कर्मियों का ट्रैक रिकॉर्ड; - प्रौद्योगिकियों/क्षेत्रों में डोमेन विशेषज्ञता के लिए संयुक्त टीम (सलाहकार बोर्ड सहित); 4. जहां मात्रात्मक मानदंड आवश्यक माने जाते हैं, वहां निम्नलिखित पर विचार किया जा सकता है: 1. आरडीआईएफ में प्रौद्योगिकी और निवेश में अनुभव के व्यक्ति-वर्षों की संयुक्त संख्या - भारत में प्राथमिकता वाले क्षेत्र - प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर / उद्यम विकास चरण 2. उन निधियों की कुल संख्या जिनसे सफलतापूर्वक निकासी हुई है 3. पिछले निधियों में आंतरिक रिटर्न दरें (आईआरआर) / पेड-इन कैपिटल (डीपीआई) का वितरण: औसत मूल्य; मानक विचलन (सुसंगत निष्पादन को सत्यापित करने के लिए) 4. निधि प्रबंधन टीम द्वारा एक साथ काम किए गए वर्षों की संख्या		
2	निवेश प्रबंधन क्षमता का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड। पूर्व निधियों के	1. रिटर्न की शुद्ध आंतरिक दर (आईआरआर) - अंतिम दो निधियों (एआईएफ के लिए) या		

	वितरण में सफलता और निरंतरता, निम्न के माध्यम से - दोहराए जाने योग्य प्रक्रियाएँ - मजबूत निष्पादन - प्रभावी जोखिम प्रबंधन	- पिछले 10 वर्ष (डीएफआई/एनबीएफसी के लिए) <i>(एलपी को निधि का वार्षिककृत रिटर्न)</i> और / या 2. पिछली दो निधियों (एआईएफ के लिए) पर निवेशित पूंजी का गुणक (एमओआईसी) <i>(निवेशित धन का वास्तव में कितना गुणक वापस किया गया)</i> और/या 3. पेड-इन कैपिटल का वितरण (डीपीआईसी) - अंतिम दो निधियाँ (एआईएफ के लिए) <i>(प्राप्त रिटर्न - एलपी को वास्तव में वितरित नकदी)</i> - पिछले 10 वर्ष (डीएफआई/एनबीएफसी के लिए) और/या 4. पिछले दो निधियों (ऋण एआईएफ के लिए) पर ऋण या पोर्टफोलियो पर लाभ <i>(बकाया ऋण पोर्टफोलियो पर अर्जित औसत ब्याज दर, ऋण एआईएफ के निवेश से उत्पन्न आय को मापते हुए)</i> और/या 5. विंटेज वर्ष निष्पादन <i>(उसी प्रथम निकट वर्ष में अन्य निधियों के मुकाबले एआईएफ का निष्पादन)</i> और/या 6. डिफॉल्ट दरें या गैर-उपार्जित ऋण (ऋण एआईएफ, डीएफआई, एनबीएफसी के लिए) <i>(पोर्टफोलियो में ऋणों का प्रतिशत जो निर्धारित समय पर वापसी करने में असमर्थ हैं - निष्पादन और जोखिम प्रबंधन की मजबूती के उपाय के रूप में)</i> और/या 7. वसूली दरें (डीएफआई, एनबीएफसी के लिए) <i>(डिफॉल्ट वाले ऋणों से वसूले गए मूलधन और अर्जित ब्याज राशि का प्रतिशत, जैसे परिसंपत्तियों के परिसमापन के माध्यम से, आदि - नकारात्मक पक्ष के खिलाफ एसएलएफएम के उपायों की मजबूती को मापते हुए।)</i>		
--	---	--	--	--

भाग ख अनुसंधान एवं विकास और आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी फोकस: आरडीआईएफ अधिदेश को क्रियान्वित करने के लिए अभिविन्यास और क्षमता (आरडीआईएफ नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से किसी एक या अधिक का चयन कर सकता है, जैसा कि विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सलाह पर कार्यकारी परिषद द्वारा उचित समझा जाए।)				
3	निवेश थीसिस (जो निजी प्लेसमेंट ज्ञापन का हिस्सा हो सकती है): आरडीआईएफ निवेश नीति के साथ अनुरूपता	आरडीआईएफ निवेश नीति मानदंडों के विरुद्ध विशेषज्ञ मूल्यांकन के आधार पर गुणात्मक मूल्यांकन और अंकन किया जाएगा। अंकन निम्नलिखित के विरुद्ध होगा: 1. आरडीआईएफ आरएंडडी/आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ अनुरूपता - केवल अनुसंधान एवं विकास / आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी पर और केवल आरडीआईएफ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है (स्कोर क) - केवल आरडीआईएफ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास / आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करता है (स्कोर ख) - आरडीआईएफ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास / आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी और मूल्य के अन्य स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करता है (स्कोर ग) कार्यकारी परिषद द्वारा अपनाए गए पैमाने के आधार पर, क, ख और ग का अंतिम मान तय किया जाएगा। हालाँकि, क > ख > ग को बनाए रखा जाएगा। 2. आरडीआईएफ निवेश नीति (टीआरएल 4+) में निर्दिष्ट प्रौद्योगिकी परिपक्वता सीमाएँ 4. उद्यम विकास चरण (प्रयोगशाला से उत्पादन तक)		
4	अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) स्केल अप और आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी क्षमता में ट्रैक रिकॉर्ड। संबंधित टीआरएल में आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी की विशेषता वाले उच्च-अनिश्चितता निवेशों के साथ प्रदर्शित क्षमता। इसमें प्रौद्योगिकी चरण/परिपक्वता,	जबकि भारतीय एआईएफ/डीएफआई/एनबीएफसी के पास आरएंडडी-गहन आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी का सीमित अनुभव है, निधि प्रबंधन टीम जिन्होंने निम्नलिखित हासिल किया है, उन्हें उच्च अंक दिए जाएंगे: आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी फर्म से कम से कम एक विकास: और/या		

	उन्नत विज्ञान आधार, 'हॉकी-स्टिक' मूल्यांकन वृद्धि (लंबी निम्न अवधि, जिसके बाद घातीय वृद्धि) शामिल होगी।	आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी फर्मों में कम से कम दो पूर्व निवेश।		
5	अनुसंधान एवं विकास के विस्तार हेतु निवेश के आकार में ट्रैक रिकॉर्ड। अनुसंधान एवं विकास के विस्तार हेतु आवश्यक निवेश के आकार के संबंध में प्रदर्शित क्षमता।	पिछली निधियों में टिकट आकार (एआईएफ के लिए) या पिछले पांच वर्षों में (डीएफआई/एनबीएफसी के लिए): 1. पिछली निधियों (एआईएफ के लिए) या पिछले पांच वर्षों (डीएफआई/एनबीएफसी के लिए) में औसत मूल्य: आरडीआईएफ की लक्ष्य सीमा में निवेश टिकट आकार के प्रबंधन के साथ सामान्य परिचितता दर्शाते हुए; 2. पिछली निधियों (एआईएफ के लिए) या पिछले पांच वर्षों (डीएफआई/एनबीएफसी के लिए) में मॉडल मूल्य: इन टिकट आकारों को प्रबंधित करने की निरंतर क्षमता का दर्शाते हुए। 3. पिछली दो निधियों (एआईएफ के लिए) या पिछले पांच वर्षों (डीएफआई/एनबीएफसी के लिए) के रुझान (अनुदैर्घ्य)।		
6	समावेश और उपयोग क्षमता। स्टार्टअप्स सहित कंपनियों में प्राप्त पूंजी अंशदानों को प्रभावी ढंग से निवेश करने की क्षमता।	निवेशकों को प्रतिबद्ध पिछली निधि का प्रतिशत।		

5. **केंद्रित अनुसंधान संगठनों के लिए क्यूसीबीएस गुणवत्ता मानदंड।** केंद्रित अनुसंधान संगठनों (एफआरओ) को विशिष्ट प्रौद्योगिकियों, क्षेत्रों या नवाचार कार्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के आधार पर परिभाषित किया जाता है। भारत में, ये आमतौर पर सार्वजनिक शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थानों से जुड़े होते हैं। अपनी संस्थागत प्रकृति और विशिष्ट कार्यों को दर्शाते हुए, आरडीआईएफ
- 5.1 कार्यकारी परिषद की सिफारिश पर ईजीओएस द्वारा नामांकन के आधार पर एफआरओ एसएलएफएम का चयन करता है;
- 5.2 प्रतिस्पर्धी गुणवत्ता-आधारित चयन मानदंडों के साथ ऐसे नामांकनों का समर्थन करता है जो संबंधित प्रौद्योगिकी, क्षेत्र या नवाचार कार्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं; भारत सरकार के वैधानिक/स्वायत्त संस्थानों को छोड़कर, जिन्हें कार्यकारी परिषद की सिफारिश पर ईजीओएस द्वारा सीधे नामित किया जा सकता है।
6. **चयन प्रक्रिया।** आरडीआईएफ निम्नलिखित प्रक्रिया के माध्यम से क्यूसीबीएस निष्पादित करता है। इसमें (क) निवेश और रिटर्न का 15-वर्षीय चक्र शामिल है, जो आरडीआईएफ के समग्र 50-वर्षीय जीवनकाल में दोहराया जाएगा, और (ख) प्रत्येक चक्र के पहले वर्ष से छठे वर्ष तक 6-वर्षीय प्रतिबद्धता अवधि।
- 6.1 चरण 1: आवेदन आमंत्रण सूचना और बोली प्रस्तुतीकरण। आरडीआईएफ अपने पहले चक्र के वर्ष 1 से वर्ष 6 तक एसएलएफएम बनने के लिए आवेदन आमंत्रण सूचना (एनआईए) जारी करता है। समूह-आधारित दृष्टिकोण (आरडीआईएफ द्वारा निर्धारित आवृत्ति पर) का पालन करते हुए, ये प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान समय-समय पर जारी किए जाते हैं।
- (i) एनआईए फॉर्मूलेशन। आरडीआईएफ एनआईए का मसौदा तैयार करेगा जो दर्शाएगा
- (क) ईजीओएस द्वारा अनुमोदित और आरडीआईएफ निवेश नीति में अद्यतन किए गए क्षेत्र, उप-क्षेत्र और परियोजनाओं के प्रकार (एसएलएफएम द्वारा विशिष्ट परियोजनाएं नहीं);
- (ख) ऊपर सूचीबद्ध अनुसार गुणवत्ता मानदंड;
- (ग) ऊपर सूचीबद्ध अनुसारलागत मानदंड ।
- (ii) एनआईए प्रकाशन। आरडीआईएफ को अपने एनआईए के बारे में खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से जागरूकता अधिकतम करनी चाहिए, जिसमें सार्वजनिक विज्ञापन और अपने सार्वजनिक डिजिटल चैनलों पर अपलोड करना शामिल है।
- (क) इसके साथ ही, आरडीआईएफ यह सुनिश्चित कर सकता है कि सर्वाधिक सक्षम भारतीय एसएलएफएम विचारार्थ उपलब्ध हों।
- (ख) आरडीआईएफ उच्च-विचारित एआईएफ, केंद्रित अनुसंधान संगठनों (एफआरओ), विकास वित्त संस्थानों (डीएफआई) और गैर-बैंकिंग वित्त निगमों (एनबीएफसी) से सक्रिय रूप से संपर्क कर सकता है, ताकि खुली एनआईए प्रक्रिया के लिए उनके आवेदन को प्रोत्साहित किया जा सके।

(iii) बोली प्रस्तुत करना। आरडीआईएफ एसएलएफएम बनने में रुचि रखने वाले संगठन बोली दस्तावेजों में आरडीआईएफ को बोली दस्तावेजों का विवरण प्रदान करेंगे। इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे

- (क) आरडीआईएफ द्वारा निर्दिष्ट उचित परिश्रम संबंधी जानकारी, जिसमें सहायक दस्तावेज शामिल हैं (जैसे एआईएफ ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट के अनुबंध, निवेश प्रबंधकों के लिए संस्था के अंतर्नियम और समझौता ज्ञापन, आदि);
- (ख) आरडीआईएफ द्वारा उपरोक्त विकल्पों में से चयनित गुणवत्ता मानदंड टेम्पलेट जानकारी, जिसमें सहायक दस्तावेज भी शामिल हैं;
- (ग) उपरोक्त विनिर्देश के अनुसार लागत मानदंड टेम्पलेट जानकारी;
- (घ) विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कोई अन्य जानकारी।

6.2 चरण 2: आरडीआईएफ द्वारा स्क्रीनिंग और निवेश ज्ञापन तैयार करना। आरडीआईएफ निम्नलिखित कार्य करेगा:

- (i) बोली दस्तावेजों और सभी सहायक सामग्रियों का विस्तृत सत्यापन, समीक्षा और विश्लेषण करना; आवेदकों से आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना;
- (ii) एनआईए सूचना और उचित परिश्रम आवश्यकताओं के साथ बुनियादी अनुपालन के लिए आवेदनों की जांच करना;
- (iii) ऐसी स्क्रीनिंग को मंजूरी देने वाली बोलियों के लिए: सत्यापन और समीक्षा से प्राप्त प्रमुख विवरणों का सारांश देते हुए (और जहां आवश्यक हो आवेदकों से स्पष्टीकरण मांगते हुए) निवेश ज्ञापन का मसौदा तैयार करना;
- (iv) इन निवेश ज्ञापनों को बोली दस्तावेजों के साथ कार्यकारी परिषद को विचारार्थ उपलब्ध कराना, साथ ही विशेषज्ञ सलाहकार समिति की विशिष्ट सलाह, यदि कोई हो, भी उपलब्ध कराएं।

6.3 चरण 3: विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा मूल्यांकन और सिफारिश। विशेषज्ञ सलाहकार समिति आवेदकों को आरडीआईएफ वित्तपोषण के लिए उनकी उपयुक्तता पर प्रस्तुतियाँ देने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

- (i) विशेषज्ञ सलाहकार समिति आवेदकों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और अंकन करती है, तथा निम्नलिखित के आधार पर चयन हेतु एसएलएफएम की सिफारिश करती है:

- (क) लागत, ऊपर उल्लिखित व्यापक मानदंडों के अनुसार;
- (ख) गुणवत्ता, ऊपर उल्लिखित व्यापक मानदंडों का पालन करते हुए।

- (ii) कार्यकारी निदेशक, आरडीआईएफ चयन प्रक्रिया के संबंध में विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशों का दस्तावेजीकरण करेंगे और उन्हें कार्यकारी परिषद के विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

6.4 चरण 4: कार्यकारी परिषद की सिफारिशें। कार्यकारी परिषद, प्रस्तुत प्रस्तावों पर उचित विचार-विमर्श के बाद, अंतिम अनुमोदन के लिए ईजीओएस को एसएलएफएम की एक सूची की सिफारिश कर सकती है।

- 6.5 चरण 5: ईजीओएस अनुमोदन। ईजीओएस कार्यकारी परिषद की सिफारिशों पर विचार करेगा और तदनुसार अपने निर्णय और अनुमोदन दर्ज करेगा।
- 6.6 चरण 6: अनंतिम आशय पत्र और अंशदान/ऋण समझौता।
- (i) आरडीआई-गहन प्रौद्योगिकी निवेश के लिए आगे निजी पूंजी जुटाने में एसएलएफएम को सहायता करने के लिए, आरडीआईएफ उचित समयावधि के भीतर एसएलएफएम को एक अनंतिम आशय पत्र जारी करेगा।
 - (ii) एसएलएफएम द्वारा निजी निवेशकों के साथ निष्पादित अंशदान/ऋण करार की प्राप्ति पर, आरडीआईएफ एक उचित समय अवधि के भीतर एसएलएफएम के साथ अपने स्वयं के अंशदान/ऋण करार को अंतिम रूप देगा और निष्पादित करेगा।

[फा. सं. 01/आर डी आई/ऐपेनआरएफ - 2025]

अरुमुगम धनलक्ष्मी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**(Department of Science and Technology)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st November, 2025

G.S.R. 809(E).—The following draft of special financial rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 13(4) of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023, is hereby published for information of persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft special financial rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft financial rules, if any, may be sent to Dr. Bhupendra Kumar Sharma, Scientist D, Department of Science & Technology, Technology Bhawan, New Mehrauli Road, New Delhi-110016 email: b.k.sharma83@gov.in

The objections or suggestions, if any, received from any person in respect of the said draft special financial rules before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be taken into consideration by the Central Government.

Draft Special Financial
Rules for the
Research Development and Innovation Fund

Chapter 1: Preface

1. Government of India has decided to set up the Research, Development, and Innovation Fund (RDIF) to spur private sector's efforts in research, development & innovation. For this purpose, the Union Cabinet has approved Research, Development, and Innovation (RDI) Scheme with an outlay of Rs One Lakh Crore over the period of six years. The scheme will finance or refinance those proposals of the private sector, which are likely to have a transformative and strong ripple impact on the economy and have potential for high growth and commercial success.
2. **Salient points of the RDI Scheme:**
 - (i) **Flow of Government Funds as interest free loan:** A Special Purpose Fund (SPF) within Anusandhan National Research Foundation (ANRF) will be set up as the corpus fund (RDIF). ANRF to establish an independent business unit with a separate team that will specifically manage the SPF for spurring private sector-driven research and innovation at commercial scale, as distinct from the core functions of the ANRF.
 - (ii) The Independent Business Unit under the ANRF to act as the 1st level custodian of the RDIF.
 - (iii) **Selection of Second Level Fund Managers(s) (SLFMs), which will disburse funds to the selected projects:** The SLFMs will be selected with the approval of the Empowered Group of Secretaries (EGoS) on the recommendation of the Executive Council of ANRF.
 - (iv) **Types of Funding to SLFM:** The funding to the SLFM would be mostly in the form of a concessional loan/purchase of units in the case of Alternative Investment Funds. The extent of concession may vary based on the sectors/projects covered by the SLFM.
 - (v) **Special Financial Rules:** The Special Financial Rules for the implementation of this Scheme, in place of General Financial Rules (GFR) have been formulated by the Department of Science & Technology in consultation with the Executive Council ANRF and the same is finalized with the concurrence of the Department of Expenditure. Section 13(4) of the ANRF Act, 2023 allows framing of such rules which may be different from the GFR.
 - (vi) **Quantum of Financing:** The scheme will finance not more than 50 per cent of the project cost, and the balance is to be brought in by the proponent private entity by way of commercial funding and own resources.
 - (vii) As a 'corpus fund' established at the 1st Custodian level, the proceeds on repayment or exit proceeds from the private entities, will come back to that corpus fund to be used again, instead of being credited back to the Consolidated Fund of India (CFI). The funds will be returned only after 50

years. A key objective of the scheme is to enable and facilitate effective recycling of capital to keep supporting R&D efforts by the private sector.

- (viii) The contribution from the private sector at the corpus fund level is not envisaged. However, the contribution may come in the fund promoted by the Deep Tech Fund of Funds. At the project level, the contribution by the private sector should certainly be at least 50 per cent.
- (ix) The fund flow from CFI to the RDIF shall be based on half-yearly net requirement of funds for disbursement to the SLFM.
- (x) The proceeds on repayment or exit proceeds from the private entities will come to RDIF through SLFM.
- (xi) The Special Financial Rules have been formulated for facilitating effective deployment and usage of RDIF, budgeting and accounting arrangements, and recycling of the returns, for proper implementation of the RDI Scheme in a smooth and non-overly prescriptive manner.
- (xii) The Rules are framed based on the following definitive documents viz.,
 - a. Investment Thesis of RDIF (*attached in Appendix 1*)
 - b. Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (*attached in Appendix 2*)
 - c. Selection of SLFMs (*attached in Appendix 3*)

Chapter 2: Introduction

Rule 1 Short Title & Commencement. These rules may be called “Special Financial Rule 2025 for RDIF” and it shall come into effect from the date of notification by DST under Section 13(4) of ANRF Act 2023.

Rule 2 Applicability. Applications of these rules are restricted to the financial transaction/governance related to Special Purpose Fund (RDIF) only, established under Section 13(2)(d) of ANRF Act 2023.

Rule 3 Definition. In these rules, unless the context otherwise requires-

- (i) **Anusandhan National Research Foundation (ANRF):** means the Foundation established through the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023.
- (ii) **Alternative Investment Funds:** means Alternative Investment Funds, as defined in Section 2 (1) (b) of Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012.
- (iii) **Carried Interest:** means a percentage of profit generated from investments, and is a reward for the fund manager for maximising the return for investors in the Alternative Investment Fund.
- (iv) **Consolidated Fund of India (CFI):** means the Consolidated Fund of India, as under Article 266(1) of the Constitution of India.
- (v) **Financial Year:** means the year beginning on the 1st of April and ending on 31st of March of the following year.
- (vi) **Eligible Technology Entities:** means any legal entity which is engaged in developing RDI-intensive technology (TRL4 and above). These could include companies registered the Companies Act 2013, partnerships registered under the Indian Partnership Act, 1932, and limited liability partnerships registered under the Limited Liability Partnership Act, 2008, engaged in scale-up of RDI-intensive technologies beyond Technology Readiness Level 4. These shall include startups as defined in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade Notification G.S.R. 127(E) dated 19 February 2019, as may be modified from time to time.
- (vii) **Empowered Group of Secretaries (EGoS):** means an Apex Level Committee of RDIF comprising of Cabinet Secretary as the Chair, Principal Scientific Advisor to the Government of India, Secretaries to the Government of India in the Department of Economic Affairs, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Department of Science and Technology, and other co-opted members depending on subjects/ sectors/ projects involved.
- (viii) **Executive Council (EC):** means the Council constituted under Sub-section 1 of Section 7 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2003.
- (ix) **Executive Director RDIF (ED RDIF):** Executive Director of RDIF, appointed by the Executive Council of ANRF, and to be responsible for the overall management of the RDIF

- (x) **Expert Advisory Committee:** means a committee constituted by the Executive Council under Sub-section 1 of Section 12 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023, comprising of an eminent industry leader drawn from technology, industry, investment, and/ or R&D sectors as the Chair; three to four experts drawn from industry, investment, and/ or technology R&D sectors, and Executive Director as the Member Secretary of the Committee.
- (xi) **Fund of Funds:** means Alternative Investment Funds which themselves invest in units of other AIFs as per the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012. Such an AIF would be referred to as a Fund of Funds. In such cases, these Funds of Funds shall ensure that any daughter AIFs to which it contributes RDIF funds (a) shall not themselves invest RDIF funds in units of other AIFs (b) shall themselves comply with all the provisions specified for, and be treated as, SLFMs.
- (xii) **Intellectual Property Rights:** means rights pertaining to patents, trademarks, registered designs, copyrights and layout design of integrated circuits, and all other property rights protected by The Patents Act, 1970, as amended by the Patents (Amendment) Acts of 1999, 2002, and 2005; and other statutes and acts relevant to these rights.
- (xiii) **Investment Committee (IC):** means a committee set up by SLFMs, for assessing and vetting investment proposals presented by the Fund Management Team, and taking investment decisions.
- (xiv) **Management Fee:** means fees chargeable to the Alternative Investment Fund, as per the Investment Management Agreement between the fund and the fund manager. This fee is paid to the fund manager, which is usually specified as a percentage of the capital committed during the commitment period. Thereafter, it reduces to a fixed percentage of the actual invested capital, if it is lesser than the committed capital, or as a percentage of the underlying value of the assets under management (AUM) of the fund.
- (xv) **Net Interest Margin:** means the difference between the interest rate at which any Second Level Fund Manager lends capital to Eligible Technology Entities, and that at which the said Second Level Fund Manager receives funding from RDIF.
- (xvi) **Quality and Cost Based Selection (QCBS):** means a selection process as defined in Rule 52 of Special Financial Rules of RDIF.
- (xvii) **Research Development & Innovation Fund (RDIF):** means a Special Purpose Fund of ANRF established as an Independent Business Unit under Clause (d) of Sub-Section (2) of Section 13 of the Anusandhan National Research Foundation Act, 2023 with a purpose to spur private sector's efforts in Research, Development, and Innovation.
- (xviii) **RDIF Professionals and Employees:** means the personnel as defined in the RDIF Governance Structure and Management Team document as approved by the EC.
- (xix) **Second Level Fund Managers:** means Alternative Investment Funds, Development Finance Institutions, Non-banking Finance Corporations, and

Focused Research Organisations which are selected to receive funds under the Research Development and Innovation Scheme to invest in Eligible Technology Entities the form of equity, debt, or a combination of both.

- (XX) **Treasury Single Account:** means Treasury Single Account system as outlined in OM No. 3/ (06)/PFMS/2023 dated 21st May, 2024.

Rule 4 Removal of Doubts. Where doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these Rules, the matter shall be referred to the Department of Science & Technology (DST) for decision.

Rule 5 Modifications.

- (i) The systems and procedures established by these Rules are subject to general or special instructions/ orders, which the DST may issue from time to time;
- (ii) The systems and procedures established by these Rules may be modified by DST only with the concurrence of the Department of Expenditure/Ministry of Finance.

Chapter 3: General Rules

Rule 6 Notwithstanding anything stated under the General Financial Rules, 2017 (hereafter referred to as GFR) the financial transaction/governance related to this Special Purpose Fund (RDIF) shall be governed by these Special Financial Rules (hereafter referred to as SFR).

Rule 7 Any matter unless otherwise specifically addressed in this SFR, the provisions of GFR shall apply till such time such provisions are made, amended and included in the SFR following the due process as provided for in Rule 5.

Rule 8 It is the duty of the RDIF professionals and employees concerned to ensure that the receipts and dues of the RDIF are correctly and promptly assessed, collected and duly credited to the RDIF account.

Rule 9 Amounts due to RDIF shall not be left outstanding without sufficient reasons. Where such amounts appear to be irrecoverable, the approval of the EC shall be obtained for their adjustment.

Rule 10 Standards of financial propriety. Every professional and employee of RDIF incurring or authorizing expenditure from RDIF should be guided by high standards of financial propriety. Every professional and employee should also enforce financial order and strict economy and see that all relevant financial rules and regulations are observed, by his own office and by subordinate disbursing professionals and employees. Among the principles on which emphasis is generally laid are the following:

- (i) Every professional and employee is expected to exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from RDIF money as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money.
- (ii) The expenditure should not be prima facie more than the occasion demands.
- (iii) No authority should exercise its powers of sanctioning expenditure to pass an order which will be directly or indirectly to its own advantage.
- (iv) Expenditure from RDIF moneys should not be incurred for the benefit of a particular person or a section of the people, unless –
 - a. a claim for the amount could be enforced in a Court of Law, or
 - b. the expenditure is in pursuance of a recognized policy or custom. [*GFR Rule 21*]

Rule 11 Intellectual Property Rights. In all cases, ownership of the physical and intellectual assets created or acquired out of funds provided by the RDIF shall vest with Eligible Technology Entities.

Rule 12 Hiring of Full-time RDIF professionals and employees. RDIF may select and hire competent and meritorious professionals and employees from the market at appropriate remuneration levels subject to the maximum compensation as approved by the competent authority for the positions created under RDIF.

Rule 13 Part-time Hiring. RDIF may hire part-time consultants/experts/agencies from the market at appropriate compensation rates.

Chapter 4: Rules Related to Fund Flow

Part 4A: From CFI to RDIF

Rule 14 The flow of funds from RDIF to SLFM shall be done in “Just-In-Time” manner in the Treasury Single Account (TSA) system¹. For this purpose, the ANRF shall open an account in Reserve Bank of India (RBI) for RDIF.

Rule 15 RDIF shall open an account in any Scheduled Commercial Bank to receive fund returned by SLFMs, which includes principal/ interest repaid, exit proceeds, and other receipts etc.

Rule 16 The fund flow from CFI to RDIF shall be provided based on half-yearly net requirements of funds for disbursement to SLFMs.

Rule 17 DST will issue authorization to ANRF for RDIF based on half-yearly net fund requirement. Based on the authorisation issued by DST, fund shall be drawn in “Just- In-Time” manner by RDIF.

Rule 18 Operational Expenditure of RDIF. Direct budgetary support will be provided to meet operational expenditure (salary and administrative expenditure, etc) of RDIF. DST will create a separate budget line in its budget. Once RDIF starts getting returns from SLFMs and starts breaking even, the direct budgetary support will be stopped, as it is expected that RDIF will become self-sustaining with respect to operational expenses.

Rule 19 RDIF shall have the freedom to invest the surplus fund, if any, in a deposit instrument, other than that mentioned in Rule 18, in any scheduled commercial bank, at market driven highest interest rate using a transparent bidding method.

Rule 20 RDIF shall have to return the entire fund to the CFI only after 50 years, without any interest. The year means Financial Year.

Rule 21 RDIF shall recycle the capital received from SLFMs to keep supporting research, development, and innovation efforts by the private sector.

Rule 22 The Financial Year will be taken into consideration to calculate 50 years for the purpose of return. The money received in the respective Financial Year by RDIF is to be returned to CFI at the closure of the corresponding 50th Financial Year.

[**Note:** For example, let us say Rs 10,000 crore is received in Financial Year 2025-26, Rs 20,000 crores in Financial Year 2026-27, and so on. Then RDIF shall have to return

¹ Ref: OM is No. 3/ (06)/PFMS/2023 dated 21st May, 2024.

Rs 10,000 crore in Financial Year 2075-76 (by 31st March 2076), Rs 20,000 crore in Financial Year 2076-77 (by 31st March 2077), and so on.]

Rule 23 RDIF to return the loan to CFI in a manner such that the entire amount of Rs One Lakh Crore gets repatriated back to CFI in an efficient and timely manner after the time-period of 50 years in accordance with Rule 22.

- (i) In case, after return of Rs One Lakh Crore any surplus remains with RDIF, then the same shall also be returned to CFI.
- (ii) In case, there is any shortfall, then the same shall be written off following Rule 24.

Rule 24 Write off. In case there is a shortfall in returning the loan by RDIF to CFI after 50 years, its write-off shall be done by the Government as per extant rules.

Part 4B: RDIF to SLFMs

Rule 25 Fund flow from RDIF to SLFMs shall be via:

- (i) Alternate Investment Fund (AIF) mechanisms i.e., purchase of units in Schemes of AIF Trusts via Contribution Agreements (including Fund of Funds); or
- (ii) Loans, at low rates with extended tenors via Loan Agreements

Rule 26 RDIF to release funds to the SLFMs as per drawdown notice as mentioned in Loan/Contribution Agreements.

Rule 27 RDIF shall stop new commitment/funding to SLFM from such time after assessing the requirement of repatriating back the principal amount to CFI in accordance with Rule 22 and Rule 23.

Rule 28 SLFMs shall prepare fund requirement, in such form as may be decided/prescribed by the RDIF, showing estimated receipts from the proceeds on repayment, or exit proceeds from the private entities, and other sources, and forward the same to RDIF.

Rule 29 Upon receipt of such demand from SLFMs, RDIF to release the fund to the designated bank account of the SLFM within a specified time frame (ref Rule 26).

Part 4B.I: Fund Flow from RDIF to SLFMs and vice versa in the AIFs mode

Rule 30 Funding Terms. RDIF shall allocate funds to AIFs through modes as prescribed in the *Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2)*.

Rule 31 Term Life. RDIF shall allocate funds to AIFs with term life as prescribed in the *Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2)*.

Rule 32 Limits to RDIF Financial Contribution. RDIF shall contribute to SLFM's aggregate capital up to limits as prescribed in the *Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2)*.

Rule 33 Management Fees. RDIF shall accept amounts charged as management fees by the SLFMs, subject to maximum cap, as prescribed in the *Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2)*.

Rule 34 Carried Interest. RDIF shall accept amounts charged as carried interest by the SLFMs, subject to maximum cap, as prescribed in the *Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2)*.

Rule 35 Returns. SLFMs shall return funds to RDIF according to Modes as prescribed in the *Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2)*. The Modes applied may vary from one SLFM to another in line with the *Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2)*.

Part 4B.II: Fund Flow from RDIF to SLFMs and vice versa in the Loan financing mode

Rule 36 Interest Rates. RDIF shall allocate funds to SLFMs at such lower rates as prescribed in the *Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2)*. These rates may vary from one SLFM to another.

Rule 37 Tenors. RDIF shall allocate funds to SLFMs over such extended tenors as prescribed in the *Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2)*. These tenors may vary from one SLFM to another.

Rule 38 Management Fees. RDIF shall accept amounts charged as management fees by the SLFMs, subject to maximum cap, as prescribed in the *Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2)*.

Rule 39 Lock-in Period. RDIF shall provide SLFMs with a minimum lock-in period on principal and interest payments as may be decided by RDIF following the *Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2)*. SLFM shall pay back both principal and interest after the lock-in period as per the terms and conditions of the loan agreement.

Rule 40 Investment Limit of RDIF. RDIF contributions in the loan mode to any SLFM shall be subject to a maximum limit as prescribed in the *Financing Framework for RDIF to fund SLFMs (attached in Appendix 2)*.

Chapter 5: Rules Related to Budget & Accounting

Part 5A: Rules Related to Budget

Rule 41 Financial Year. Financial Year of the RDIF shall commence on the 1st day of April of each year and end on the 31st day of March of the following year.

Rule 42 The RDIF shall have to prepare its annual budget and that shall contain the following:

- (i) Estimates of all receipts, from SLFMs, interest income from short-term deposits, if any, etc. expected to be generated during the financial year to which the budget relates;
- (ii) Estimates of all expenditure to be incurred (disbursements to SLFMs), operational expenditure for management of RDIF in the financial year, etc;
- (iii) Any other information as may be prescribed.

Rule 43 RDIF shall present its annual budget to DST after getting it approved from the EC at a time and format as may be prescribed by DST in consultation with RDIF.

Rule 44 Duties and Responsibilities of ED RDIF. The ED RDIF shall:

- (i) be responsible and accountable for financial management of RDIF;
- (ii) ensure that the RDIF funds are used for the purpose for which they were meant;
- (iii) be responsible for the effective, efficient, economical and transparent use of the resources of the RDIF in achieving its stated objectives, whilst complying with performance standards;
- (iv) review and monitor regularly the performance of the RDIF to determine whether stated objectives are achieved;
- (v) be responsible for preparation of expenditure and other statements relating to RDIF as required by regulations, guidelines or directives issued by EC/ EGoS/DST;
- (vi) shall ensure that RDIF maintains full and proper records of financial transactions and adopts systems and procedures that shall at all times afford internal controls;
- (vii) shall ensure that RDIF follows the procurement procedure for execution of works, as well as for procurement of services and supplies, and implements it in a fair, equitable, transparent, competitive and cost- effective manner. ED RDIF shall ensure that such procedures shall be designed and executed for nimbleness, speed, and efficiency;
- (viii) shall take appropriate steps to ensure that RDIF:
 - a. collects all moneys due to the RDIF and
 - b. avoids unauthorized, irregular and wasteful expenditure.

Part 5B: Rules Related to Accounting

Rule 45 Accounts. RDIF shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the EC of ANRF in consultation with CAG. Accounts of the RDIF shall be prepared every year showing receipts from all sources (DST, SLFMs, Interest etc.) and all disbursements (to SLFMs, operational expenditures of RDIF) for the year, surplus or deficit generated during the year and changes in the liabilities and assets.

Rule 46 Period of Accounts. The Annual Accounts of RDIF shall record transactions which takes place during a financial year running from 1st April to 31st March.

Rule 47 Currency. The accounts of RDIF shall be maintained in Indian Rupees. Foreign currency transactions and foreign aid, if any, shall be brought into account after conversion into Indian Rupees on the date of such transaction.

Rule 48 Principal of Accounting. The RDIF shall prepare an accounting policy (cash basis, accrual basis or dual basis) in consultation with CAG and prepare its account as per the approved accounting principal.

Rule 49 Capital or Revenue Expenditure. Significant expenditure incurred with the object of acquiring tangible assets of a permanent nature (for use in the RDIF and not for sale in the ordinary course of business) or enhancing the utility of existing assets, shall broadly be defined as Capital expenditure.

Subsequent charges on maintenance, repair, upkeep and working expenses, which are required to maintain the assets in a running order as also all other expenses incurred for the day-to-day running of the organisation, including establishment and administrative expenses shall be classified as Revenue expenditure. Capital and Revenue expenditure shall be shown separately in the RDIF Accounts.

Rule 50 Principles for allocation of expenditure between Capital and Revenue. The following are the main principles governing the allocation of expenditure between Revenue and Capital:

- (i) Capital shall bear all charges for the first construction and equipment of a project as well as charges for intermediate maintenance of the work while not yet opened for service. It shall also bear charges for such further additions and improvements, which enhance the useful life of the asset, as may be sanctioned under rules made by competent authority.
- (ii) Subject to Clause (iii) below, revenue shall bear subsequent charges for maintenance and all working expenses. These embrace all expenditure on the working and upkeep of the project and also on renewals and replacements and additions, improvements or extensions that are revenue in nature as per rules made by the RDIF.
- (iii) In the case of works of renewal and replacement, which partake expenditure both of a capital and revenue nature, the allocation of expenditure shall be regulated by the broad principle that Revenue should pay or provide a fund for the adequate re- placement of all wastage or depreciation of property

originally provided out of capital grants. Only the cost of genuine improvements, which enhance the useful life of the asset whether determined by prescribed rules or formulae, or under special orders of RDIF, may be debited to Capital.

- (iv) Expenditure on account of reparation of damage caused by extraordinary calamities such as flood, fire, earthquake, enemy action, etc., shall be charged to Capital, or to Revenue, or divided between them, depending upon whether such expenditure results in creation/acquisition of new assets or whether it is only for restoring the condition of the existing assets, as may be determined by RDIF according to the circumstance of each case.
- (v) Expenditure on a temporary asset cannot ordinarily be considered as a capital expenditure and shall not, except in cases specifically decided on the advice of the CAG, be debited to a Capital Head.

Chapter 6: Selection and Contract Management for SLFMs

Rule 51 Methods of Selection of SLFMs. The method of selection of SLFMs shall be Quality and Cost Based Selection (QCBS) and nomination basis as approved by the EC in the *Selection of Second Level Fund Managers (attached in Appendix 3)*.

Rule 52 Quality and Cost Based Selection (QCBS) for Commercial SLFMs. QCBS may be used for selection of SLFMs as approved by the EC.

- (i) In QCBS initially the quality of SLFMs is scored as per quality criteria announced in the RFP. Only those responsive proposals that have achieved at least a minimum specified qualifying score in quality criteria are considered further.
- (ii) After opening and scoring, the cost criteria of qualitatively qualified bidders, a final combined score is arrived at by giving predefined relative weightages for the score of quality criteria of the SLFM and the score of cost-criteria of the SLFM.
- (iii) The RFP shall specify the minimum qualifying score for the quality criteria and the relative weightages to be given to the quality and cost. The SLFM with the highest weighted combined score (quality and cost) shall be selected.
- (iv) The weightage of the quality criteria in no case should exceed 90 percent.

Rule 53 Execution of Contribution/Loan Agreements between RDIF and SLFMs. RDIF shall enter into an appropriate legal agreement (Contribution/Loan) with SLFMs. The following principles should be observed while entering into such agreements.

- (i) **General Principles:**
 - a. The terms of such agreements must be precise, definite and without any ambiguities.
 - b. Details of RDI-intensive technologies/ R&D and RDIF Priority Sectors as approved in the *Investment Thesis of RDIF (attached in Appendix 1)*
 - c. Periodicity of fund transfer (ref Rule 28)
 - d. Details of SLFM fund requirements (ref Rule 28)
 - e. Details of release of funds from RDIF to SLFMs (ref Rule 29)
 - f. Limits to use of RDIF funds in projects
 - g. SLFMs shall prepare their own investment guidelines to govern their follow-on investments in companies including startups.
 - h. Technology Acquisition limits
 - i. Exceptions and Exclusions
 - j. Clauses related to conflict of interest
 - k. Clauses related to arbitration
- (ii) **Specific to Contribution Agreement.** The terms of Contribution Agreements must include clear specifications of the following:
 - a. Funding Terms for RDIF contribution to AIF (ref Rule 30)

- b. Term Life (ref Rule 31).
 - c. Limits to RDIF Financial Contributions (ref Rule 32)
 - d. Management Fees (ref Rule 33)
 - e. Carried Interest (ref Rule 34)
- (iii) **Specific to Loan Agreement.** The terms of Loan Agreements must include clear specifications of the following:
- a. Interest Rates (ref Rule 36)
 - b. Tenors (ref Rule 37)
 - c. Management Fee (ref Rule 38)
 - d. Lock-in Period (ref Rule 39)
 - e. Investment Limit of RDIF (ref Rule 40)
 - f. **In the case of simple pass-through:** Net interest margin, tenor, and moratorium requirements

Rule 54 Monitoring Contracts. The RDIF should be involved throughout in the monitoring of SLFMs and continuously monitor their performance so that it is in line with RDIF's objectives.

APPENDIX 1: Investment Thesis of RDIF

- 1. Introduction.**²The Investment Thesis serves as a strategic framework to guide the investment activities of the Research, Development, and Innovation Fund (RDIF), which is established as a Special Purpose Fund (SPF) under the Research, Development and Innovation scheme. It is designed to fulfil RDIF's mandate as outlined by the Government of India.
- 2. Background.** Research, development, and innovation (RDI) remains essential to India's economic security, strategic purpose, and self-reliance. To retain strategic autonomy and competitiveness, India must rank amongst the top three to five globally, in five to 10 of our chosen key technology areas.

To achieve this, India has built strength in applied R&D. India occupies global top- five positions for high-impact research in 45 out of 64 critical technologies on the 2024 Australian Strategic Policy Institute (ASPI) Critical Technology Tracker³; a top-three position in scientific publications per year; a top-three position in the number of science and engineering PhDs; and a top-seven position in resident patent filings. India has launched dedicated programmes – including the National Mission on Integrated Cyber Physical Systems, the National Quantum Mission, the India AI Mission, inter alia – to gain strategic autonomy in emerging technologies.

Despite this, India's private sector was responsible for just 36.4% of India's R&D investments (as a percentage of GDP) in 2021. Combined public and private R&D investment totalled just 0.64% of GDP. This is due the following:

- 2.1. Special nature of R&D scaling and RDI-intensive technologies**⁴. Private underinvestment in RDI is caused by the novelty and uncertainty involved in applying scientific advances to commercial opportunities. Entities scaling RDI- intensive emerging technologies derive value from (a) new advances in underpinning science bases, and (b) new applications of these advances to use-cases, unlocking new markets. This novelty is essential to the high economic returns and capability that RDI generates. However, it also multiplies failure points in technology development, and the uncertainties accompanying such failure. This affects both innovators and investors.

² The Guidelines balance three factors: (a) accountability to Parliament for public funds (b) encouraging private investors to invest in RDI-intensive technology innovators (c) derisking Indian companies including innovating RDI-intensive technologies, who are RDIF's final beneficiaries.

³ *Critical Technology Tracker Report*. (2024). Australian Strategic Policy Institute. See Appendix 1: Top 5 countries visual snapshot (2019–2023)

⁴ Government's case for (a) intervening in the private investment market (b) restricting use of RDIF's taxpayer funds to R&D/ RDI-intensive technologies (c) a flexible, but rigorous, definition of exactly what such technologies are – see below.

- 2.2. Risks affecting innovators. For innovators, the aforesaid failure points and uncertainty impinge on every stage of R&D scaling, including (a) product development, challenged by untested functionality and architectures of novel technologies; through (b) production, complicated by undefined value chains, immature supply networks, and the absence of established technical or regulatory standards; to (c) marketing and adoption, hampered by unpredictable user behaviour and market readiness for new technologies. These risks collectively impact cashflow volatility, escalating the risk of enterprise failure, especially for early-stage firms.
- 2.3. Risks affecting investors. The novelty and uncertainty of RDI also limits the availability of conventional risk assessment frameworks typically used by private investors such as those underpinning capital asset pricing models in more mature domains. Equally, investors can find their understanding of scientifically complex RDI-based projects limited, relative to that of the innovators seeking their investment.

This information asymmetry creates uncertainty for private investors in evaluating the viability of investments in RDI-intensive technologies, and deterring principal-agent problems such as adverse selection (innovators understating their technologies' risks to seek under-priced capital) and moral hazard (investees misusing funds for purposes other than innovation financing). This impacts investors' cashflows and returns, deterring the private investment essential to long-term scaling of RDI.

2.4. RDIF Solutions. RDIF addresses these challenges by

- (i) Financially supporting eligible entities developing RDI-intensive technologies with capital at:
- (a) developmental stages (Technology Readiness Level 4 and above) conducive to scaling R&D;
 - (b) rates sufficiently low to survive failure risk; and
 - (c) tenures adequately long to recover from failure, and sustain R&D's extended gestation periods;
- (ii) Routing these funds via Second Level Fund Managers, which would also include private investors, at rates low enough to limit their risk when investing in RDI-intensive technologies. This blended financing approach familiarises India's private investors with emerging technologies, to:

- (a) reduce investment uncertainty; and
- (b) mobilise private capital to R&D at large scales over the long term.

3. Objectives. RDIF is set up with the following objectives:

- 3.1. Encourage the private sector to scale up RDI in sunrise domains and in other sectors relevant for economic security, strategic purpose, and self-reliance;
- 3.2. Finance transformative projects at higher levels of Technology Readiness Level (TRL) of 4 and above.
- 3.3. Support acquisition of technologies which are critical or of high strategic importance;
- 3.4. Facilitate setting up of a Deep-Tech Fund of Funds.

RDIF's Investment Thesis framework is designed with the intention to achieve the aforesaid objectives.

4. Encouraging the Private Sector to Scale Up RDI: Access to Funding. To encourage private sector scaling of RDI, RDIF shall:

- 4.1. Make funds available to Eligible Technology Entities (as defined in Para 6 below) including startups scaling up R&D from TRL 4 onward:
 - (i) Through financing or refinancing⁵ via (a) long-term loans (including optionally convertible debt), which are expected to be unsecured (b) equity, especially in the case of startups (c) a combination of both;
 - (ii) With patient capital at low rates so as to moderate the risks and sustain the extended gestation periods of scaling up R&D;
 - (iii) But not via grant financing or short-term loans.
- 4.2. Channel these funds via Second Level Fund Managers (SLFMs), which shall include:
 - (i) Alternative investment funds (AIF)

⁵ "The RDI Scheme aims to provide long-term financing or refinancing with long tenors at low or nil interest rates to spur private sector investment in RDI." <https://www.pib.gov.in/PressReleaseDetail.aspx?PRID=2141130>

- a. These may also include AIFs which themselves invest in units of other AIFs as permitted in the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012. Such an AIF would be referred to as a Fund of Funds. In such cases, these Funds of Funds shall ensure that any daughter AIFs to which it contributes RDIF funds (a) shall not themselves invest RDIF funds in units of other AIFs (b) shall themselves comply with all provisions specified for, and be treated as, SLFMs in the Implementation Guidelines.

- (ii) Development finance institutions (DFIs);
- (iii) Non-banking finance corporations (NBFCs), and
- (iv) Focused research organisations (FROs);

4.3. Provide these funds to SLFMs as:

- (i) Contributions to AIFs, typically via purchase of units in Schemes of AIF Trusts;
- (ii) Loans, at low rates with extended tenors.

5. Sunrise Domains: *RDIF Priority Sectors*. To achieve Government of India objectives in targeting sunrise domains, RDIF shall fund Eligible Technology Entities as defined in Para 6 below:

5.1. In sunrise sectors:

- (i) Energy security and transition, and climate action;
- (ii) ‘Deep Technology’ including quantum computing, robotics, and space;
- (iii) Artificial Intelligence and its application to Indian problems, including in agriculture, health, and education;
- (iv) Biotechnology, biomanufacturing, synthetic biology, pharmaceuticals, and medical devices;
- (v) Digital economy, including digital agriculture;

5.2. In other sectors:

- (i) Technologies whose indigenization is important for strategic reasons or for economic security and Atmanirbharta;

- (ii) Any other sector or technology deemed necessary in the public interest;

5.3. In sectors updated to these lists with the approval of the RDIF Empowered Group of Secretaries (EGoS), on the recommendation of the ANRF Executive Council;

5.4. In a manner that supports entire industry sectors in scaling R&D, from laboratory-tested components to manufactured products and proven systems. RDIF will achieve this by methodically targeting funding to companies working across the entire value network involved in transitioning R&D from laboratory to commercialisation. This will help create new industries, or transform existing ones, around Indian RDI.

6. Eligibility Criteria for Receiving RDIF Funds via SLFMs.

6.1. RDIF funds shall be provided by SLFMs exclusively, at the time of investment by the SLFM⁶to⁷ **Eligible Technology Entities**, which:

- (i) Are defined as any legal entity registered in India, and duly incorporated and governed under the applicable laws of India (including the Companies Act 2013, the Indian Partnership Act, 1932, the Limited Liability Partnership Act, 2008, etc.; this to include startups as defined in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade Notification G.S.R. 127(E) dated 19 February 2019, as may be modified from time to time); with principal place of business/operations in India; engaged in developing RDI-intensive technology at Technology Readiness Level 4 and above,

⁶ The objective of this section is to achieve strategic autonomy and a product economy for India. It therefore ensures that controlling stakes remain with resident Indian citizens, so that RDIF-funded companies and technologies are not acquired by those outside India, in a manner that undermines this objective. Equally, the section allows for Indian companies to raise foreign direct investment, to scale to globally-competitive standards consequent to RDIF funding.

⁷ As defined in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade Notification G.S.R. 127(E) dated 19 February 2019.

- (ii) Are under the control⁸ of resident Indian citizens⁹, as defined in the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)'s Consolidated FDI Policy (2020);
- (iii) Have their registered global headquarters in India. This ensures that global revenues and profit would be consolidated under the Indian- registered entity.

6.2. Eligible Technology Entities receiving RDIF funds shall, for all Intellectual Property Rights (IPRs)¹⁰, as defined in applicable Indian law and rules, developed as a consequence of RDIF funding:

- (i) Register such IPR in India, under applicable Indian law and rules;
- (ii) Retain ownership of such IPR, for the term of the IPR (i.e. the period for which the IPR is valid) under applicable Indian law.

6.3. Eligible Technology Entities receiving RDIF funds shall comply with applicable Government of India rules and directions related to security, export control¹¹, foreign acquisition or control, and other strategic concerns.

6.4. Many of the technologies developed by RDIF will offer new capabilities relevant to Government agencies e.g. under Aatmanirbhar Bharat. RDIF shall proactively reach out to Government of India agencies concerned, to inform and coordinate with their decision-making in this regard.

7. Financing Transformative Projects.

⁸ DPIIT Consolidated FDI Policy 2020 Section 2.1.9: "*'Control'* shall include the right to appoint a majority of the directors or to control the management or policy decisions, exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements. For the purposes of Limited Liability Partnership, '*control*' will mean right to appoint majority of the designated partners, where such designated partners, with specific exclusion to others, have control over all the policies of the LLP."

⁹ DPIIT Consolidated FDI Policy 2020 Section 2.1.45: "*'Resident Indian Citizen'* shall be interpreted in line with the definition of '*person resident in India*' as per FEMA, 1999, read in conjunction with the Indian Citizenship Act, 1955."

¹⁰ All applicable Indian laws, rules, and guidelines would apply. IPR include patents, trademarks, registered designs, copyrights and layout design of integrated circuits. For example, these would include but not be limited to: The Patents Act, 1970, as amended by the Patents (Amendment) Acts of 1999, 2002, and 2005; The Semiconductor Integrated Circuits Layout-Design Act, 2000; The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001; The Designs Act, 2000; The Trade Marks Act, 1999; The Copyright Act, 1957; and others. The descriptive list, designed to comprehensively cover the results of RDI funding, derives from Government of India precedent from the Department of Telecommunications' Telecom Technology Development Fund.

¹¹ Including the Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment, and Technologies (SCOMET) list overseen by the Director General of Foreign Trade (DGFT).

7.1. Funded Projects. SLFMs shall utilize RDIF capital for projects advanced by Eligible Technology Entities from TRL 4 or higher. Project selection shall be carried out by the SLFMs, strictly within the sectors and project types defined in the RDIF mandate and fund allocation.

7.2. Funding Limit. The financing under the scheme shall be limited to not more than 50 per cent of the total assessed cost of the project. The balance financing should be arranged by the project proponent from self or commercial sources. In exceptional types of projects/ sectors, the financial limit for government share in financing can be relaxed with the approval of the EGoS.

- (i) Loan. For Eligible Technology Entities receiving debt funding (via loan or optionally convertible debt) from the SLFM, this shall be calculated as 50% of the project cost, as specified in a proposal for achieving clearly-defined deliverables and outcomes of a project.
- (ii) Equity. For Eligible Technology Entities receiving funding via equity or equity linked instruments from the SLFM, this shall be calculated as 50% of the value of each funding round. This value would be considered when it constitutes the entire cost of achieving the objectives proposed at the time of raising the funds. At every stage of funding, RDIF funding will remain 50%.

Note: Once the project (in case of loan) or objectives (in case of equity financing) have been completed, the Eligible Technology Entities may be eligible for RDIF funds for follow-on projects / objectives.

8. Research, Development, Innovation.

8.1. RDIF funds shall only be used to support RDI-intensive technologies, which¹²

- (i) are generally based on advances in science and engineering innovation;
- (ii) typically have high uncertainty (and consequent failure risks) in functionality, adoption, production, standards / architecture;
- (iii) may entail investment in scientific or engineering R&D before product development.

¹² The characteristics derive from Murray et al's work at the Massachusetts Institute of Technology (MIT), Day and Schoemaker's work at the Wharton School, Kolev et al's work at the USPTO, Rogers' work at the University of New Mexico, Auerswald and Branscomb's work at George Mason University and IBM, Swati Chaturvedi at Propel (X), among others. These are definitive authorities in the fields of emerging technologies, Deep Tech, and early-stage technology development and entrepreneurship. (Swati Chaturvedi is responsible for first coining the term 'Deep Tech' in 2015.) The characteristics remain consistent with global government initiatives.

8.2. Ministries of the Government of India seeking inclusion of a specific technology under the Scheme shall submit their proposals to the DST for consideration by the EC ANRF, which shall thereafter be recommended to EGoS for final approval.

Note: RDIF will not fund low-end technology projects or what is generally perceived as "routine" R&D. The Executive Council may modify these characteristics and conditions as it deems fit.

9. Markets. RDIF may also strive to target markets that:

9.1. Possess strong demand, driving early adoption;

9.2. Are highly scaled globally, expanding adoption;

9.3. Promise high compounded annual growth.

10. Selection of SLFMs. Selection of SLFMs shall be in accordance with the SLFM Selection Guidelines (Appendix 3).

11. Limits to RDIF Financial Contributions to SLFMs: *Contribution to AIFs.*

11.1. To encourage private investment in RDIF Priority Sectors and RDI- intensive technologies: RDIF shall contribute to AIFs as a percentage of aggregate capital as may be determined by the Executive Council; this percentage reflecting the AIFs' focus on RDI-intensive technologies and RDIF Priority sectors, so as to enable increased RDIF funding to these technologies and sectors. RDIF-funded Funds of Funds shall contribute RDIF capital to AIFs via the same approach as above.

11.2. RDIF Funds Exclusive to RDI-intensive technologies and Priority Sectors. Across all categories above, SLFMs shall invest all funding contributed by RDIF only in Eligible Technology Entities that focus on (a) RDI- intensive technologies, as defined in Para 8 above (b) RDIF Priority Sectors, as defined in Para 5 above.

11.3. The Executive Council may mandate a minimum contribution by SLFMs from private funds to RDIF priority sectors and RDI-intensive technologies, alongside the use of RDIF capital for these purposes; should this be deemed fit.

12. Limits to RDIF Financial Contributions to SLFMs: Loans. The maximum limit on capital that RDIF would provide to SLFMs via loan mode may be determined by the Executive Council.

13. Acquisition of technologies which are critical or of high strategic importance. Financing of acquisition of technologies that are critical or of high strategic importance shall also be permissible. Acquisition must occur within the context of a wider project that translates to the development of a product.

13.1. The definition of criticality and strategic importance shall be recommended by the Executive Council for the approval of EGoS.

13.2. The total financing from an SLFM from RDIF funds for such acquisition should not exceed the percentage limit, as may be prescribed by the Executive Council, of the total funds allocated to that SLFM.

13.3. Such a limit shall not apply in cases where an SLFM is constituted exclusively or acquisition.

14. Encouraging the Private Sector to Scale Up RDI: Comprehensive Derisking Partnerships. To maximise success in scaling Indian private sector RDI:

14.1. RDIF will form outreach, awareness and information partnerships with Government agencies procuring and adopting technology, particularly in strategic domains.

14.2. RDIF will ensure such agencies are informed about the Indian technological capabilities being advanced by its funding, that may be relevant to their needs and procurement plans.

14.3. Equally, RDIF will inform SLFMs and their final investee companies and startups about such agencies' requirements, informing their R&D scaling.

14.4. Such coordination will follow an open, transparent, equitable approach.

14.5. RDIF will also form such partnerships with public institutions and organisations containing research equipment and other technology derisking facilities which Indian RDI-intensive technology innovators may find essential.

15. Exceptions and Exclusions.

15.1. RDIF shall not finance next generation labs for pre-commercial R&D. However, the cost of setting up such labs may form part of larger proposals to be financed as a project by RDIF.

15.2. RDIF shall not finance RDI by government entities and central public sector enterprises (CPSEs), unless they are involved in strategic projects in partnership with the private sector.

15.3. RDIF shall not provide grant financing. RDIF shall also not provide short- term loans, which can be met from commercial finance.

Annexure 1A to Appendix 1: Special Provisions for Strategic Sectors

1. To comply with the Government of India's objectives to scale up RDI for economic security, strategic purpose, and self-reliance: RDIF shall include terms in its contractual agreements with SLFMs.
2. These would require SLFMs to include special provisions in their own investment/ loan agreements with Indian companies and startups operating in strategic sectors.

2.1. In specific and exceptional situations, related to

- (i) Times of emergency;
- (ii) Protection of national interest or when required in public interest;
- (iii) Health and safety requirements, for Government to act in public interest;
- (iv) National security reasons;

2.2. RDIF would retain the option, following guidance from the Executive Council, to use RDIF-funded IP or its commercialised forms in the national interest¹³.

¹³ The vision of the RDIF is to achieve Aatmanirbharta and strategic autonomy. This provision advances this vision.

APPENDIX 2: Financing Framework for RDIF to fund SLFMs

- 1. Background.** These guidelines are prepared in accordance with the Research Development and Innovation Fund (RDIF) Investment Thesis (Appendix 1). They specify general conditions on which RDIF allocates funds to Second Level Fund Managers (SLFMs) in a manner that complies with the broad objectives set out by the Government of India.
- 2. First Level Custodian or Fund Manager.** An Independent Business Unit of the Anusandhan National Research Foundation acts as first-level custodian or fund manager of RDIF, with a separate team that shall specifically manage the fund. This fund shall be in the form of 50-year interest free loan from the Government of India, and act as scheme corpus. The funds to the corpus shall be provided based on the half-yearly net requirement of funds for disbursement to the SLFMs.
- 3. Second Level Fund Managers.** SLFMs refers to entities specified in the RDIF Investment Thesis.
- 4. Fund Flow.** Funds from the Consolidated Fund of India (CFI) flow to RDIF through the Department of Science and Technology (DST), and from RDIF to the SLFM for further deployment in private Eligible Technology Entities engaged in scaling R&D, and vice versa, in a manner as specified in the Special Financial Rules of RDIF.
- 5. Investment Streams.** Funds from RDIF to SLFMs to be in the form of the following investment streams:
 - 5.1. Investing via contribution to Alternative Investment Funds (AIFs), including those which invest in units of other AIFs in arrangements referred to in this document as Funds of Funds; and
 - 5.2. Loan financing.

Note: No grants or short-term loans are permissible by RDIF.

- 6. Provisions Specific to AIF Investment Stream.** RDIF contributions in the AIF investment stream shall normally be via purchase of Units in a Scheme of the AIF Trust following the criteria given below:
 - 6.1. Eligible entities.
 - (i) AIFs as defined in Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Fund) Regulations, 2012. These can be existing or new AIFs.
 - (ii) Fund of Funds, which shall in turn invest these funds in units of AIFs.

6.2. Investment Principles. RDIF to allocate funds to AIFs through three suggested modes of contribution:

- (i) Mode 1: RDIF provides capital at an internal rate of return that is lower than the hurdle rate offered by the AIF to private contributors. AIFs would be required to prioritise distributions to RDIF, e.g. by providing RDIF with a higher position in the distribution waterfall.
- (ii) Mode 2: RDIF provides capital to the AIF at the same hurdle rate and/ or internal rate of return as other contributors. It would receive distributions in pari passu with other contributors to the AIF.
- (iii) Mode 3: RDIF provides capital at an internal rate of return that is higher than that offered by the AIF to private contributors. RDIF would take a lower position in the distribution waterfall.

Notes.

- (i) Details for all Modes may be worked out by the RDIF Management Team. Specific terms and other Modes would be considered by the Executive Council.
- (ii) RDIF-funded Funds of Funds shall contribute RDIF capital to AIFs via the same Modes specified above.

6.3. Terms of Allocation of Funds. RDIF to allocate funds to AIFs on the broad terms outlined below. The Executive Council shall modify these terms as needed. RDIF-funded Funds of Funds shall contribute RDIF capital to AIFs on the same terms.

- (i) Investment Thesis of RDIF. The Investment Thesis (which may be part of the Private Placement Memorandum) of the AIF should align to the greatest possible extent with the RDIF Investment Thesis (Appendix 1).
- (ii) Underlying Investments of SLFMs. Investment by SLFM should be
 - (a) In the form of equity, debt, or a combination of both;
 - (b) In Eligible Technology Entities engaged in developing RDI- intensive technology projects at TRL 4 and above, in sectors as per the RDIF Investment Thesis (Appendix 1);

(c) Combining RDIF and private capital in proportions reflecting the alignment of the AIF's and RDIF's focus areas, as specified in the RDIF Investment Thesis Para 11.

(iii) Funding Parameters. The following parameters placed in Table 2.A shall be decided by the Executive Council from time to time. Illustrative example figures are also summarised in Table 2.A.

Table 2.A
Example Funding Parameters for Investment Stream 1 AIF

S. Nos.	Funding Parameters From RDIF to SLFM <i>to be decided by the Executive Council</i>	Illustrative Example <i>Values to be decided by the Executive Council</i>
1	Rate of return for Mode 1 Funding	IRR at 5-6%
2	Distribution priority for Mode 1 Funding	RDIF to receive higher priority in distributions
3	Rate of return for Mode 2 Funding	As provided by AIF to all contributors
4	Distribution priority for Mode 2 Funding	In pari passu with all contributors to the AIF
5	Rate of return for Mode 3 Funding	RDIF to receive IRR higher than provided to private contributors
6	Distribution priority for Mode 3 Funding	RDIF to receive lower priority in distributions
7	Term	Up to 15 years inclusive of extension
8	Capital Contribution and Investment Limits for SLFM (AIFs)	As a percentage: per RDIF Investment Thesis Para 11

Notes:

1. *Internal Rate of Return: the target rate of return offered by the AIF on RDIF capital (the discount rate at which net present value of all cashflows from AIF becomes zero).*
2. *Distributions: RDIF's position in the distribution 'waterfall' where the AIF returns capital to its contributors.*
3. *Fund Term: the lifespan of the AIF. RDIF would prefer extended terms, reflecting the greater patience needed with R&D / RDI-intensive technology investments.*
4. *Capital Contribution and Investment Limit: the amount of capital RDIF would allocate to the SLFM, as a maximum percentage of aggregate capital contributions received by the AIF at every close.*

(iv) Eligible Management Fees. RDIF will accept the following amounts charged by an AIF SLFM:

- (a) A management fee charged by the SLFM not exceeding 2% per annum (i) of the aggregate Capital Commitment at the beginning of the year, from the initial closing date until the end of the Commitment Period (ii) of the actual invested capital, if it is lesser than the committed capital, or as a percentage of the underlying value of the assets under management (AUM) of the fund, after the end of the Commitment Period;
- (b) Carried Interest not exceeding 20% of the AIF SLFM's distributions after return of capital, hurdle rate, and catch-up;
- (c) As may be decided by the Executive Council as the case may be from time to time. These terms would also be applied by RDIF-funded Funds of Funds to AIFs to which they contribute, i.e. daughter AIFs.

(v) Drawdowns. RDIF to make Capital Commitments to the AIF SLFM within a period from the date of a Drawdown Notice issued by the AIF SLFM as mentioned in the Special Financial Rules of RDIF.

7. Provisions Specific to Loan Financing Investment Stream. RDIF to provide loan financing to eligible SLFMs listed below.

7.1. Eligible entities. RDIF to provide loan financing to

- (i) Focused Research Organisations;
- (ii) Development Finance Institutions;
- (iii) Non-banking finance corporations (NBFCs).

7.2. Investment Principles. RDIF to fund eligible SLFMs listed in 7.1 above through low-interest debt on concessional terms. These will include lower rates, over longer tenors, than offered by private contributors.

7.3. Terms of Allocation of Funds. RDIF would invest on the broad terms outlined below. The following terms shall be decided by the Executive Council from time to time. Illustrative example figures are summarised in Table 2.B.

- (i) *RDIF Investment Thesis*. RDIF contributes to eligible SLFMs listed in 7.1 above which have technology commercialisation objectives aligned with RDIF's Investment Thesis (Appendix 1).
- (ii) *Underlying Investments of SLFMs*. RDIF contributes to eligible SLFMs listed in 7.1 above which shall, in accordance with applicable law and regulation, invest:
- (a) In the form of equity, debt (including optionally convertible debt), or a combination of the equity and debt;
- (b) In Eligible Technology Entities engaged in developing RDI- intensive technology projects at TRL 4 and above, in sectors as per the RDIF Investment Thesis (Appendix 1).

However, RDIF does not provide grant funding.

- (iii) *Funding Parameters*. The following parameters placed in Table 2.B shall be decided by the Executive Council from time to time. Illustrative example figures are also summarised in Table 2.B.

Table 2.B
Funding Parameters for Investment Stream 2 Loan Financing

S. Nos.	Funding Parameters	Illustrative Example <i>Values to be decided by Executive Council from time to time</i>
1	Interest Rate	Low; for strategic projects, these may be retained even at 1-2%.
2	Tenor	Up to 20 years.
3	Capital Contribution and Investment Limits	RDIF contributions in the loan mode will be limited only by the Executive Council.
4	Tranches	Funding shall be released in tranches depending on the underlying investment requirement of the SLFM. Annually every SLFM shall provide an estimate of their annual money requirement and it will be released by RDIF as and when required. The quarterly estimated drawdowns from the RDIF to SLFMs shall be honoured in 30 days.
5.	Lock-in period	10-15 Years, subject to pre-payment being permitted without penalty.

- (iv) Eligible Management Fees. RDIF will accept a management fee charged by the SLFM not exceeding 1% per annum of the total amount of the loan provided by RDIF to the SLFM.

8. General Provisions to Ensure RDIF Mandate. RDIF funds shall be used exclusively for the core purpose for which Government has established RDIF. To ensure that the low-interest financing fulfils the Budget mandate to encourage the private sector to significantly scale up research and innovation in sunrise domains, RDIF shall ensure the following general provisions across all Investment Streams:

8.1. Reports and Information from SLFMs to RDIF. RDIF requires from all SLFMs, in a format to be approved by the Executive Council and adapted to the specific requirements of each Investment Stream:

- (i) Reports within 60 days of the end of every six-month period, from the date of execution of the Contribution/ Investment / Loan agreement between RDIF and the SLFM: including unaudited financial statements of the SLFM, and status reports on the SLFM's investments (including investee companies, technologies, sectors, and other criteria defined by the RDIF Investment Thesis);
- (ii) Annual reports within 90 days of the conclusion of every fiscal year including audited financial statements and annual valuation of the assets of the SLFMs; a statement of account in relation to the units held by RDIF as a contributor; and status reports on the SLFM investments (including investee companies, technologies, sectors, and other criteria defined by the RDIF Investment Thesis);
- (iii) The ability to visit Eligible Technology Entities invested in by the SLFMs to observe performance;
- (iv) Meetings with SLFM teams for joint review.

Note: RDIF shall retain the right to audit any SLFM via a professional agency.

8.2. Reports from RDIF to Executive Council and EGoS. Based on information provided by SLFMs, RDIF shall provide the Executive Council with the following data on an annual basis; this to be further shared with EGoS:

- (i) Technological advancement: Number of prototypes, proofs-of- concept, or innovations developed from the funded projects over the years measured relative to the Technological Readiness Level (TRL) of the projects at the time of sanction. Other relevant parameters such as commercial readiness, market readiness, etc. to be considered as well.
- (ii) Commercialization and Industry Impact: Number of projects leading to market-ready products or collaborations with industries resulting from the funded projects.
- (iii) Catalysing private/commercial capital for R&D: Amount of private capital mobilized at the level of SLFMs or at the project level.
- (iv) Scheme sustainability: Number of projects which make it to commercial stage and the revenue of such units.
- (v) Ability to create project visibility and facilitate exits: Number of projects successfully exited at the end of 5/10/15 years.

Note: Union Cabinet has approved a Design and Monitoring Framework (DMF) placed at Appendix 1. The above data will be used to monitor the Scheme as part of this Cabinet-approved framework.

8.3. Reporting from RDIF to SLFMs. RDIF shall periodically share with all SLFMs, a list of all SLFMs and the Eligible Technology Entities in which they have invested. This would be used by SLFMs to ensure that its own financing does not drive RDIF funding above the limit in Appendix 1 Para 7.2.

9. Conflict of Interest. RDIF shall take measures, including but not limited to the disclosure of interests and information and structuring of its decision-making processes, to remove the possibility of conflict of interest amongst any RDIF employees or personnel, involved in any decision related to the provision and use of RDIF funds.

**Annexure 2A to Appendix 2: Design & Monitoring Framework Research,
Development, and Innovation (RDI) Scheme**

As Approved by Union Cabinet

Impact the scheme is aligned with: To mobilize private investments in R&D sector and thereby increase the total investment in R&D from present (~0.65%) to more than 1% (world average being ~2.7%). Enhanced Indian research and innovation ecosystem in priority sectors, aligned with the vision of recent Union Budgets and India's long-standing R&D/STI Policies, focusing on technological advancement for <i>Atmanirbhar</i> Bharat.			
RESULTS CHAIN	PERFORMANCE INDICATORS WITH TARGETS AND BASELINES	DATA SOURCES AND REPORTING MECHANISMS	RISKS
Outcome Innovation performance and global ranking, Productivity growth, Economic Impact including high-tech exports, increased development, piloting, and commercialization of indigenous R&D solutions in strategic and emerging technology sectors.	1. Change in India's ranking in the Global Innovation Index (GII) published by the World Intellectual Property Organization (WIPO) 2. Changes in Total Factor Productivity linked to innovation including the diversity of the number of projects in sunrise sectors supported annually and aligned with national priorities 3. Direct and indirect jobs created in innovation and high-tech sectors 4. Participation of skilled Indian diaspora (reverse brain drain) attracted into the underlying investee entities of RDIF 5. Enhanced national strategic autonomy in critical sectors and technologies 6. Strengthening of domestic supply chains and reduced import dependency 7. Contribution to improved health and social indicators through innovation-led solutions 8. Improvement in the overall R&D ecosystem in India: Improvement in India's rank in indices related to research development	SPF to create digital system for providing data on the following points: - 1. Project progress reports; 2. TRL assessments by technical committees 3. MOUs, partnership agreements, 4. Fund disbursement records 5. Patent records data; 6. Tracking companies and their products being launched with technologies emerging out of RDI funding	1. High risk of financing including high chances of failure of technologies and companies leading to potential loss of capital. 2. Long gestation periods for maturity of technologies and low TRL maturity 3. Ability to attract top talent from private sector, Indian diaspora overseas etc. as well as managing the conflict of interest in such cases 4. Possibility of private sector funds/companies being concerned in availing investments from 100% government owned funds 5. Multiple stages of funding requirement even in situations where desired outcomes are not achieved. 6. In Deep Tech, failure of companies between Seed
Output	1. Financial parameters:		

	a) Amount sanctioned from 1st level custodian to 2nd level manager annually; b) Downstream investment commitment by 2nd level fund manager to the individual project c) IRR of the underlying funds/investments 2. Giving impetus to the R&D ecosystem: Number of projects supported annually, total and sector wise 3. Intellectual Property (IP) Generation: Number of patents, copyrights, or other IP assets registered annually from the funded projects (benchmarked against Industry average for patent filings in the specific science and technology domain) 4. Technological Advancement: Number of prototypes, proof-of-concepts, or innovations developed from the funded projects over the years measured relative to the Technological Readiness Level (TRL) of the projects at the time of sanction. Other relevant parameters such as commercial readiness, market readiness etc. to be considered as well. 5. Commercialization and Industry Impact: Number of projects leading to market-ready products or collaborations with industries resulting from the funding projects. 6. Catalysing private/commercial capital for R&D: Amount of private capital mobilized at the level of 2nd level Fund Manager(s) or at the project level.		stage to Series A funding is 95%. 7. Low private sector participation in co-funded R&D projects 8. Delays in fund disbursement due to delay in identification of projects 9. Weak IP protection and commercialization pathways 10. Lack of accessible datasets 11. Ethical concerns and data privacy
--	---	--	--

	7. Scheme sustainability: Number of projects which make it to commercial stage and the revenue of such units 8. Ability to create project viability and facilitate exists: Number of projects successfully exited at the end of 5/10/15 years		
Key Activities			Milestones
1. Scheme approval by the competent authority 2. Preparation of detailed operational guidelines for the scheme including the process to be followed for selection of the projects, selection of 2nd level fund managers, type of funding to be provided by 1st level custodian to different typed of 2nd level fund manager, broad parameters for type of funding from 2nd level fund manager to individual projects by Q1 of FY25-26 3. Preparation of Liberalized Financial Rules for scheme implementation 4. Scheme Launch 5. Formation of Special Purpose Fund (SPF) within ANRF 6. Putting in place an independent business unit 7. Setting-up a digital mechanism for tracking the financial and technical parameters of performance of the projects 8. Selection and approval of 2nd level Fund Managers 9. Formation of 2nd Level Fund 10. Staffing of 2nd-Level Fund Managers and formation of Investment Committees 11. Scheme Outreach 12. Release of Funds from CFI to SPF			T0 T1 = T0 + 10 weeks T2 = T0 + 8 weeks T3 = T1 + 4 weeks T4 = T0 + 10 weeks T5 = T0 + 15 weeks T6 = T1 + 15 weeks T7 = T1 + 6 weeks T8 = T6 + 4 weeks T9 = T6 + 10 weeks T10 = T1 + 4 weeks & T8 + 4 weeks T11 = T6 + 2 weeks
Inputs 1) Rs 1 lakh crore budgetary allocation over a period of 6 years 2) Rs 20,000 crore budgetary allocation for FY 2025-26 3) Staff for the SPF			

APPENDIX 3: Selection of SLFMs

1. Quality and Cost Based Selection Method. The Union Government has decided that the RDIF shall follow the quality and cost-based selection (QCBS) method to select SLFMs. RDIF adapts QCBS to its mandate, to select SLFMs on the basis of:

1.1. Competence to support Indian startups and companies in scaling up R&D in sunrise sectors, with RDIF funds;

1.2. Ability to spur private investment in scaling Indian R&D (including from more generalised private funds with limited prior experience in R&D / RDI-intensive technologies), leveraging RDIF funds.

2. Relative Quality and Cost Weightage in RDIF QCBS. Investment in RDI- intensive technology companies and startups requires specialised skill-sets, owing to the technical, adoption, and agency uncertainties that define emerging technologies. Accordingly, RDIF QCBS prioritises quality in selecting SLFMs. RDIF QCBS allocates: 80% weightage to Quality criteria, and 20% weightage to Cost criteria.

3. QCBS Cost Criteria. Cost criteria in the QCBS methodology aim to maximise cost efficiency in the use of public funds. RDIF adapts this principle to RDIF's mandate to spur private-sector driven research and innovation via concessional financing.

3.1. Cost Score. RDIF QCBS cost criteria is aligned to the investment stream via which RDIF provides funds to SLFMs as follows:

(i) *AIFs.* The RDIF Implementation Guidelines permit SLFMs receiving contributions from RDIF to charge a management fee and carried interest (Para 6 of Appendix 2 Financing Framework for RDIF to fund SLFMs). The QCBS Cost Score would consider management fee and carried interest charged by the SLFM. SLFMs charging lower management fee and carried interest shall have a higher cost score.

(ii) *Loan financing.* Where RDIF provides funds via loans, the cost score shall consider:

(a) The interest rate offered by the SLFM to RDIF; the lower the interest, the higher the score;

(b) The net interest margin i.e. the difference between the interest rate at which any SLFM lends capital to Eligible Technology Entities,

and that at which the said SLFM receives funding from RDIF; the lower the margin, the higher the score;

- (c) The management fee charged by the SLFM from the RDIF (subject to a cap of 1% per annum on the amount of the loan requested); the lower the fee, the higher the score.

Note. Specific terms would be approved by the ANRF Executive Council.

- (iii) *Nomination basis.* QCBS cost criteria shall not apply to SLFMs that are
 (a) statutory organisations (b) public institutions (c) academic/research/non-profit organisations wholly funded by the Government of India or State Governments. Such SLFMs shall be appointed on the basis of nomination by the EGoS, on the recommendation of the ANRF Executive Council. For (b) and (c) above, such nomination could be guided by Quality criteria tailored to the technology, sector, or innovation function in which the SLFM specialises.

4. QCBS Quality Criteria for Commercial SLFMs (AIFs, DFIs, NBFCs). To select AIFs most competent to support Indian RDI-intensive technology startups and companies in scaling up R&D in sunrise sectors with RDIF funds, RDIF applies the following QCBS Quality Criteria, evaluated by the Executive Council (summarised in **Table 3.A** with example measures, to be selected as appropriate by the Executive Council).

- 4.1. Global practices in technology investment sector. QCBS Quality Criteria for selecting SLFMs reflects global practices widely followed in the private technology investment sector. These prioritise the SLFM Management Team's professional calibre, evaluated by the Executive Council on the advice of the Expert Advisory Committee.
- 4.2. Part A | General Competence: Managing Investments and Operational Risks for Scaled Returns. The Executive Council assesses the core competence of the SLFM team in building consistently successful investment portfolios. This shall be irrespective of the extent of the SLFM's RDI-intensive technology focus, allowing more general funds to also participate and apply to RDIF. The evaluation may consider:
- (i) Fund Management Team Competence: General capability of the SLFM team in managing investments and operational risks, investee entities in the technology sector (irrespective of RDI-intensive technology specialisation).

- (a) For AIFs, this will consider the professional capabilities of Partners, the Investment Committee, and the Advisory Board of the SLFM; and their skillsets in managing founder teams, emerging technologies and products, finance and investment, and resourcing and support networks.
 - (b) For DFIs and NBFCs, this will consider the organisation's credentials and management team experience.
 - (ii) Demonstrated Track Record of Investment Management Competence: The SLFM team's success and consistency in delivering prior Funds, through repeatable processes, robust execution, and effective risk management.
- 4.3. Part B | R&D and RDI-Intensive Technology Focus: Orientation and Competence to Execute RDIF Mandate. The evaluation may consider the SLFM's ability to execute RDIF's mandate for India's RDI-intensive Technology entities. The SLFM's track record demonstrating these competences does not need to have exclusively been in RDI-intensive technologies. Competences shown in other technology investments would also be considered.
- (i) Investment Thesis (which may be part of the Private Placement Memorandum): alignment with RDIF Investment Thesis (Appendix 1).
 - (ii) Track Record in R&D Scale Up and RDI-Intensive Technology Competence: the SLFM's demonstrated competence with the high- uncertainty investments characterising RDI-intensive technologies at the TRLs concerned; including its ability to manage the complexities of technology stage / maturity, advanced science bases, and 'hockey- stick' valuation growth (long low period, followed by exponential increase) characterising emerging technologies;
 - (iii) Track Record in Investment Sizes for R&D Scale Up: the SLFM's demonstrated competence with the larger size of investments needed to scale-up R&D. This prior SLFM track record does not need to have been in RDI-intensive technologies, but would involve similar investment values ('ticket sizes').
 - (iv) Track Record in Patience with Capital: the SLFM's demonstrated commitment to endure the long gestation periods required to scale R&D and RDI-intensive technologies. This prior SLFM track record does not need to have been in RDI-intensive technologies, but would involve similar investment values ('ticket sizes').

- (v) Absorption and Utilisation Capacity. The SLFM would be evaluated for its ability to effectively invest capital contributions received, in private investees.

Table 3.A | Quality Selection Criteria for Commercial SLFMs

S. Nos.	Selection Criteria (<u>Options</u> , to be selected for respective cohort by Executive Council)	Measures (<u>Examples</u> , to be selected by Executive Council)	Weight (Set by Executive Council) Example values:	Score (TBD by Executive Council) Example values, to be kept constant across cohorts:
Part A General Competence: Managing Investments and Operational Risks for Scaled Returns (RDIF may select <u>any or more of the options</u> listed below, as deemed fit by the Executive Council on advice of the Expert Advisory Committee.)				

1	Fund Management Team Competence: General capability of the SLFM team in managing <u>investments and operational risks</u>, investees in the technology sector (irrespective of R&D/ RDI-intensive technology specialisation) For AIFs:	<u>Qualitatively assessed and scored</u>, based on expert evaluation of (for example) - Team profiles - Successful scaling of operations at technology firms or prior fund investees 1. <u>AIFs</u>: Teams, for - experience leading deals and exits for technology firms; - successful scaling of operations at technology firms; - ability to build strong teams with low attrition; - ability to build strong processes for consistent investment performance and risk management;		
---	--	---	--	--

	<u>Professional background</u> of General Partners and Principals (or equivalent): successful investors, founders, managers, technologists. <u>Skillsets</u>: expertise, experience, and success related to (for example) - Managing founder teams, to ensure robust teams, scaled operations, and strong returns - Emerging technologies - Product management - Finance and investment - Building and maintaining mentoring networks For DFIs: organisation’s credentials and management team experience.	- track record of having raised third party capital. <i>Note. These would normally be evaluated for the Fund organisation. In cases where a new Fund is being established, these may be evaluated for the individuals forming the new Fund.</i> 2 <u>DFIs / NBFCs</u>: organisation’s - credentials - management team and board: track record and experience - experience in RDIF Priority Sectors - project financing experience: manufacturing, working capital. 3. <u>In common across AIFs, DFIs, NBFCs</u>: - Key personnel’s track record related to functions such as deal-sourcing, due diligence / evaluation, portfolio management, exits; - Combined team (including advisory boards) for domain expertise in technologies / sectors; 4. <u>Where quantitative criteria are considered essential, the following may be explored:</u> 1. Combined number of person-years of experience in technology and investment, in RDIF - Priority sectors, in India - Technology Readiness Levels / venture development stages 2. Total number of funds from which successful exits have taken place 3. Internal rates of return (IRR) / distribution to paid-in capital (DPI) across previous Funds: mean values; standard deviations (to verify consistent performance) 4. Number of years that Fund Management Team have worked together		
2	Demonstrated Track Record of Investment Management Competence. Success and consistency in delivering prior Funds, through	1. Net Internal Rate of Return (IRR) over - last two Funds (for AIFs) or - the last 10 years (for DFIs / NBFCs) (<i>annualised return of Fund to LPs</i>) AND / OR		

	- Repeatable processes - Robust execution - Effective risk management	2. Multiple on Invested Capital (MOIC) over previous two Funds (for AIFs) (<i>what multiple of the invested money was actually returned</i>) AND/ OR 3. Distributions to Paid-In Capital (DPIC) over - last two Funds (for AIFs) (<i>realised returns – cash actually distributed to LPs</i>) - last 10 years (for DFIs / NBFCs) AND/ OR 4. Yield on Loans or Portfolio Yield over previous two funds (for debt AIFs) (<i>average interest rate earned on the outstanding loan portfolio, measuring income generated from Debt AIF's investments</i>) AND/OR 5. Vintage Year Performance (<i>AIF's performance against other funds in the same First Close year</i>) AND/OR 6. Default Rates or Non-Accrual Loans (for debt AIFs, DFIs, NBFCs) (<i>percentage of loans in portfolio that are unable to make repayments as scheduled – as a measure of robustness of execution and risk management</i>) AND/ OR 7. Recovery Rates (for, DFIs, NBFCs) (<i>percentage of the principal and accrued interest amounts recovered from loans that are in default e.g. via liquidation of assets, etc. – measuring robustness of SLFM's measures against downside.</i>		
--	---	--	--	--

Part B R&D and RDI-Intensive Technology Focus: Orientation and Competence to Execute RDIF Mandate				
(RDIF may select <u>any or more of the options</u> listed below, as deemed fit by the Executive Council on the advice of the Expert Advisory Committee.)				
3	Investment Thesis (which may be part of the Private Placement Memorandum): alignment with RDIF Investment Thesis.	Qualitatively assessed and scored, based on expert evaluation against RDIF Investment Thesis criteria. Scoring would take place against 1. Alignment with RDIF R&D / RDI-intensive technology and Priority Sectors - Focusses only on R&D / RDI-intensive technology and only in RDIF Priority Sectors (Score A) - Focusses only on R&D / RDI-intensive technology in RDIF Priority Sectors plus other Sectors (Score B) - Focusses on R&D / RDI-intensive technology and other sources of value in RDIF Priority Sectors plus other Sectors (Score C) Based on the scale adopted by the Executive Council, the final value of A, B, and C shall be decided. However, A > B > C shall be maintained. 2. Technology maturity ranges specified in the RDIF Investment Thesis (TRL 4+) 3. Venture development stage (laboratory spin-out to production)		
4	Track Record in R&D Scale Up and RDI-Intensive Technology Competence. Demonstrated competence with the high-uncertainty investments characterising RDI-intensive technology – at the TRLs concerned.	While Indian AIFs / DFIs / NBFCs have limited experience with R&D-intensive RDI-intensive technology, Fund Management teams that have achieved the following would be highly scored: At least one exit from an RDI-intensive technology firm; AND/OR		

	This would include technology stage / maturity, advanced science bases, 'hockey-stick' valuation growth (long low period, followed by exponential increase).	At least two prior investments in RDI-intensive technology firms.		
5	Track Record in Investment Sizes for R&D Scale Up. Demonstrated competence with the size of investments needed to scale-up R&D.	Ticket Sizes in previous Funds (for AIFs) or across the previous five years (for DFIs / NBFCs): 1. Average value across previous Funds (for AIFs) or across the previous five years (for DFIs / NBFCs): indicating general familiarity with managing investment ticket sizes in the RDIF's target range; 2. Modal value across previous Funds (for AIFs) or across the previous five years (for DFIs / NBFCs): indicating consistent ability to manage these ticket sizes 3. Trends (longitudinal) across previous two Funds (for AIFs) or across the previous five years (for DFIs / NBFCs).		
6	Absorption and Utilisation Capacity. Ability to effectively invest capital contributions received, in companies including startups.	Percentage of previous Fund committed to investees.		

5. QCBS Quality Criteria for Focused Research Organisations. Focused research organisations (FROs) are defined by a specialised focus on particular technologies, sectors, or innovation functions. In India, they are typically attached to public academic or research institutions. Reflecting their institutional nature and specialised functions, RDIF

- 5.1. Selects FRO SLFMs on the basis of nomination by EGoS, on the recommendation of the Executive Council;
- 5.2. Supports such nominations with competitive quality-based selection criteria that are tailored to the specific requirements of technology, sector, or innovation function concerned;

Except for statutory / autonomous institutions of the Government of India, which may be directly nominated by the EGoS, on the recommendation of the Executive Council.

6. Selection Process. RDIF executes QCBS through the following process. This presumes (a) a 15-year cycle of investment and returns, to be repeated across RDIF overall 50-year lifespan, and (b) a 6-year commitment period from Year 1 to Year 6 of each cycle.

6.1. Step 1: Notice Inviting Applications and Bid Submission. RDIF releases Notes Inviting Applications (NIAs) to become SLFMs from Year 1 to Year 6 of its first cycle. Following a cohort-based approach (at a frequency to be decided by the RDIF), these are released periodically during each financial year.

(i) NIA Formulation. The RDIF shall draft NIAs to reflect

- (a) Sectors, sub-sectors, and types of projects (not specific projects by SLFMs) approved by the EGoS, and updated in the RDIF Investment Thesis;
- (b) Quality criteria as listed above;
- (c) Cost criteria as listed above.

(ii) NIA Publication. RDIF must maximise awareness of its NIAs in an open and transparent process, including via public advertisement and upload to its public digital channels.

- (a) Simultaneously, the RDIF may ensure that the most competent Indian SLFMs are available for consideration.

- (b) RDIF may proactively reach out to highly-regarded AIFs, focused research organisations (FROs), development finance institutions (DFIs), and non-banking finance corporations (NBFCs), to encourage their application to the open NIA process
- (iii) Bid Submission. Organisations interested in becoming RDIF SLFMs provide bid documents details to the RDIF in bid documents. These shall include
 - (a) Due diligence information as may be specified by the RDIF, including supporting documents (such as Indentures of Trust for the AIF Trust, Articles of Association and Memoranda of Agreement for Investment Managers, etc.);
 - (b) Quality criteria template information as selected by the RDIF from the options provided above, including supporting documents;
 - (c) Cost criteria template information following the specification above;
 - (d) Any other information as advised by the Expert Advisory Committee.

6.2. Step 2: Screening and Investment Memorandum Preparation by RDIF. The RDIF shall:

- (i) Conduct a detailed verification, review, and analysis of the Bid Documents, and all supporting material; seeking clarification or additional information where needed from applicants;
- (ii) Screen applications for basic compliance with NIA information and due diligence requirements;
- (iii) For those Bids clearing such screening: drafts Investment Memoranda summarising key details (and seeking clarification where needed from applicants) from the verification and review;
- (iv) Provide these Investment Memoranda accompanied by supporting Bid Documents to the Executive Council for its consideration along with the specific advice of the Expert Advisory Committee, if any.

6.3. Step 3: Evaluation and Recommendation by the Expert Advisory Committee. The Expert Advisory Committee may invite applicants to make presentations on their suitability for RDIF funding.

- (a) The Expert Advisory Committee evaluates and scores the suitability of applicants, and recommend SLFMs for selection, on the basis of Cost, following broad criteria outlined above;
- (b) Quality, following broad criteria outlined above.
- (ii) The Executive Director, RDIF shall document the recommendations of the Expert Advisory Committee regarding the selection process and submit them to the Executive Council for its consideration.

- 6.4. Step 4: Executive Council Recommendations. The Executive Council, after due deliberations on the submitted proposals, may recommend a list of SLFMs to EGoS for final approval.
- 6.5. Step 5: EGoS Approvals. EGoS shall consider the recommendations of the Executive Council and record its decisions and approvals accordingly.
- 6.6. Step 6: Provisional Letter of Intent and Contribution/Loan Agreement.
- (i) To support SLFMs in raising further private capital for RDI-intensive technology investment, the RDIF shall issue a Provisional Letter of Intent to the SLFM within a reasonable time-period.
 - (ii) Upon receipt of the Contribution/ Loan Agreements executed by the SLFM with private investors, the RDIF shall, within a reasonable time- period, finalize and execute its own Contribution/ Loan Agreement with the SLFM.

[F. No. 01/RDI/ANRF-2025]

ARUMUGAM DHANALAKSHMI, Jt. Secy.